[2021] 13 S.C.R.1146

अदानी गैस लिमिटेड

बनाम

भारत और ओआरएस का संघ।

(सिविल अपील सं. 6008-09 2021 का)

28 सितंबर, 2021

[उदय उमेश ललित, एस. रवींद्र भाट और ऋषिकेश रॉय, जे. जे.]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006-एस. 2 (घ), 11,16,17 और 61-पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक

नेटवर्क-पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम का विनियमन 1.10.2007 पर लागू हुआ और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस द्वारा अनिवार्य प्राधिकरण किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क ("सी. जी. डी. गतिविधियाँ" और "सी. जी. डी. नेटवर्क") को बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए नियामक बोर्ड-30.10.2007 पर, बोर्ड ने सी. जी. डी. गतिविधियों के साथ या उसके बिना लगी संस्थाओं को निर्देश देते हुए प्रेस नोट जारी किया

केंद्र सरकार को प्रासंगिक विवरण प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण अपीलार्थी-ए. जी. एल. द्वारा विवरण प्रस्तुत करने के बाद, बोर्ड ने अपनी गतिविधियों पर रोक लगा दी और एस. की आवश्यकता के अनुसार केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए निर्देश जारी किए। 17 - बोर्ड बाद में

विवादित क्षेत्रों सहित अहमदाबाद क्षेत्र में पूंजी कार्य करने के लिए अपीलार्थी को अनंतिम मंजूरी दी गई-प्राधिकरण से संबंधित धारा 16,12.07.2010 पर लागू हुई-04.02.2013 पर-बोर्ड ने अहमदाबाद शहर में अपीलार्थी के CGD नेटवर्क को अनंतिम प्राधिकरण प्रदान किया, विवादित क्षेत्रों को छोड़कर

अपीलार्थी के पास केंद्र सरकार से प्राधिकरण का अभाव था-अपीलार्थी ने 09.12.2013 पर प्राधिकरण का अनुदान स्वीकार कर लिया-1.10.2015 पर,

बोर्ड ने अहमदाबाद के उन विवादित क्षेत्रों में सी. जी. डी. नेटवर्क के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित कीं-- अपीलकर्ता ने इन क्षेत्रों के संबंध में अपने आवेदन सह-बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए-बोली असफल रही-इन क्षेत्रों को उसे दिए गए प्राधिकरण से बाहर रखे जाने से व्यथित होकर-अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया-उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका के असफल होने के बाद अपीलकर्ता ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और कहा कि

(i) इसे केंद्र सरकार से प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि 1146 अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ।

एस के गुण। 16 पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अनुसार, यह ए. जी. एल. v के मामले में "मानित प्राधिकरण" निर्भरता के साथ एक इकाई के रूप में माने जाने का हकदार था। भारत संघ (2019) 3 एससीसी 641: - ((ii) विनियम 18 (जो बोर्ड के नए प्राधिकरण की आवश्यकता का प्रावधान करता है।

उन संस्थाओं के लिए जो इससे पहले सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रभाव में आने पर, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थे) ने बोर्ड को अनुदान देने में मनमानी शक्ति दी।

प्राधिकरण और यह पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है-(iii) प्राधिकरण से विवादित क्षेत्रों को बाहर करना अनुचित था-आयोजित किया गया: (i) एस के परंतुक के तहत मानित प्राधिकरण खंड। 16 के अधीन है

अन्य प्रावधान-एस। 17 यह एक ऐसा प्रावधान है, जिसमें यह प्रावधान है कि केवल वे संस्थाएं जो पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत थीं, मानित प्राधिकरण का दावा कर सकती हैं-अपीलार्थी के पास ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।

प्राधिकरण, इसलिए माना जाता है कि प्राधिकरण के साथ इकाई के रूप में माना नहीं जा सकता है-अडानी गैस मामले को खारिज कर दिया गया था क्योंकि यह कानून की सही व्याख्या नहीं करता था-(ii) विनियमन 18 के तहत प्रदान किए गए सभी मानदंडों पर उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए।

इसलिए, एक मानदंड को चुनने और चुनने और दूसरों की अनदेखी करने का सवाल नहीं उठता है और इसके अलावा यह मामले के व्यक्तिगत तथ्यों पर निर्भर करता है-यह अपने आप में शक्ति को मनमाना नहीं बनाता है-न्यायिक समीक्षा का उपाय हमेशा मनमानेपन के मामले में उपलब्ध है-इसके अलावा, विनियमन 18 तैयार करने का उद्देश्य, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है-विनियमन 18 अधिनियम के किसी भी विशिष्ट प्रावधान द्वारा प्रतिकूल नहीं है इसमें उल्लिखित विभिन्न कारक, बोर्ड को मंजूरी देने के उचित तरीके पर विचार करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करते हैं।

प्राधिकरण-इसके अलावा, क्षेत्रीय नियामक के रूप में पी. एन. जी. आर. बी. यह सुनिश्चित करने के लिए उचित नियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है

अतः अधिनियम के उद्देश्य अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं हैं-(iii) अपीलार्थी का दावा अनुमोदन के सिद्धांत द्वारा वर्जित है।

अस्वीकार करें, क्योंकि इसने पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा दिए गए प्राधिकरण (विवादित क्षेत्रों के बहिष्कार सहित) को स्वीकार किया, प्रदर्शन बांड प्रस्तुत किया और यहां तक कि बहिष्कृत क्षेत्रों के

लिए नीलामी में भाग लिया, और उसके बाद ही प्राधिकरण को चुनौती दी जब इसकी बोली असफल रही।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पकड़ना: 1. निम्नलिखित बिन्दुओं पर विचार किया गया -

यह न्यायालय:

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(i) पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड का दायरा;

((ii) विनियम 18 की वैधता; और

(iii) क्या अडानी को दिए गए प्राधिकरण से विवादित क्षेत्रों को बाहर करना उचित था। [पैरा 54] [1187-जी. एच.; 1188-ए]

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड का दायरा

2. संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम को एक खाली स्लेट पर लागू नहीं किया, जैसा कि था। राष्ट्रपति के संदर्भ में (विशेष संदर्भ मामला)

अनुच्छेद 143 के तहत कुछ राज्यों द्वारा किए गए दावों की पृष्ठभूमि में न्यायालय की राय सामने आई कि उनके पास विधायी अधिकार थे।

प्राकृतिक गैस से निपटने की क्षमता। इस न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय स्पष्ट था, जिसमें उसने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 53 सूची I के तहत संसद की प्रधानता को बरकरार रखा। महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि से संबंधित अधिनियमों (1934 के संविधान पूर्व पेट्रोलियम अधिनियम सहित) को भी याद किया और इसके विभिन्न पहलुओं और पहलुओं और संबंधित उत्पादों और उनके विनियमों को विनियमित करने की मांग की। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, संसद ने एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की

कानून जो पेट्रोलियम उत्पादों और खनिज तेलों से संबंधित सभी गतिविधियों के मुख्य पहलुओं को विनियमित करेगा। पी. एन. जी. आर. बी इस प्रकार अधिनियम बनाया गया। जैसा कि पहले देखा गया है, यह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निष्कर्षण के बाद सभी

गतिविधियों को नियंत्रित करता है जो शोधन से शुरू होकर अंतिम उपभोक्ता तक वितरण तक जाती हैं। जब संसद ने इस अधिनियम को लागू किया, तो यह एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना कर रहा था, जहां कई संस्थाओं ने पाइपलाइन बिछाने और प्राकृतिक गैस के संबंध में नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी थीं। यदि कोई धारा 16 के परंतुक को अलग से पढ़ता है, तो निस्संदेह निष्कर्ष यह होगा कि प्रत्येक इकाई जिसने पाइपलाइन और नेटवर्क बिछाना और बनाना शुरू कर दिया था, वह मानित प्राधिकरण खंड का प्राप्तकर्ता था या अपीलार्थी के शब्दों में, उस प्रावधान में कहा गया था -

सभी संस्थाओं द्वारा गतिविधियों को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करें। हालांकि, इस तरह के सादे और चेहरे की बनावट अस्वीकार्य है क्योंकि उसी प्रावधान (यानी धारा 16 के प्रावधान) में माना गया अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ।

प्राधिकरण के तुरंत बाद वाक्यांश "के अधीन है

इस अध्याय के प्रावधान "। प्रोविसो आम तौर पर संचालन का एक क्षेत्र बनाता है, लेकिन मुख्य अधिनियमित प्रावधान से परे नहीं जाता है। इसलिए, व्याख्या का सुनहरा नियम यह है कि परंतुक सहित पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए कि वे पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और परिणामस्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण हो। [पारस 66,67] [1198-बी-जी]

3. इस प्रकार धारा 16 का अधिनियमित भाग किसी को भी या

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने या चलाने के लिए किसी भी संस्था को उससे प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। प्रावधान तब यह अत्यंत प्रतिबंधित तरीके से काम करने के लिए होता है, अर्थात उन संस्थाओं से निपटने के लिए जो अन्य बातों के साथ-साथ उस समय गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन आदि में लगी हुई थीं।

अधिनियम लागू हुआ "। धारा 16 के मुख्य भाग के विपरीत, इस परंतुक का उद्देश्य उन संस्थाओं को प्राधिकरण प्रदान करना नहीं था जिन्होंने अब तक कोई गतिविधि शुरू नहीं की थी। ऐसी संस्थाओं को करना पड़ता था

अब प्राधिकरण के लिए आवेदन करें। किसी भी मामले में, धारा 16 और 17 के संयुक्त संचालन द्वारा, धारा 16 का परंतुक अयोग्य नहीं है-"मानित प्राधिकरण" खंड अध्याय IV के अन्य प्रावधानों के अधीन है। धारा 17 अध्याय IV के तहत ऐसा ही एक प्रावधान है। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से बताता है कि केवल केंद्रीय

सरकारी अधिकृत संस्थाओं को अधिकृत माना जाता था। धारा 16 में प्राधिकरण के किसी भी संदर्भ को छोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि परंतुक के आवेदन के लिए योग्यता यह है कि यह अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन था। धारा 17 की योजना आंतरिक रूप से दोनों को वर्गीकृत करती है, अर्थात।

केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं और अन्य। द.

इस वैधानिक वर्गीकरण का अंतर्निहित आधार यह है कि केवल वे संस्थाएं जिन्हें अधिनियम के लागू होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी या अधिकृत किया गया था, उन्हें अधिनियम के तहत प्राधिकरण माना जाता था, और इसलिए, उन्हें कुछ विवरण प्रस्तुत करने होते थे। अन्य संस्थाओं के संबंध में, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं, नए आवेदन आवश्यक थे।

[धारा 17 (1) और धारा 17 (2)] जिनका मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर और समान मानकों के अनुसार किया जाना था। इसलिए, यदि कोई धारा 16 के परंतुक को पढ़ता है

धारा 17 (1) और धारा 17 (2) के पूर्ववर्ती (अर्थात धारा 16 के परन्तुक) के परन्तुक में केवल यह कहा गया है कि वे निकाय जो [2021] 13 एस. सी. आर. थे।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केंद्र सरकार द्वारा पहले अधिकृत किए गए प्राधिकरण का दावा किया जा सकता है। इसके लिए तर्क यह है कि धारा 17 (1) और 17 (2) के प्रावधानों में केवल ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है (जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा लागू होने से पहले अधिकृत किया गया था)।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम) के तहत पी. एन. जी. आर. बी. को कुछ विवरणों को सूचित करने के लिए लेकिन किसी नए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर अर्थात, के बीच

प्राधिकरण और सूचना महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिन संस्थाओं को अधिनियम के प्रारंभ से पहले केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त हुआ था, और जिन्होंने सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाना, बनाना या संचालित करना शुरू कर दिया था, उन्हें इसके तहत अधिकृत माना गया था।

पी. एन. जी. आर. बी अधिनियम। [पैरा 75,78] [1204-ई-एच] 4. इस अदालत की राय थी कि अडानी गैस मामले में पिछले फैसले में कानून की सही व्याख्या नहीं की गई थी। ऐसा नहीं किया।

चर्चा करें कि क्या "मानित प्राधिकरण" (धारा 16 के परंतुक में) योग्य था या अयोग्य। अडानी गैस मामले में पिछले फैसले में भी इस महत्वपूर्ण शर्त पर ध्यान नहीं दिया गया था कि मानित प्राधिकरण खंड अन्य शर्तों के अधीन लागू होता है। धारा 17 सहित अध्याय 4 के प्रावधान और अंत में इसने विशेष संदर्भ मामले में पांच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णायक फैसले की अनदेखी की। तदनुसार, अदानी गैस में धारा 16 की व्याख्या और इसके प्रावधान में मानित प्राधिकरण खंड को गलत माना जाता है। इसलिए अडानी गैस मामले में फैसले को खारिज कर दिया गया है। [पैरा 85] [1210-एफ-एच]

विनियम 18 की वैधता

5. विनियमन 18 उन संस्थाओं से संबंधित है जो पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थे। ऐसी संस्थाओं को अधिनियम के तहत "मानित प्राधिकरण" का लाभ नहीं मिलता है; उन्हें विनियमन 18 के प्रावधानों के तहत नए प्राधिकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और विनियम, इस प्रकार विभिन्न तरीकों से प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए संस्थाओं की तीन श्रेणियों का निर्माण करते हैं: (1) नियत दिन से पहले केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत संस्थाओं को प्राधिकृत माना जाता है, और केवल संबंधित प्रपत्रों में कुछ जानकारी जमा करने की आवश्यकता होती है; (2) वे संस्थाएं जो ले जा रही थीं।

सी. जी. डी. गतिविधियाँ, लेकिन केंद्र द्वारा अधिकृत नहीं थीं सरकार को ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड v के तहत नए प्राधिकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

भारत और ओआरएस का संघ।

विनियम 18; (3) वे संस्थाएं जो नियत दिन के बाद सी. जी. डी. गतिविधियों को स्थापित करना चाहती हैं, अर्थात वे सभी संस्थाएं जो स्थापित करना चाहती हैं।

सी. जी. डी. विनियमों की अनुसूची I में निर्धारित। विनियमन 18 (2) तब निर्धारित करता है कि पी. एन. जी. आर. बी. खंड (ए) से (जे) में उल्लिखित मानदंडों या शर्तों को ध्यान में रख सकता है। वर्तमान मामले में, विनियमन 18 की प्रासंगिक सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, अभिव्यक्ति "ध्यान में रखी जा सकती है" को किसी जनादेश या निर्देशिका नियम के सीधे जैकेट में नहीं रखा जा सकता है। ऐसे कई निर्णय हैं जो मानते हैं कि "हो सकता है" का अर्थ "होगा" हो सकता है और इसके विपरीत; बहुत कुछ प्रावधान के संदर्भ और उद्देश्य के साथ-साथ इसकी वैधानिक सेटिंग पर निर्भर करता है। [पारस 89,90,91,98] [1211-एच; 1212-ए; 1212-बी-एफ; 1218 एफ] 6. वर्तमान मामले में, विनियमन 18 (3) विशेष रूप से कहता है कि "खंड (ए) के संदर्भ में आवेदन का मूल्यांकन

(जे) समग्रता में मानदंडों की समग्र प्रकृति और अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। यह, बोर्ड द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले किसी भी अन्य मानदंड की सूची के साथ जोड़ा गया है। आवेदन की जाँच "। (विनियमन 18 (2) (जे), इस न्यायालय की राय में, के कार्य में अधिक सटीकता लाता है

आवेदनों का मूल्यांकन (उन संस्थाओं द्वारा पसंद किया जाता है जिनके पास अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था)

पीएनजीआरबी। इन सब का मतलब है कि पी. एन. जी. आर. बी. को प्राधिकरण के लिए आवेदनों का मूल्यांकन करते समय विनियमन 18 (2) में गिने गए कारकों के संयोजन द्वारा निर्देशित किया जाना है; एक कारक कितना महत्वपूर्ण है, और इसे दिया जाने वाला उचित महत्व, विनियमन 18 (3) द्वारा आवश्यक

सभी तथ्यों की "समग्रता" पर निर्भर करता है, जो [2021] 13 एस. सी. आर. की समग्र प्रकृति और अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए है।

मानदंड "। इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विनियमन 18 (2) के सभी खंडों पर विचार किया जाना चाहिए, और जहां भी आवश्यक हो, कोई अन्य खंड।

उद्देश्य। पी. एन. जी. आर. बी. को मानदंडों की समग्र प्रकृति और अंतर-संबंधों पर भी विचार करना होगा। [पैरा 99] [1219-ए-जी] 7. विनियम 18 (2) की वैधता के संबंध में, अपीलार्थी का तर्क है कि विनियम अधिकार से बाहर है, क्योंकि मार्गदर्शन देने वाला कोई ठोस प्रावधान नहीं है, जिससे पी. एन. जी. आर. बी. की इच्छा पर आवेदनों को अस्वीकार करने की शक्ति छोड़ दी गई है, जो

किसी भी या कुछ मानदंड को चुन सकते हैं और बाकी को अनदेखा कर सकते हैं। जहां तक बाद के पहलू की बात है, इस न्यायालय ने ऊपर निर्णय दिया है कि सभी मानदंडों पर उनके अंतर संबंधों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, एक मानदंड चुनने और चुनने और दूसरों को नजरअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत कुछ मामले के व्यक्तिगत तथ्यों, एक को दिए गए वजन या मानदंडों के एक समूह पर निर्भर करेगा। यह अपने आप में शक्ति (विनियमन 18 (2) के तहत) को मनमाना नहीं बनाता है। किसी भी मामले के विशेष तथ्यों में, एक पीड़ित आवेदक के लिए शक्ति का प्रयोग दिखाने के लिए खुला है

मनमाना है, और न्यायिक समीक्षा की मांग करता है। [पैरा 100] [1219-जी-एच; 1220 ए-बी]

8. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 11 और 61 में विनियम शामिल हैं।

शक्तियाँ बनाना। धारा 11 (सी) (ii) के तहत बोर्ड के पास संस्थाओं को "शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने" के लिए अधिकृत करने की शक्ति है। धारा 11 (ई) (iii) द्वारा पी. एन. जी. आर. बी. को "शहर या स्थानीय तक पहुंच" के लिए नियम बनाने का अधिकार है।

प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क ताकि पाइपलाइन अभिगम संहिता के अनुसार संस्थाओं के बीच उचित व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित की जा सके। धारा 11 (च) (iv) द्वारा "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का समान वितरण" सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है। ये सभी नियामक

धारा 61 (1) के तहत सामान्य शक्ति के साथ मिलकर

इस न्यायालय की राय में, पी. एन. जी. आर. बी. को विनियमन 18 बनाने की शक्ति प्रदान करने के लिए विनियमों का ढांचा पर्याप्त रूप से व्यापक है। इसके अलावा, विनियमन 18 को संस्थाओं के एक

विशिष्ट वर्ग के लिए लागू माना जाना चाहिए-उनकी प्रकृति से, संख्या में कमी, यानी ऐसी संस्थाएं जिन्होंने केंद्र सरकार को सुरक्षित नहीं किया था।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू होने से पहले प्राधिकरण या अनुमोदन।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ।

विनियमन का उद्देश्य बोर्ड को इससे निपटने के लिए मार्गदर्शन करना है।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के साथ-साथ पी. एन. जी. आर. बी. को धारा 17 (4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदनों का निर्णय लेते समय अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से करने में सक्षम बनाता है। [पैरा 105] [1224-एफ-एच; 1225-बी-डी] 9. इस न्यायालय की राय थी कि क्षेत्रीय नियामक के रूप में पी. एन. जी. आर. बी. को व्यवस्था बनाने की शक्ति सौंपी गई है।

तदनुसार इस पहलू को खारिज कर दिया गया। [पैरा 112] [1229-जी-एच] क्या अडानी को दिए गए प्राधिकरण से विवादित क्षेत्रों को बाहर करना उचित था

10. अदानी को प्राधिकरण का अनुदान, और उस प्राधिकरण की स्वीकृति, प्रदर्शन बांड प्रस्तुत करना, और

उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना, यहाँ तक कि नीलामी में भाग लेना

बहिष्कृत क्षेत्रों में कोई संदेह नहीं हो सकता है कि उसने पी. एन. जी. आर. बी. की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया, और अपनी बोली में असफल होने के बाद, प्राधिकरण को चुनौती देने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से, यह आचरण अनुमोदन और खंडन करने के बराबर है। इसके बारे में जानकारी की कमी के बारे में अडानी के तर्क इस न्यायालय की राय में, इसके वास्तविक अधिकारों को स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह इसके तहत प्रक्रिया को जानता था और उसके अनुरूप था

देश के अन्य क्षेत्रों में। [पैरा 118] [1234-डी-एफ] 11. संक्षेप में, अपीलार्थी द्वारा उठाए गए विचार के बिंदुओं का उत्तर इस प्रकार दिया गया:

ए। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड के दायरे में, अडानी में निर्णय गैस मामले को गलत तरीके से कानून निर्धारित करने के लिए माना गया था, और इसके द्वारा खारिज कर दिया जाता है।

बी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि धारा 16 के परंतुक के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन है।

IV, धारा 17 और इसके अलावा, केवल केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण प्रदान की गई संस्थाओं को शामिल करते हुए, उस श्रेणी में आता है। एक अनुक्रम के रूप में, यह माना जाता है कि जिन संस्थाओं को राज्यों से प्राधिकरण प्राप्त हुआ था, उन्हें इसके तहत प्राधिकरण की मांग करनी थी -

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम, धारा 17 (2) के संदर्भ में और सी. जी. डी. विनियमों के तहत उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में।

सी। एन. ओ. सी. देने में राज्य की भूमिका केवल सहायक है

या केंद्र सरकार की नीति के संदर्भ में सहयोगात्मक

2006 , और किसी भी संस्था को कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता है, जिसे अपने आवेदन के गुण-दोष के आधार पर पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के संदर्भ में विशिष्ट प्राधिकरण की मांग करनी है और दिया जाना है।

डी। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विनियम 18 न तो मनमाना है और न ही अधिकार से परे है। विनियमन 18 का अंतर्निहित उद्देश्य संगत है।

ई. यह भी माना गया कि अडानी का दावा अप्रूबेट-रिप्रोबेट के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, क्योंकि इसने प्राधिकरण को स्वीकार कर लिया है। पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा प्रदान किया गया (विवादित क्षेत्रों के बहिष्कार सहित), प्रदर्शन बांड प्रस्तुत किया और यहां तक कि बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए नीलामी में भाग लिया, और उसके बाद ही इसकी बोली असफल होने पर प्राधिकरण को चुनौती दी गई। यह अभिनिर्धारित किया गया कि विवादित क्षेत्रों का बहिष्करण समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में उचित था। [पैरा 127] [1239-ए-एच]

अदानी गैस लिमिटेड बनाम भारत संघ (2019) 3 एससीसी 641: 2019 (2) स्केल 212-खारिज कर दिया गया।

वॉयस ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू. पी. (ग) 8415/2009,20.01.2010 पर निर्णय लिया गया, पल्लवी रिसोर्सेज लिमिटेड v.

प्रोटोस इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड (2010) 5 एस. सी. सी. 196: [2010] 3 एस. सी. आर. 847, एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस बनाम। भारत संघ (2004) 4 एस. सी. सी. 489; ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2009) 15 एस. सी. सी. 570: [2009] 9 एस. सी. आर. 22; पेट्रोलियम और प्राकृतिक अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ।

गैस नियामक बोर्ड v. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड और अन्य। (2015) 9 एस. सी. सी. 209 [2015] 7 एस. सी. आर. 215; कुंज बिहारी लाल बुटैल बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य (2000) 3 एससीसी 40: [2000] 1 एस. सी. आर. 1054; मोहिंदर सिंह गिल और अन्र। वी. मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली और अन्य। (1978) 1 एससीसी 405: [1978] 2 एस. सी. आर. 272; मोती लाल

पदमपत शुगर मिल्स बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (1979) 2 एस. सी. सी. 409 [1979] 2 एस. सी. आर. 641; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बनाम। इंद्रप्रस्थ गैस (2015) 9 एस. सी. सी. 209 [2015] 7 एस. सी. आर. 215; श्याम टेलीलिंक लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2010) 10 एस. सी. सी. 138; मेसर्स टाफकोन प्रोजेक्ट्स [आई] (पी) लिमिटेड v. भारत संघ और अन्य। (2004) 13 एस. सी. सी. 788; के. एस. धर्मादतम बनाम। केंद्र सरकार और अन्य;

(1979) 4 एस. सी. सी. 295; एन. के. शर्मा बनाम अभिमन्यु (2005) 13 एस. सी. सी. 212 [2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 207; राज्य

महाराष्ट्र बनाम. लालजी राजशी शाह और अन्य। (2000) 2 एस. सी. सी. 699 [2000] 1 एस. सी. आर. 1239; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बनाम। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (2015) 9 एस. सी. सी. 209 [2015] 7 एस. सी. आर. 215; केशवलाल खेमचंद एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ (2015) 4 एससीसी 770: [2015] 2 एस. सी. आर. 51; भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (2014) 3 एससीसी 222:

[2013] 12 एस. सी. आर. 999; प्रकाश गुप्ता बनाम। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (2021) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 485;

एमसी मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यूपी (सी) 13029/1985, वॉयस ऑफ इंडिया बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू. पी. (C) 8415/2009,20.01.2010 पर तय किया गया-संदर्भित।

2001 (2004) के विशेष संदर्भ संख्या 1 में 4 एस. सी. सी. 489 [2004] 3 एस. सी. आर. 534; द्वारका प्रसाद बनाम. द्वारका दास सारा (1976) 1 एससीसी 128: [1976] 1 एस. सी. आर. 277; एस. सुंदरम पिल्लई और अन्य। वी. वी. पट्टाबिरामन और अन्य। (1985) 1 एससीसी 591 [1985] 2 एससीआर 643: [1979] 3 एस. सी. आर. 472; एम. पेंटिया बनाम। मुद्दला वीरमल्लप्पा और अन्य। (1961) 2 एस. सी. आर. 295; सरकार के कानूनी मामलों के अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक। पश्चिम बंगाल बनाम। अबनी मैती (1979) 4 एससीसी 85 [1979] 3 एससीआर 472; K.R.C.S. बालकृष्ण चेट्टी बनाम. मद्रास राज्य [1961] 2 एस. सी. आर. 736; अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य (2004)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3 एससीसी 1: [2004] 1 एस. सी. आर. 307; श्री सीताराम चीनी

कंपनी लिमिटेड v. भारत संघ (1990) 3 एससीसी 223 : [1990] 1 एस. सी. आर. 909; सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम। नाथेला

सम्पथु चेट्ट [1962] 3 एससीआर 786; तमिलनाडु राज्य

& एन. आर. वी. पी. कृष्णमूर्ति और अन्य। (2006) 4 एससीसी 517:

[2006] 3 एससीआर 396; पीटीसी इंडिया लिमिटेड बनाम। केंद्रीय बिजली

नियामक आयोग (2010) 4 एस. सी. सी. 603: [2010] 3

एस. सी. आर. 609; यू. पी. राज्य बनाम। रेनुसागर पावर कं. (1988)

4 एस. सी. सी. 59 [1988] 1 पूरक। एससीआर 627; वैश्विक ऊर्जा लिमिटेड वी. केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (2009)

15 एससीसी 570: [2009] 9 एस. सी. आर. 22; कर्नाटक राज्य बनाम

एच. गणेश कामत (1983) 2 एससीसी 402 [1983] 2 एससीआर

665 ; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम एनसीटीई

(2003) 3 एससीसी 321: [2003] 1 एससीआर 975; टाटा पावर

कं. लिमिटेड बनाम। रिलायंस एनर्जी लिमिटेड (2009) 16 एस. सी. सी. 659:

[2009] 9 एस. सी. आर. 625; इंद्रमणि प्यारेलाल गुप्ता बनाम। डब्ल्यू. आर

नाटू [1963] 1 एससीआर 721; सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स

(पी) लिमिटेड बनाम। आधिकारिक परिसमापक (2018) 10 एस. सी. सी. 707:

[2018] 12 एससीआर 906; अमर सिंह बनाम। भारत संघ (2011)

7 एस. सी. सी. 69 [2011] 6 एस. सी. आर. 403; भारत संघ बनाम।

शकुंतला गुप्ता (2002) 10 एस. सी. सी. 694; भारत संघ

वी. ई. जी. नम्बूदिरी (1991) 3 एस. सी. सी. 38: [1991] 2 एससीआर 451 ; भारत संघ बनाम। एसोसिएशन। एकीकृत दूरसंचार सेवा

भारत के प्रदाता; (2020) 3 एससीसी 525: [2019] 16 एससीआर

672 ; एयर लाइन पायलट एसोसिएशन। भारत का वी. नागरिक उड्डयन महानिदेशक (2011) 5 एससीसी 435: [2011] 5 एससीआर 1019; जल महल

रिसॉर्ट्स (पी) लिमिटेड बनाम के. पी. शर्मा (2014) 8 एससीसी 866

-

पर भरोसा किया।

मामला कानून संदर्भ

[2004] 3 एससीआर 534

उस पर भरोसा करें

पैरा 8

[2010] 3 एससीआर 847

संदर्भित किया गया है

पैरा 18

[2009] 9 एससीआर 22

पैरा 23

संदर्भित किया गया है

[2015] 7 एससीआर 215

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[2000] 1 एससीआर 1054

संदर्भित किया गया है

पैरा 23

[1978] 2 एससीआर 272

संदर्भित किया गया है

पैरा 25

[1979] 2 एससीआर 641

पैरा 31

ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड वी. भारत का संघ और या

[2015] 7 एससीआर 215

पैरा 33

संदर्भित किया गया है

[2005] 4 पूरक। एस. सी. आर. 207 संदर्भित

पैरा 49

[2000] 1 एससीआर 1239

संदर्भित किया गया है

पैरा 49

उस पर भरोसा करें

[1976] 1 एससीआर 277

पैरा 67

[1985] 2 एससीआर 643

संदर्भित किया गया है

पैरा 68

[1979] 3 एससीआर 472

उस पर भरोसा करें

पैरा 74

[2004] 1 एस. सी. आर. 303

उस पर भरोसा करें

पैरा 77

[1990] 1 एससीआर 909

उस पर भरोसा करें

पैरा 97

[2006] 3 एससीआर 396

उस पर भरोसा करें

पैरा 102

[2010] 3 एससीआर 609

उस पर भरोसा करें

पैरा 103

[1988] 1 पूरक। एससीआर 627 पर भरोसा किया गया

पैरा 104

[2009] 9 एससीआर 22

उस पर भरोसा करें

पैरा 104

[2015] 7 एससीआर 215

पैरा 106

संदर्भित किया गया है

[1983] 2 एससीआर 665

उस पर भरोसा करें

पैरा 109

[2003] 1 एससीआर 975

उस पर भरोसा करें

पैरा 109

[2009] 9 एससीआर 625

उस पर भरोसा करें

पैरा 109

[2015] 2 एससीआर 51

संदर्भित किया गया है

पैरा 111

[2013] 12 एससीआर 999

संदर्भित किया गया है

पैरा 111

[2018] 12 एससीआर 906

उस पर भरोसा करें

पैरा 114

[2011] 6 एससीआर 403

उस पर भरोसा करें

पैरा 114

[2011] 5 एससीआर 1019

उस पर भरोसा करें

पैरा 114

[2019] 16 एससीआर 672

उस पर भरोसा करें

पैरा 115

[1991] 2 एससीआर 451

उस पर भरोसा करें

पैरा 120

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं।

6009 2021 से।

हाई के 28.09.2018 दिनांकित निर्णय और आदेश से

विशेष सिविल आवेदन संख्या 9741 में अहमदाबाद में गुजरात का

2017 के सिविल आवेदन संख्या 1 के साथ।

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सिविल अपील सं। 6010 और 2021 का 6011। हरीश एन. साल्वे, ध्रुव मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता। , सुश्री रूबी सिंह आहूजा,

संदीप सिंघी, सुश्री दीप्ति सरीन, सुश्री स्विकृति सिंघानिया, नवीनदीप मट्टा, शमिक भट्ट, मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी, पीयूष जोशी, सेंथिल जगदीशन, सुश्री सुमिती यादव, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, उत्कर्ष शर्मा, मोहित बुधिराजा, सुश्री पिंकी मेहरा, सुश्री शिप्रा मल्होत्रा, सुश्री कावेरी वत्स, सौरभ अग्रवाल, दीपायन मंडल, अंशुमन चौधरी, ई. सी. अग्रवाल, राज बहादुर यादव, आशीष कुमार तिवारी, सुश्री दिव्या रॉय, सुश्री मधुमिता भट्टाचार्जी, मेसर्स खेतान एंड कंपनी, एड. उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एस. रवींद्र भाट, जे.

1. विशेष अवकाश दिया गया। इन अपीलों की सुनवाई पक्षों की ओर से पेश वकील की सहमति से की गई थी। कुछ रिट याचिकाओं को खारिज करने वाले गुजरात उच्च न्यायालय 1 के फैसले के खिलाफ अपीलें निर्देशित की जाती हैं। 2. उन कार्यवाहियों में, मुख्य अपीलकर्ता (जिसे इसके बाद "अडानी" कहा जाता है) ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (निकायों को शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तार करने के लिए अधिकृत करने वाले) विनियम, 2008 (जिसे इसके बाद "सी. जी. डी. विनियम" कहा जाता है) की विनियम 18 की

वैधता को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 (1) (जी) का उल्लंघन और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (जिसे इसके बाद "पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम" या "अधिनियम" कहा जाता है) की धारा 16 के अधिकार से परे बताते हुए चुनौती दी। अडानी ने गैस वितरण नेटवर्क बिछाने और उसके रखरखाव के लिए तीसरे प्रतिवादी (जिसे इसके बाद "गुजरात गैस" कहा जाता है) को प्राधिकरण देने को भी चुनौती दी थी। गुजरात गैस पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड द्वारा आयोजित एक नीलामी में प्राधिकरण हासिल करने में सफल रहा था (इसके बाद कहा जाता है)

" पी. एन. जी. आर. बी. "या" बोर्ड ")।

पृष्ठभूमि

3. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम 1.10.2007 पर लागू हुआ, और बोर्ड द्वारा किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (सामूहिक रूप से, "सी. जी. डी".) को बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकरण को अनिवार्य किया गया।

1 दिनांकित 28.09.2018।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कुछ क्षेत्रों को बाहर रखे जाने के बावजूद, 09.12.2013 पर प्राधिकरण का अनुदान स्वीकार कर लिया। 1.10.2015 पर, बोर्ड ने अहमदाबाद के उन विवादित क्षेत्रों में CGD नेटवर्क के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। अडानी ने इन क्षेत्रों के संबंध में अपना आवेदन-सह-बोली दस्तावेज प्रस्तुत किए। 5. इन क्षेत्रों को उसे दिए गए प्राधिकरण से बाहर रखे जाने से व्यथित महसूस करते हुए, अडानी ने कई राहतों की मांग करते हुए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को प्राथमिकता देते हुए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। दावा की गई प्रमुख राहत गुजरात गैस को प्राधिकरण के अनुदान को रद्द करना, दिनांक 28.11.2013 के पूर्व प्राधिकरण द्वारा विवादित क्षेत्रों के बहिष्कार पर सवाल उठाना और पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियमन 18 के अधिकारों को चुनौती देना था। अडानी ने यह भी तर्क दिया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के आधार पर, यह "मानित प्राधिकरण" के साथ एक इकाई के रूप में माने जाने का हकदार था।

6. पी. एन. जी. आर. बी. और गुजरात गैस, जिन्हें इस रूप में वर्गीकृत किया गया था

उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि अडानी की याचिका देरी और बाधाओं और वैकल्पिक उपायों की उपलब्धता के आधार पर खारिज की जा सकती है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अडानी को अपने आचरण के कारण मांगी गई राहत का दावा करने का अधिकार नहीं था। गुण-दोष के

आधार पर, पी. एन. जी. आर. बी. ने तर्क दिया कि अडानी को उसका दिनांकित 31.03.2008 पत्र आवश्यक था।

विवरण। उस समय, अडानी ने विनियमन [2021] 13 एस. सी. आर. की वैधता को चुनौती नहीं दी थी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

18 और इसके विपरीत, बिना किसी विरोध के 09.07.2008 दिनांकित पत्र द्वारा उस प्रावधान के तहत प्राधिकरण की मांग की। यह तर्क दिया गया था कि हालांकि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 को 2010 में लागू किया गया था, उस समय भी अडानी ने विवादित विनियमन की वैधता को चुनौती नहीं दी थी। इसके अलावा, अडानी ने बिना किसी विरोध के पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और विनियमन 18 की धारा 17 (2) के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन किया और इसमें भाग लिया। पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा निर्धारित सुनवाई। उस स्तर पर भी, एक "मानित अधिकृत" इकाई के रूप में इसकी पात्रता के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई थी, और अडानी ने पी. एन. जी. आर. बी. को आवश्यक विवरण प्रस्तुत किए। उत्तरदाताओं ने इशारा किया

यह बताते हुए कि 04.02.2013 पर, पी. एन. जी. आर. बी. ने कुछ नियमों और शर्तों पर एक अनंतिम प्राधिकरण पत्र जारी किया जिसमें विवादित क्षेत्र थे

बहिष्कृत। उस स्तर पर भी, विनियमन 18 को चुनौती नहीं दी गई थी; दूसरी ओर अडानी ने 28.10.2013 पर नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया। इसलिए याचिका का विरोध बहिष्कार, अनुमोदन-प्रत्यर्पण के सिद्धांत की प्रयोज्यता के साथ-साथ विलंब और गुण-दोष के आधार पर किया गया था।

7. उच्च न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद अपने फैसले में कहा कि अडानी ने इसके लिए आवेदन किया था और उन्हें इसके संबंध में प्राधिकरण दिया गया था - 2012 में उत्तर प्रदेश में खुर्जा क्षेत्र। वह प्राधिकरण विनियमन 18 के तहत जारी किया गया था। अडानी ने उस प्राधिकरण को स्वीकार किया और कभी नहीं

इसका विरोध किया; इसने अहमदाबाद के लिए पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा जारी पत्र के नियमों और शर्तों को भी स्वीकार कर लिया, जिसमें विवादित क्षेत्रों को शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद, अदानी द्वारा प्रदर्शन बैंक गारंटी भी प्रस्तुत की गई, और अंततः पी. एन. जी. आर. बी. ने विवादित क्षेत्रों को छोड़कर अहमदाबाद शहर और डस्क्रोई क्षेत्र के लिए अंतिम प्राधिकरण जारी किया। अदालत ने देखा कि विवादित क्षेत्र के लिए बोली 01.10.2015 पर जारी की गई थी और अडानी ने इसे चुनौती देने के बजाय बोली प्रक्रिया में भाग लिया। बोली में असफल होने के बाद ही याचिका दायर की

गई थी। उच्च न्यायालय ने पाया कि इसलिए सी. जी. डी. विनियमों के विनियम 18 को चुनौती केवल तभी दी गई जब यह अडानी की सुविधा के अनुकूल हो।

8. विवादित फैसले में तब उल्लेख किया गया कि इस अदालत ने अपने फैसले में 2001 2 के विशेष संदर्भ संख्या 1 (इसके बाद कहा गया) के रूप में रिपोर्ट किया।

" विशेष संदर्भ) ने फैसला सुनाया था कि सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 53, सूची I को देखते हुए, संसद के पास विशेष विधायी क्षमता थी, और केंद्र सरकार के पास विशेष कार्यकारी क्षमता थी।

प्राकृतिक गैस के विषय में, और यह कि राज्य सरकारों के पास इस तरह का कानून बनाने या प्राकृतिक गैस के विषय के संबंध में कोई प्राधिकरण देने का कोई अधिकार नहीं था। उच्च न्यायालय ने कहा कि:

2 (2004) 4 एससीसी 489।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" इसलिए संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के तहत अध्याय 4 के प्रावधानों के अधीन 'मानित प्राधिकरण' के संबंध में प्रावधान किया है जिसमें शामिल हैं -

पी. एन. जी. आर. बी अधिनियम की धारा 17। यदि प्रावधान में निहित है

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 में केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं और गैर-अधिकृत संस्थाओं के बीच अंतर का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं को निर्धारित दिन से पहले अपनी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

जबकि, अन्य संस्थाओं को पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (2) और 2008 के विनियमों के विनियम 18 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करना होगा। इस प्रकार, संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (2) को लागू करते समय ऐसी संस्थाओं को प्रतिवादी को प्राधिकरण के लिए आवेदन करने का मौका दिया था।

उन क्षेत्रों के संबंध में बोर्ड जिसमें वे नियत दिन से पहले सक्रिय थे। इस स्तर पर, यह भी ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि याचिकाकर्ता संख्या 1 ने गुजरात सरकार की अंतरिम नीति के आधार पर अहमदाबाद जिले में सी. जी. डी. नेटवर्क का काम शुरू किया। उक्त नीति स्वयं प्रदान करती है कि जब और जब गैस अधिनियम या कोई अन्य प्रासंगिक विनियमन

लागू होने पर याचिकाकर्ता संख्या 1 को विनियमन की आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा, गुजरात सरकार द्वारा दी गई एन. ओ. सी. भी निम्नलिखित के अधीन है - समान स्थिति। वास्तव में, राष्ट्रपति का संदर्भ गुजरात गैस अधिनियम और अंततः एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में था। (उपर्युक्त) ने गुजरात गैस अधिनियम की संवैधानिक वैधता को निरस्त कर दिया और कहा कि प्राकृतिक गैस के संबंध में,

केवल केंद्र सरकार के पास विधायी क्षमता है। इस प्रकार,

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने की तारीख से, यानी <आई. डी. 1 पर, केवल केंद्र सरकार के पास विधायी और कार्यकारी क्षमता है और इसलिए संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 में 'मानित प्राधिकरण' की शुरुआत की। इसलिए, जब संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 में 'मानित प्राधिकरण' की अवधारणा पेश की, तो यह केवल केंद्र सरकार के कार्यकारी आदेश/प्राधिकरण के तहत काम करने वाली संस्थाओं के संबंध में हो सकता है। यदि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 की व्याख्या ऐसे [2021] 13 एस. सी. आर. के बिना काम करने वाली संस्थाओं के लिए भी "मानित प्राधिकरण" के रूप में की जाती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

कार्यकारी आदेश/प्राधिकरण, ऐसी व्याख्या राष्ट्रपति द्वारा उत्तर दिए गए संदर्भ के विपरीत होगी

माननीय सर्वोच्च न्यायालय। जैसा कि ऊपर देखा गया है, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 अध्याय 4 के प्रावधानों के अधीन है जिसमें धारा 17 शामिल है।

12.1 . यदि हम पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 11,18,19 और 61 में निहित प्रावधानों पर विचार करते हैं, तो यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी बोर्ड को अधिनियम के तहत या तो आमंत्रित करने का अधिकार दिया गया है।

ऐसी पाइपलाइनों या शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए इच्छुक पक्षों से इसे भेजे गए आवेदनों पर निर्णय लेना और उक्त आवेदनों को पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण तरीके से तय किया जाना चाहिए जैसा कि विनियमों में प्रदान किया गया है। प्रतिवादी बोर्ड के कार्य को पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 11 (आई) के तहत परिभाषित किया गया है। इसके अलावा, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 61 अधिकार प्रदान करती है

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुरूप विनियम तैयार करने के लिए प्रत्यर्थी बोर्ड। अत: 2008 के विनियम बनाए गए। विनियम 18 (2) प्रत्यर्थी बोर्ड को विचार करने का अधिकार देता है।

अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करते समय विभिन्न मानदंड ऐसी संस्थाओं को प्राधिकरण और उनमें से एक वास्तविक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रगति के संबंध में है

कम से कम पँचिश शारीरिक प्रगति को निर्दिष्ट करने की प्रतिबद्धता

सी. जी. डी. के लिए चिन्हित पूंजीगत व्यय का कम से कम पच्चीस प्रतिशत और वित्तीय प्रतिबद्धता निर्धारित दिन से तुरंत पहले प्रस्तुत डी. एफ. आर. के अनुसार परियोजना को पर्याप्त माना जा सकता है। यदि कोई संस्था जो पहले से ही निर्धारित दिन से पहले केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना काम कर रही है, तो

प्रत्यर्थी बोर्ड यह देखने के लिए बाध्य हो जाता है कि काम की मात्रा और वित्तीय प्रतिबद्धता पर्याप्त है और इसलिए विनियमन 18 (2) (डी) में निर्दिष्ट शर्त को पी. एन. जी. आर. बी. के प्रावधानों के अधिकार क्षेत्र से बाहर नहीं कहा जा सकता है।

एक्ट करें। वास्तव में विवादित विनियमन पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में है।

12.2 . इस प्रकार, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 और 17 और ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड के विनियमों के विनियम 18 के संयुक्त पठन से।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

2008 , यह स्पष्ट होगा कि अन्य संस्थाएं भी प्रतिवादी बोर्ड से प्राधिकरण का दावा कर सकती हैं बशर्ते वे 2008 के विनियमों के विनियम 18 के परीक्षण को पूरा करें। वास्तव में,

उपरोक्त प्रावधान एक उचित अवसर प्रदान करते हैं -

अनधिकृत/अन्य संस्थाओं को भी नियत दिन से पहले किए गए काम के संबंध में प्राधिकरण का दावा करने के लिए बशर्ते कि काम उचित सीमा तक पूरा किया गया हो।

इस तर्क को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने अडानी के रिट को खारिज कर दिया

याचिका।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और विनियमों के प्रासंगिक प्रावधान

9. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम, धारा 16 के अपवाद के साथ, 1.10.2007 ("नियत दिन") को लागू हुआ। हालाँकि, धारा 16 को बाद में 12.07.2010 पर लागू किया गया था। देश के सभी हिस्सों में पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, विपणन, वितरण और बिक्री को विनियमित करने और प्रतिस्पर्धी बाजारों को बढ़ावा देने के लिए पी. एन. जी. आर. बी. की स्थापना की गई। अधिनियम की धारा 1 (4) घोषित करती है कि यह "शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण,

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री। धारा 2 (डी) "अधिकृत इकाई" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" ((घ) "प्राधिकृत निकाय" का अर्थ है एक निकाय।

(ए) धारा 15 के तहत बोर्ड द्वारा पंजीकृत

(i) किसी भी अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों का विपणन करना या

प्राकृतिक गैस, या ((ii)
तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनलों की स्थापना और संचालन करना,

या (बी) धारा 16 के तहत बोर्ड
द्वारा अधिकृत -

((i) किसी सामान्य वाहक को बिछाना, निर्माण करना, संचालित करना या उसका विस्तार करना या

संविदा वाहक, या

((ii) किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक संरचना को स्थापित करना, निर्माण करना, संचालित करना या उसका विस्तार करना।

गैस वितरण नेटवर्क; "

अधिनियम की धारा 2 (i) 'शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

" (i) गैस पाइपलाइनों का एक आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क और प्राकृतिक गैस को थोक आपूर्ति उच्च दबाव संचरण मुख्य से माध्यम तक ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले संबंधित उपकरण।

दबाव वितरण ग्रिड और बाद में घरेलू, औद्योगिक या वाणिज्यिक को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने वाले सेवा पाइपों के लिए

एक निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थित परिसर और सीएनजी स्टेशन

भौगोलिक क्षेत्र "।

धारा 2 (1) संपीड़ित प्राकृतिक गैस को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" (1) " संपीड़ित प्राकृतिक गैस या सी. एन. जी. का अर्थ है वाहनों के लिए ईंधन के रूप में उपयोग की जाने वाली प्राकृतिक गैस, जो आमतौर पर दबाव के लिए संपीड़ित होती है।

गैसीय अवस्था में 200 से 250 बार तक। धारा 2 (जेड. ए.) "प्राकृतिक गैस" को निम्नानुसार परिभाषित करती है:

" (ज़) "प्राकृतिक गैस" का अर्थ है बोर-होल से प्राप्त गैस और

मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन से युक्त और इसमें शामिल हैं

(i) तरल अवस्था में गैस, अर्थात्, तरलीकृत प्राकृतिक गैस और पुन: गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस,

((ii) संपीड़ित प्राकृतिक गैस,

(iii) अंतर्राष्ट्रीय पाइपलाइनों के माध्यम से आयातित गैस, जिनमें शामिल हैं -

सीएनजी या तरलीकृत प्राकृतिक गैस,

((iv) प्राकृतिक गैस के रूप में गैस हाइड्रेट्स से प्राप्त गैस

(v) कोयले की सीमों से प्राप्त मीथेन, अर्थात् कोल बेड मीथेन, लेकिन इसमें हीलियम शामिल नहीं है जो संयोजन में होता है।

ऐसे हाइड्रोकार्बन के साथ;

10. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 में किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने की इच्छा रखने वाली किसी भी संस्था के लिए बोर्ड द्वारा प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। धारा 17 से संबंधित है -

प्राधिकरण, और धारा 18 आवेदनों के प्रचार से संबंधित है। प्रावधान इस प्रकार हैं:

“ 16. प्राधिकरण। – कोई भी संस्था नहीं करेगी -

(क) एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में किसी भी पाइपलाइन को बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना;

(ख) किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक संरचना का निर्माण, संचालन या विस्तार करना।

प्राधिकरण प्राप्त किए बिना गैस वितरण नेटवर्क

इस अधिनियम के तहत:

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

((i) किसी भी पाइपलाइन को सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना। ((ii) किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार करना।

नियत दिन के तुरंत पहले यह समझा जाएगा कि इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन रहते हुए ऐसा प्राधिकरण है, लेकिन उद्देश्य या उपयोग में किसी भी बदलाव के लिए बोर्ड द्वारा दिए गए अलग प्राधिकरण की आवश्यकता होगी।

17. प्राधिकरण के लिए आवेदन।

(1) एक इकाई जो बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार कर रही है, या जो एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए बोर्ड को लिखित रूप में आवेदन करेगी:

बशर्ते कि एक इकाई बिछाना, निर्माण, संचालन या निर्धारित दिन से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में किसी भी पाइपलाइन का विस्तार करने से निर्धारित दिन से छह महीने के भीतर बोर्ड को ऐसी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(2) एक इकाई जो बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार कर रही है, या जो एक शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने का प्रस्ताव करती है, इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए लिखित रूप में आवेदन करेगी:

निर्धारित दिन से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का विस्तार करने से निर्धारित दिन से छह महीने के भीतर बोर्ड को ऐसी गतिविधियों का विवरण दिया जाएगा। (3) उप-धारा (1) या उप-धारा के तहत प्रत्येक आवेदन

(2) यह ऐसे रूप में और इस तरह से किया जाएगा और इसके साथ ऐसा शुल्क भी लगाया जाएगा जो बोर्ड द्वारा लिया जाए।

विनियम, निर्दिष्ट करें।

(4) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों और नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुरूप, बोर्ड या तो [2021] 13 एस. सी. आर. को अस्वीकार या स्वीकार कर सकता है।

उस पर किया गया आवेदन, ऐसे संशोधनों के अधीन या शर्तें, यदि कोई हों, जो वह उचित समझे।

(5) इनकार या सशर्त स्वीकृति के मामले में

आवेदन में, बोर्ड लिखित रूप में ऐसी अस्वीकृति या सशर्त स्वीकृति के लिए आधार दर्ज करेगा, जैसा भी मामला हो।

बनो।

18. आवेदनों का प्रचार। जब अधिसूचित पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पाद और प्राकृतिक गैस के विपणन के लिए पंजीकरण के लिए, या एक तरलीकृत प्राकृतिक गैस टर्मिनल की स्थापना और संचालन के लिए, या पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों या प्राकृतिक गैस के लिए ऐसी क्षमता से अधिक भंडारण सुविधाओं की स्थापना के लिए आवेदन, जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, स्वीकार किया जाता है, चाहे वह पूरी तरह से या शर्तों या सीमाओं के अधीन हो, तो बोर्ड, जितनी जल्दी हो सके, ऐसी स्वीकृति को जनता को ऐसे रूप और तरीके से बताएगा जो विनियमों द्वारा प्रदान किया जाए।

11. धारा 17 (2) संस्थाओं को प्राधिकरण के लिए पी. एन. जी. आर. बी. को आवेदन करने के लिए बाध्य करती है, और इसके परंतुक में कहा गया है कि ऐसी संस्थाएं जो निर्धारित दिन से पहले किसी भी समय केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत की गई थीं, वे छह महीने के भीतर बोर्ड को ऐसी गतिविधियों का विवरण प्रस्तुत करेंगी।

नियत दिन से। धारा 19 प्राधिकरणों के अनुदान का प्रावधान करती है, और निम्नानुसार है:

" 19. प्राधिकरण का अनुदान।

(1) जब, या तो आवेदन के आधार पर बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकरण

सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक या एक शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राप्त किया जाता है या स्वत: संज्ञान के आधार पर, बोर्ड एक राय है कि दो निर्दिष्ट बिंदुओं के बीच एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक को बिछाना, निर्माण करना, संचालित करना या विस्तारित करना, या एक शहर को बिछाना, निर्माण करना, संचालित करना या विस्तारित करना आवश्यक या समीचीन है या

एक निर्दिष्ट क्षेत्र में स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क

भौगोलिक क्षेत्र में, बोर्ड ऐसा करने के अपने इरादे का व्यापक प्रचार कर सकता है और इच्छुक पक्षों से ऐसी पाइपलाइनों या शहर को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए आवेदन आमंत्रित कर सकता है।

या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(2) बोर्ड एक उद्देश्य में एक इकाई का चयन कर सकता है और

ऐसे नियमों द्वारा निर्दिष्ट पारदर्शी तरीके से

गतिविधियाँ "।

12. सी. जी. डी. विनियम किसी भी इकाई पर लागू होते हैं जो सी. जी. डी. नेटवर्क को बिछाने, स्थापित करने, संचालित करने या विस्तारित करने का प्रस्ताव करती है, या जो सी. जी. डी. नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने का प्रस्ताव करती है। विनियम 2 (सी) एक 'अधिकृत क्षेत्र' को परिभाषित करता है।

" (ग) "अधिकृत क्षेत्र" से किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क (इसके बाद) के लिए निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र अभिप्रेत है।

सी. जी. डी. नेटवर्क के रूप में संदर्भित) इनके तहत अधिकृत

सी. जी. डी. नेटवर्क के बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए विनियम, जिसमें आर्थिक व्यवहार्यता और निकटता के मानदंडों के आधार पर व्यक्तिगत रूप से या उसके किसी भी संयोजन में निम्नलिखित श्रेणियां शामिल हो सकती हैं।

विनियमन 2 (जी) 'सी. जी. डी. नेटवर्क के विकास' को परिभाषित करता है: " (छ) "सी. जी. डी. नेटवर्क के विकास" का अर्थ है किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, निर्माण करना, संचालित करना या उसका विस्तार करना।

विनियम 2 (2) में प्रावधान है कि:

" (2) इन विनियमों में उपयोग किए गए और परिभाषित नहीं किए गए शब्द और अभिव्यक्तियाँ, लेकिन अधिनियम या नियमों या विनियमों में परिभाषित

इसके तहत बनाए गए, क्रमशः अर्थ होंगे अधिनियम में उन्हें सौंपा गया है "।"

"

13. सी. जी. डी. विनियमों का विनियम 18 उन संस्थाओं से संबंधित है जो केंद्र सरकार द्वारा रद्द नहीं की गई हैं, और निम्नलिखित प्रावधान करता है:

" 18. निर्धारित दिन से पहले सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं संस्था।

(2) बोर्ड अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करते समय निम्नलिखित मानदंडों पर विचार कर सकता है - प्राधिकरण, अर्थात्: -

(क) इकाई निर्धारित तिथि से पहले विनियमन 5 के उप विनियमन (6) के खंड (क) से (ङ) और (i) में निर्दिष्ट न्यूनतम पात्रता मानदंडों को पूरा करती है और इसका स्वामित्व रखती है।

सभी आवश्यक वैधानिक मंजूरी, अनुमति, नहीं केंद्र और राज्य से आपत्ति प्रमाण पत्र

सरकारें और अन्य वैधानिक प्राधिकरण;

(बी) एक इकाई जो अनुदान के लिए आवेदन जमा करने के समय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत नहीं है

प्राधिकरण एक कंपनी बनने का कार्य करेगा।

कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत:

बशर्ते कि बोर्ड किसी संस्था को कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकरण करने के लिए ऐसी शर्तों पर छूट दे सकता है जैसे कि वह

(ग) वास्तविक भौतिक प्रगति का संतोषजनक मूल्यांकन की गई और तत्काल वित्तीय प्रतिबद्धता

नियत दिन से पहले इकाई की तुलना में वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित डी. एफ. आर.

परियोजना। यदि परियोजना को किसी वित्तीय संस्थान द्वारा वित्त पोषित नहीं किया गया है, तो बोर्ड डी. एफ. आर. का मूल्यांकन कर सकता है। द.

इकाई के डी. एफ. आर. को स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करना चाहिए परियोजना का भौगोलिक क्षेत्र और यह भी निर्दिष्ट करें

सीएनजी और पी. एन. जी. के लिए प्रस्तावित कवरेज। मामले में

बोर्ड द्वारा डी. एफ. आर. की जांच

इकाई द्वारा प्रस्तावित भौगोलिक क्षेत्र, ग्राहक खंड, बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं, आदि, डी. एफ. आर. उप-इष्टतम और अस्वीकार्य पाया जाता है, बोर्ड प्राधिकरण जारी करने के लिए इकाई के मामले पर विचार नहीं कर सकता है;

(घ) खंड (ग) में निर्दिष्ट वास्तविक भौतिक प्रगति और उसकी वित्तीय प्रतिबद्धता के संबंध में, एक दानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

कम से कम पच्चीस प्रतिशत की शारीरिक प्रगति और निर्धारित दिन से ठीक पहले डी. एफ. आर. के अनुसार सी. जी. डी. परियोजना के लिए चिन्हित पूंजीगत व्यय के कम से कम पच्चीस प्रतिशत की वित्तीय प्रतिबद्धता को पर्याप्त माना जा सकता है।

(ङ) इकाई को अधिग्रहण या पट्टे के माध्यम से सी. जी. एस. के लिए भूमि की व्यवस्था करनी चाहिए थी और आवश्यक खरीद करनी चाहिए थी।

निर्धारित दिन से पहले सी. जी. एस. खड़ा करने के लिए उपकरण;

(च) बोर्ड वास्तविक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता को प्रमाणित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है और

प्राधिकृत क्षेत्र के लिए इकाई को प्राधिकृत करने पर विचार करें - (i) इसके डी. एफ. आर. में भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार;

नियत दिन तक कार्यान्वयन; या (ख) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र;

(छ) सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के संबंध में, यह इकाई के लिए है कि वह तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के लिए प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट लागू तकनीकी मानकों, विनिर्देशों और सुरक्षा मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता की पर्याप्तता पर बोर्ड को संतुष्ट करे, जिसमें सुरक्षा मानक और विनियमन 15 में निर्दिष्ट सेवा मानकों की गुणवत्ता शामिल है।

(ज) समय पर और पर्याप्त रूप से वित्तीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में इकाई की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन

किसी वित्तीय संस्थान द्वारा मूल्यांकन के अनुसार सी. जी. डी. नेटवर्क परियोजना का विकास करना और संस्था के लेखा-परीक्षित खातों की जांच करना;

(i) प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए दृढ़ व्यवस्था

सी. जी. डी. नेटवर्क द्वारा कवर किए जाने वाले अधिकृत क्षेत्र में मांग;

(जे) आवेदन की जांच के आधार पर बोर्ड द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले कोई अन्य मानदंड।

(3) खंड (ए) से (जे) के संदर्भ में आवेदन का मूल्यांकन समग्र रूप से मानदंडों की समग्र प्रकृति और अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

(4) बोर्ड, उप-विनियम (2) के तहत मानदंडों के संदर्भ में आवेदन की जांच करने के बाद और अन्य विनियमों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया यह विचार कर सकता है कि क्या मामले पर विचार किया जाना चाहिए।

(5) प्रथम दृष्टया विचार के मामले में, बोर्ड जारी करेगा एक राष्ट्रीय और एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र (वेब-होस्टिंग सहित) में एक सार्वजनिक सूचना जिसमें संक्षिप्त विवरण दिया गया है

परियोजना तैयार करें और प्रस्ताव पर किसी भी व्यक्ति से तीस दिनों के भीतर टिप्पणी और आपत्तियां, यदि कोई हों, मांगें।

(6) बोर्ड, उप-विनियम (5) के तहत टिप्पणियों और आपत्तियों, यदि कोई हो, की जांच करने के बाद, सी. जी. डी. नेटवर्क के लिए प्राधिकरण देने के मामले पर विचार कर सकता है या अस्वीकार कर सकता है।

(7) यदि प्राधिकरण देने का निर्णय लिया जाता है, तो यह अनुसूची डी के रूप में होगा।

(8) आवेदन की अस्वीकृति के मामले में, बोर्ड संबंधित पक्ष को अपने मामले को समझाने और आगे बढ़ने का उचित अवसर देने के बाद एक बोलने का आदेश पारित करेगा।

विनियमन 6 के संदर्भ में परियोजना के लिए एक उपयुक्त इकाई का चयन करें।

(9) यदि इकाई का चयन सी. जी. डी. नेटवर्क के लिए प्राधिकरण के अनुदान के लिए किया जाता है

(क) नेटवर्क शुल्क और सीएनजी के लिए संपीड़न शुल्क पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए नेटवर्क शुल्क का निर्धारण) के तहत निर्धारित किया जाएगा और

सी. एन. जी. के लिए संपीड़न शुल्क) विनियम 2008;

(ख) बोर्ड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 में निर्दिष्ट ऐसे नियमों और शर्तों पर विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकता है।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(ग) संस्था तकनीकी मानकों का पालन करेगी,

सुरक्षा मानकों सहित विनिर्देश जो नीचे निर्दिष्ट किए गए हैं

तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के लिए प्रासंगिक विनियम,

सुरक्षा मानकों सहित;

(घ) विनियम 9,13,14,15 और 16 के तहत प्रावधान

इकाई पर लागू होगा। '

अपीलार्थियों की दलीलें

14. वरिष्ठ वकील श्री हरीश साल्वे ने तर्क दिया कि विवादित फैसले ने पी. एन. जी. आर. बी. की धारा 16 की गलत व्याख्या की है।

अधिनियम और उसका परंतुक। घटनाओं के क्रम का उल्लेख करते हुए, इस बात पर प्रकाश डाला गया कि गैस पाइपलाइन की स्थापना का प्रारंभिक प्रस्ताव गुजरात सरकार के निमंत्रण पर था। अडानी ने 20.08.2001 पर प्रस्ताव रखा। राज्य सरकार ने 18.07.2002 से अपनी नीति तैयार की और अडानी ने उस नीति के तहत आवेदन किया। वाणिज्यिक और तकनीकी व्यवहार्यता पर विचार करने के बाद गुजरात सरकार ने दिनांक 27.04.2003 पर अनापत्ति प्रमाण पत्र (जिसे इसके बाद "NOC" कहा जाता है) जारी किया। इसके तुरंत बाद, अडानी ने विचाराधीन तीन क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कदम उठाए।

15. श्री साल्वे ने प्रस्तुत किया कि क्या राज्यों के पास इस संबंध में विधायी क्षमता और कार्यकारी अधिकार हैं प्राकृतिक गैस अनुच्छेद 143 के तहत एक संदर्भ का विषय बन गया। विशेष संदर्भ (ऊपर) में अपनी राय से, इस न्यायालय ने संदर्भ का उत्तर दिया और अभिनिर्धारित किया कि यह केवल संसद ही थी जो सातवीं अनुसूची की सूची I की प्रविष्टि 53 को ध्यान में रखते हुए

प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में संविधान, कानून और केवल केंद्र सरकार ही उपयुक्त नीतियां बना सकती है। इस राय को प्रभावी बनाने के लिए पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया गया था। यह अधिनियम 01.10.2007 पर लागू किया गया था। श्री साल्वे ने इच्छुक पक्षों से आवेदन मांगने वाले दिनांकित 31.10.2007 के एक प्रेस नोट की ओर अदालत का ध्यान आकर्षित किया। इसके बाद उन्होंने प्रस्तुत किया कि 31.03.2008 पर, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अडानी को अतीत में राज्य प्राधिकरण प्राप्त हुआ था,

पी. एन. जी. आर. बी. ने इसे धारा 17 (2) के तहत आवेदन करने के लिए कहा जो उसने 26.02.2008 पर किया था।

दिल्ली उच्च न्यायालय 3, जिसने प्रावधान को लागू करने का निर्देश दिया। इन कार्यवाहियों के परिणामस्वरूप केंद्रीय 3 3 वॉयस ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू. पी. (C) 8415/2009,20.01.2010 पर तय किया गया।

सरकार ने अंततः धारा 16 को अधिसूचित किया। श्री साल्वे ने आग्रह किया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान को प्राधिकरण मानने के इरादे से अधिनियमित किया गया था, और इसके द्वारा, इस क्षेत्र में काम करने वाली सभी संस्थाओं के नेटवर्क और सुविधाओं के कामकाज को बचाया और अनुमति दी गई थी।

पी. एन. जी. आर. बी. का अधिनियमन, और जिन्हें द्वारा प्राधिकरण प्रदान किया गया था केंद्र सरकार, क़ानून में कुछ नया पढ़ रही होगी जो मौजूद नहीं है। यह तर्क दिया गया था कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान स्पष्ट और स्पष्ट था और यह उन संस्थाओं को संदर्भित करता था जो नियत दिन से पहले इसमें सूचीबद्ध विभिन्न गतिविधियों में शामिल थीं, न कि केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं को।

17. यह प्रस्तुत किया गया था कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं के बीच अंतर नहीं करती है और अन्य, और केवल आवश्यक संस्थाएं जिनके पास केंद्रीय नहीं था

पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा बनाए गए विनियमों द्वारा निर्दिष्ट शब्दों में प्राधिकरण के लिए लिखित रूप में आवेदन करने का प्राधिकरण। केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं के लिए प्रक्रियात्मक आवश्यकता (पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (2) के अनुसार) प्रासंगिक विवरणों को सूचित करने के लिए थी। इसलिए पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 ने केंद्र सरकार और

अन्य संस्थाओं द्वारा अधिकृत संस्थाओं के बीच एक कृत्रिम अंतर नहीं बनाया। यह प्रस्तुत किया गया कि संसद पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले हुई बहस से अच्छी तरह वाकिफ थी, विशेष रूप से इस तथ्य से कि कई राज्यों ने पाइपलाइनों और नेटवर्क के निर्माण और बिछाने के लिए संस्थाओं को अधिकृत किया था, जो इस बीच सामने आए थे। इस संदर्भ में यह आग्रह किया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की प्रस्तावना और धारा 16 के प्रावधान में "संस्थाओं" का उल्लेख किया गया है न कि "केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं" का। धारा 16 के प्रावधान में किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने की भौतिक गतिविधि पर जोर दिया गया है, न कि इस तथ्य पर कि ऐसी गतिविधि के लिए प्राधिकरण पहले केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था या नहीं। यह आग्रह किया गया कि धारा 16 के परंतुक में एकमात्र अपवाद यह था कि उद्देश्य या उपयोग में परिवर्तन के लिए एक अलग प्राधिकरण की आवश्यकता थी। जब तक उद्देश्य या उपयोग में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तब तक किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को निर्धारित दिन से पहले बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने वाली संस्था (यानी केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्राधिकरण की परवाह किए बिना) को धारा 16 के तहत प्राधिकरण माना जाएगा।

18. विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (2) के संदर्भ में, सभी संस्थाओं को प्राधिकरण के लिए लिखित रूप में आवेदन करना था।

धारा 17 (3) के अधीन बनाए गए विनियम में विनिर्दिष्ट रूप और रीति। धारा 17 (4) के संदर्भ में, आवेदनों पर विचार (धारा 17 (2) के तहत किया गया) पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन था, जिसमें धारा 16 शामिल होगी। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा पूर्व प्राधिकरण की परवाह किए बिना सभी संस्थाएं, जो सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रही थीं

निर्धारित दिन से ठीक पहले पूरे क्षेत्र को अधिकृत माना जाता था। यह आग्रह किया गया कि केंद्र सरकार द्वारा किसी भी मानदंड और नीतिगत दिशानिर्देशों के अभाव में, संदर्भ

प्रा. Ltd.4 19. अपीलकर्ताओं ने विवाद किया कि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 के प्रावधानों को इसके तहत बनाए गए पेट्रोलियम नियमों के साथ पढ़ा जाता है और इसके लागू होने से पहले कुछ प्राधिकरणों और अनुमोदनों की आवश्यकता थी।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम को लागू करना। यह दावा किया गया कि उन प्रावधानों को केवल मुख्य विस्फोटक नियंत्रक से पाइपलाइन के डिजाइन और मार्ग पर अनुमोदन की आवश्यकता होती है। यह आग्रह किया गया कि पेट्रोलियम नियमों के तहत अधिकारियों को पाइपलाइनों के माध्यम से पेट्रोलियम के परिवहन से किसी विशेष इकाई को अधिकृत या प्रतिबंधित करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि उचित डिजाइन/मार्ग अपनाया जाता है।

20. विद्वान वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि विनियमन 18 के लिए पी. एन. जी. आर. बी. का औचित्य आधारहीन था। श्री साल्वे ने एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में इस न्यायालय द्वारा दी गई राय पर भरोसा किया, जिसमें कहा गया था कि राज्य। प्राकृतिक गैस के विषय पर कानून बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव था, और इसलिए, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाएं निम्नलिखित की तुलना में एक अलग आधार पर खड़ी थीं:

उनकी इकाइयाँ। यह आग्रह किया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 को धारा 17 के साथ पढ़ा जाए और इसमें केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं को शामिल किया जाए

4 (2010) 5 एससीसी 196।

5 (2004) 4 एससीसी 489।

[2021] 13

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक अलग तरह की मंजूरी लेने के लिए। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम इस न्यायालय द्वारा विशेष संदर्भ (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय के दो साल बाद अधिनियमित किया गया था। जब इसने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया, तो संसद ने नहीं किया

केंद्र सरकार और अन्य संस्थाओं द्वारा अधिकृत संस्थाओं के बीच अंतर करें, लेकिन वास्तव में उन गतिविधियों को करने वाली सभी संस्थाओं को शामिल किया जाता है जो निर्धारित दिन से पहले अधिनियम की विषय वस्तु थीं।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16, के अध्याय IV के प्रावधानों के अधीन

अधिनियम।

21. विद्वान वकील ने अडानी गैस लिमिटेड बनाम अडानी गैस लिमिटेड का हवाला दिया। भारत संघ ', और इस बात पर जोर दिया कि यह प्रावधान की प्रयोज्यता को मान्यता देता है

" पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के तहत प्राधिकरण माना जाता है, यहां तक कि केंद्र सरकार द्वारा पहले अधिकृत नहीं की गई इकाई के संबंध में भी। यह बताया गया कि अडानी ने वर्तमान मामले में अहमदाबाद जिले में 21.4.2003 से काम शुरू कर दिया था।

राज्य सरकार। अतः अपीलार्थी को स्वामित्व वाला माना जाएगा। धारा 16 के संदर्भ में प्राधिकरण।

22. इसके बाद यह तर्क दिया गया कि धारा 17 (4) ने बोर्ड को अधिनियम के प्रावधानों के अधीन आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार दिया है।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के तहत मानित अधिकृत संस्थाओं की ओर से विनियम 18 (2)। विनियमन 18 (2) उन संस्थाओं के लिए पात्रता मानदंड और/या वैधानिक दायित्व निर्धारित करता है जिन्हें माना जाता था अधिनियम की धारा 16 के तहत प्राधिकृत। विनियमन 18 (2) (1) ने पी. एन. जी. आर. बी. को किसी भी अन्य मानदंड को विकसित करने के लिए सर्वशक्तिमान शक्ति प्रदान की।

इसके लिए प्रासंगिक। इसने बोर्ड को धारा 16 में संसदीय इरादे को विफल करते हुए मानदंड तैयार करने का अधिकार दिया।

23. यह आग्रह किया गया कि धारा 61 (1) के तहत विनियमन बनाने की शक्ति अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के लिए एक सामान्य शक्ति थी। रिलायंस

इस न्यायालय के तीन फैसलों पर रखा गया था। ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ', पेट्रोलियम और प्राकृतिक

गैस नियामक बोर्ड v. इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड एंड ओआरएस और कुंज बिहारी लाल बुटैल बनाम। हिमाचल प्रदेश राज्य ', जहाँ यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बनाने की शक्ति

6 (2019) 3 एससीसी 641।

7 (2009) 15 एससीसी 570।

§ (2015) 9 एससीसी 209।

9 (2000) 3 एससीसी 40।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

एक सामान्य प्रतिनिधिमंडल था। यह आग्रह किया गया कि शक्ति का प्रयोग इस तरह से नहीं किया जा सकता है कि अधिनियम के प्रावधानों द्वारा विचार नहीं किए गए मूल अधिकारों, दायित्वों या अक्षमताओं को अस्तित्व में लाया जा सके। इसलिए यह था,

17 (2) अधिनियम से। इस प्रकार, पी. एन. जी. आर. बी. उपरोक्त कृत्रिम भेद पैदा करके संस्थाओं पर ठोस दायित्व निर्धारित नहीं कर सकता था, अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत। सीखा हुआ परामर्श

आग्रह किया कि इस अदालत ने अडानी गैस (उपरोक्त) में अपने फैसले में कहा कि उन संस्थाओं के मामलों में जिन्हें धारा 16 के तहत अधिकृत माना गया था, बोर्ड को केवल यह देखने का अधिकार था कि क्या कुछ सुरक्षा उपाय पर्याप्त होंगे। यह भी माना गया कि विनियमन 18 अनिवार्य नहीं था। यह आग्रह किया गया कि जिस हद तक विनियमन 18 में क्षेत्र (किसी भी मौजूदा इकाई के संचालन के) को कम करने का प्रावधान किया गया है, वह धारा 16 के विपरीत है, क्योंकि जिस क्षेत्र के लिए किसी इकाई को अधिकृत माना गया था, वह क्षेत्र नहीं हो सकता है।

द्विभाजित। विनियम 18 धारा 16 में मूल प्रावधान के दायरे को कम नहीं कर सका।

25. यह प्रस्तुत किया गया था कि विवादित क्षेत्रों को छोड़कर 28.11.2013 का प्राधिकरण आदेश एक गैर-भाषी आदेश था, और इसका उल्लंघन करता था

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत; यह पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (5) के प्रावधानों के विपरीत भी था जिसमें इस तरह के आदेश में कारणों को निर्धारित करने की आवश्यकता थी। इस तरह का गैर-बोलने वाला आदेश भी विनियमन 18 (8) का उल्लंघन था। वकील ने प्रस्तुत किया कि बहिष्कार के कारण दिए गए थे पी. एन. जी. आर. बी. के दिनांकित एफिडेविट 17.11.2016 में पहली बार जो अस्वीकार्य था क्योंकि बाद के एफिडेविट द्वारा किसी भी आदेश का समर्थन नहीं किया जा सकता था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने मोहिंदर सिंह गिल और अन्र पर भरोसा किया। वी. इस संबंध में मुख्य चुनाव आयुक्त, दिल्ली और अन्य। यह आगे कहा गया कि पी. एन. जी. आर. बी. ने अपने हलफनामे में एक रिपोर्ट पर भरोसा किया है।

दिनांक 18.2.2011 यह कहने के लिए कि निरीक्षण की तारीख तक उक्त क्षेत्रों में अडानी की उपस्थिति नहीं थी। वह रिपोर्ट आदेश के समय प्रदान नहीं की गई थी, यानी 28.11.2013 और पहली बार 6.6.2017 पर प्रदान की गई थी। इस प्रकार, यह तर्क दिया गया कि यह आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

10 (1978) 1 एससीसी 405।

26. अडानी को राज्य सरकार द्वारा नीति के तहत विवादित क्षेत्रों सहित पूरे अहमदाबाद जिले के लिए एनओसी प्रदान की गई थी।

राज्य सरकार से। सी. जी. डी. विनियमों के तहत किसी शक्ति पर भरोसा करके इस तरह के क्षेत्र को कम नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा कहा गया है कि

क्षेत्रों को एक बड़े क्षेत्र के साथ 1.10.2015 पर नीलामी के लिए रखा गया था, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विवादित क्षेत्र आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे

28. यह तर्क दिया गया था कि विवादित प्राधिकरण विनियमन 18 के साथ असंगत था। उस विनियमन के तहत, वास्तविक भौतिक मूल्यांकन करने के लिए प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता, नियत दिन पर उपस्थिति है

धारा 16 के दायरे को कम करके नहीं, बल्कि पूरे अहमदाबाद जिले में देखा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया गया था कि प्राधिकरण आदेश

दिनांक 28.11.2013 को यह कहने के लिए छोड़ दिया गया कि कैसे अडानी ने विनियमन 18 के तहत मानदंडों को पूरा नहीं किया। इसके विपरीत, 27.8.2010 की बैठक के कार्यवृत्त से पता चलता है कि अडानी के आवेदन ने अनुदान को पूरा किया भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में विनियमन 18 के तहत प्राधिकरण,

जिसमें अहमदाबाद शहर और आस-पास के क्षेत्र और डस्क्रोई शामिल थे। यह आग्रह किया गया कि अडानी ने पूरे अहमदाबाद जिले के लिए विनियमन 18 के संदर्भ में 25 प्रतिशत भौतिक प्रगति के मानदंडों को भी पूरा किया। पी. एन. जी. आर. बी. ने इस तथ्य को भी नजरअंदाज कर दिया कि अहमदाबाद जिले सहित किसी भी सी. जी. डी. नेटवर्क के लिए विकास कार्य की शुरुआत हमेशा एक बिंदु से होती है, यानी रैखिक प्रगति में, आम तौर पर, जहां पहले इनलेट गैस के लिए एक शहरी गैस स्टेशन स्थापित किया गया था, जो बाद में पूरे क्षेत्र में फैल गया। वर्तमान पी. एन. जी. आर. बी. मानदंडों के तहत भी, एक अधिकृत संस्था को प्रभार क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कम से कम 8 साल का समय दिया गया था। इसलिए, पी. एन. जी. आर. बी. ने अहमदाबाद जिले से गलत तरीके से क्षेत्रों को तराशा और विनियमन 18 के संदर्भ में ऐसे प्रत्येक क्षेत्र का परीक्षण किया, जिसकी अनुमति नहीं थी।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

29. यह तर्क दिया गया था कि अडानी ने एक प्रतिबंधित प्राधिकरण को स्वीकार करने में, या 2015 में बाद में निविदा प्रक्रिया में भाग लेने में सहमति नहीं दी या

उनके अधिकारों को माफ कर दें। इसने विवादित क्षेत्रों को हटाने के खिलाफ तुरंत विरोध किया। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधान धारा 16 (जो 12.7.2010 पर लागू हुआ) के अपवाद के साथ 1.10.2007 पर लागू हुए। मध्यावधि में, अडानी जैसी संस्थाएं थीं

31. विद्वान वकील ने आग्रह किया कि कुछ तथ्यों को स्वीकार करना या छूट देना एक ज्ञात अधिकार का जानबूझकर त्याग था। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 और धारा 17 की सही व्याख्या पर बहस की गई और कोई विवाद नहीं हुआ। नतीजतन, अडानी को राहत देने से इनकार करने के लिए सहमति या छूट के सिद्धांत पर भरोसा करना गलत है। विद्वान वकील ने मोती लाल पदमपत शुगर मिल्स

बनाम पर भरोसा किया। यू. पी. राज्य "। विद्वान वकील ने आगे कहा कि केवल देरी छूट के बराबर नहीं है और कानून के प्रावधानों के खिलाफ कोई रोक नहीं है। अदानी की ओर से तथाकथित देरी, छूट या सहमति का मांगी गई राहतों के संबंध में रिट याचिका की स्थिरता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 32. श्री साल्वे के अलावा विद्वान वरिष्ठ वकील श्री ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि अधिनियम के प्रावधानों का समग्र अध्ययन-विशेष रूप से

धारा 16 और 17-से पता चलता है कि जहां तक संस्थाओं का संबंध है, संसद ने कोई वर्गीकरण नहीं किया है। वर्गीकरण के संबंध में था

11 (1979) 2 एस. सी. सी. 409, पैरा 6-7।

केंद्र की परवाह किए बिना पी. एन. जी. आर. बी. के साथ भी इसी तरह का व्यवहार किया जाना था। सरकारी प्राधिकरण। नतीजतन, धारा 16 में डीमिंग प्राधिकरण खंड को प्रधानता दी जानी थी।

33. विद्वान वकील ने धारा 61 (2) (ई), (एच) और (एन) पर भरोसा किया। यह तर्क दिया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. की धारा के तहत विनियम बनाने की शक्ति

61 जनरल था। इसके विपरीत, यह पी. एन. जी. आर. बी. के कार्य की प्रकृति में निहित था कि इसे नियमों के माध्यम से कार्य करना था, कई

धारा 11 के संदर्भ में पहलू। विद्वान वरिष्ठ वकील ने अडानी पर भरोसा किया

गैस (ऊपर) यह आग्रह करने के लिए कि विनियमन 18 अनिवार्य नहीं था और पी. एन. जी. आर. बी. उस प्रावधान में निर्दिष्ट किसी भी एक या मानदंड के सेट को लागू करने का निर्णय ले सकता है। यह आग्रह किया गया कि अधिनियम में विशिष्ट प्रावधानों के रूप में किसी भी मानक या मौजूदा वैधानिक मार्गदर्शन के अभाव में, पी. एन. जी. आर. बी. किसी भी मानक को चुनने और चुनने के लिए खुद को अत्यधिक शक्ति से लैस करने के लिए विनियमन 18 नहीं बना सकता था। सीखी हुई वरिष्ठ

वकील ने इस बात पर जोर दिया कि यदि बोर्ड ऐसा चाहता है, तो वह धारा 17 के तहत आवेदनों की जांच करते समय एक इकाई के मामले में विनियमन 18 में उल्लिखित कुछ मानकों को लागू कर सकता है और दूसरी इकाई के मामले में केवल एक या कोई नहीं। इसलिए यह आग्रह किया गया कि विनियमन 18 में भेदभावपूर्ण क्षमता है और इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। सीखी हुई वरिष्ठ

वकील ने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बनाम इंद्रप्रस्थ गैस 1 2 में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और आग्रह किया कि धारा 17 के तहत आवेदनों के मूल्यांकन के संबंध में विनियमन निर्माण के संबंध में पी. एन. जी. आर. बी. को कोई वैधानिक मार्गदर्शन नहीं दिया गया था।

34. डॉ. ए. एम. सिंघवी, एक विद्वान वरिष्ठ वकील

हस्तक्षेपकर्ता, हरियाणा गैस ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या के संबंध में अडानी की ओर से की गई दलीलों को अपनाया। यह.

यह प्रस्तुत किया गया था कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले कोई कानूनी बाधाएं नहीं थीं, जो किसी भी संस्था को गैस पाइपलाइन या नेटवर्क बिछाने, रखरखाव और संचालन का व्यवसाय शुरू करने से रोकती हैं। इस कानूनी स्थिति को देखते हुए, संसद का इरादा "माना जाता है

12 1 2 2015 (9) एससीसी 209।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

धारा 16 के प्रावधान के तहत प्राधिकरण का प्रावधान उन नेटवर्कों को बचाने के लिए था जो स्थापित किए गए थे, या निर्माणाधीन थे। अन्यथा करना, और यह कहना कि केंद्र सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं करने वाली सभी संस्थाएं पी. एन. जी. आर. बी. के अधिनियमन के बाद काम नहीं कर सकतीं, इसका मतलब था कि ऐसे नेटवर्क, जो बड़ी कीमत पर लगाए गए थे, जो राष्ट्रीय परिसंपत्तियों का गठन करते थे, बर्बाद हो गए होंगे। यह आगे था प्रस्तुत किया कि धारा 17 (2) की आवश्यकता पर धारा 17 (4) के तहत पी. एन. जी. आर. बी. की शक्ति के आलोक में विचार किया जाना चाहिए, जिसका उपयोग धारा 16 द्वारा अधिनियमित "मानित प्राधिकरण" प्रावधान के आलोक में किया जाना आवश्यक था।

उत्तरदाताओं की दलीलें

35. भारत के विद्वान महान्यायवादी ने तर्क दिया कि विशेष संदर्भ (उपरोक्त) में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की राय से पहले, राज्य सरकारें इस आधार पर आगे बढ़ीं कि शहरों में खपत के लिए प्राकृतिक गैस का वितरण सूची II की प्रविष्टि 25 के तहत आएगा, और उनकी कार्यकारी शक्ति ने पाइपलाइन बिछाने और शहरों में प्राकृतिक गैस का वितरण करने के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस देने में सक्षम बनाया। हालाँकि, एक बार जब इस न्यायालय ने आई. डी. 1 पर अपनी राय दी, तो न्यायालय द्वारा कानून की स्थिति को स्पष्ट किया गया कि सूची I की प्रविष्टि 53 के कारण अकेले संसद प्राकृतिक गैस के संबंध में कानून बनाने में सक्षम थी। राज्य विधायी क्षमता के साथ-साथ प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क स्थापित करने के लिए प्राधिकरण या लाइसेंस जारी करने की कार्यकारी शक्ति से वंचित थे।

36. एक बार विधायी शक्तियों का संवैधानिक सीमांकन था

इस अदालत द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया गया, परिणाम यह था कि प्राकृतिक गैस वितरण के संचालन के लिए राज्यों द्वारा दिए गए सभी लाइसेंस या प्राधिकरण

नेटवर्क को अमान्य कर दिया गया था और इसका कोई कानूनी प्रभाव नहीं था। यह तर्क दिया गया कि इसी पृष्ठभूमि में पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया गया था। धारा 11 में बोर्ड के कार्यों को निर्धारित किया गया है, जिसमें शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, बनाने, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को अधिकृत करने की शक्ति शामिल है। हालांकि धारा 16 को 01.10.2007 पर लागू नहीं किया गया था, धारा 17 जो उस तारीख से प्रभावी थी, ने PNGRB को CGD गतिविधियों को अधिकृत करने का अधिकार दिया। धारा 17 ने यह भी अनिवार्य किया कि प्राधिकरण के लिए एक आवेदन बोर्ड को लिखित रूप में किया जाएगा और बोर्ड किसी भी आवेदन को अनुमति या अस्वीकार कर सकता है।

37. यह आग्रह किया गया था कि धारा 17 (2) द्वारा तैयार की गई योजना के तहत प्राधिकरण के लिए एक लिखित आवेदन किया जाना था एक्ट करें। जैसा कि धारा 11 ने बोर्ड को प्राधिकरण देने का अधिकार दिया, [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पी. एन. जी. आर. बी. को आवेदन करना था। यह प्रावधान स्पष्ट रूप से शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने और संचालन से संबंधित था जिसे पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। अकेले केंद्र सरकार संविधान के अनुच्छेद 73 के तहत ऐसे लाइसेंस या प्राधिकरण जारी करने के लिए सक्षम थी। विशेष संदर्भ (ऊपर) में इस न्यायालय की राय को देखते हुए वे कानून की नजर में वैध थे। केंद्र सरकार के प्राधिकरण वाली संस्थाओं को अधिनियम लागू होने की तारीख से छह महीने के भीतर केवल पी. एन. जी. आर. बी. को अपनी गतिविधियों का विवरण देना था और वे प्राकृतिक गैस वितरण संचालित करने के हकदार थे।

उन प्राधिकरणों के संदर्भ में नेटवर्क। तथापि, धारा 17 (3), (4) और (5) उन मामलों से संबंधित है जहां धारा 17 (1) या (2) के तहत, पी. एन. जी. आर. बी. को अधिकार देने के लिए सीधे आवेदन किए गए थे, पाइपलाइन या नेटवर्क का निर्माण, संचालन या विस्तार करें। ये आवेदक कर सकते हैं

यह दो श्रेणियों में आता है। सबसे पहले निर्धारित तिथि से तुरंत पहले प्राकृतिक गैस नेटवर्क बिछाने या संचालित करने वाली संस्थाएं थीं।

दूसरी श्रेणी उन नए प्रवेशकों के लिए थी जिन्होंने गैस पाइपलाइन या नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकरण की मांग की थी। पी. एन. जी. आर. बी. इन दोनों के आवेदनों पर विचार करने का हकदार था। आवेदकों की श्रेणियां, और या तो उन्हें स्वीकार करें या अन्य

बातों के साथ-साथ केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंडों और नीति दिशानिर्देशों को लागू करके उन्हें अस्वीकार करें।

सरकार।

38. यह रेखांकित किया गया कि धारा 16, जो 15.07.2010 पर लागू हुई थी, दो श्रेणियों से संबंधित थी। एक, एक नया प्रवेशक जिसने सी. जी. डी. गतिविधियों को करने का प्रस्ताव रखा, जिसे सी. जी. डी. से प्राधिकरण प्राप्त करना था

अधिनियम और विनियमों के तहत। एक दूसरी श्रेणी थी, यानी संस्थाएं, जो इससे पहले सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रही थीं। नियुक्त तिथि कानूनी रूप से वैध तरीके से, यानी केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण के तहत और राज्य सरकार द्वारा नहीं। महान्यायवादी ने यह भी बताया कि धारा 16 के परंतुक में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि निर्धारित दिन से तुरंत पहले प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने या संचालित करने वाली संस्थाओं को "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन" ऐसा प्राधिकरण माना जाएगा। इसका अर्थ धारा 17 के प्रावधानों के अधीन भी था। इसलिए, "माना जाता है

धारा 16 के प्रावधान के तहत "प्राधिकरण" केवल संस्थाओं ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड पर लागू होगा।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिसे नियत तिथि से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था।

39. यह आग्रह किया गया था कि अडानी गैस (उपरोक्त) में इस न्यायालय द्वारा अपनाई गई व्याख्या, यानी कि मानित प्राधिकरणों में इकाइयाँ शामिल हैं।

राज्य सरकार द्वारा अधिकृत, और यह कि विनियमन 18 की आवश्यकताएँ निर्देशिका थीं, गलत थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अडानी गैस (ऊपर) की पीठ ने विशेष संदर्भ (ऊपर) में बाध्यकारी, पांच न्यायाधीशों की पीठ की राय को ध्यान में नहीं रखा, जिसके कारण यह स्पष्ट था कि संबंधित सभी पहलुओं को विनियमित करने के लिए विधायी क्षमता

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों (प्राकृतिक गैस सहित) के लिए संसद की और नीतियों को तैयार करने की कार्यकारी शक्ति केंद्र सरकार की थी।

40. श्री पारस कुहाड़, विद्वान वरिष्ठ वकील

दूसरे प्रतिवादी पी. एन. जी. आर. बी. ने तर्क दिया कि 1974 के बाद से हर समय, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (जिसे इसके बाद "1934 का अधिनियम" कहा जाता है) के संयुक्त प्रभाव के आधार पर, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (अधिग्रहण)

भूमि में उपयोगकर्ता का अधिकार) अधिनियम, 1962 (जिसे इसके बाद "1962 का अधिनियम" कहा जाता है), पेट्रोलियम नियम, 1976 (जिसे इसके बाद "1976 के नियम" कहा जाता है), और पेट्रोलियम नियम, 2002 (जिसे इसके बाद "2002 के नियम" कहा जाता है), संसद द्वारा अधिनियमित और प्रवेश सूची I के अनुसार उन कानूनों के तहत (केंद्र सरकार द्वारा) बनाए गए। पेट्रोलियम का परिवहन (प्राकृतिक गैस के पेट्रोलियम का हिस्सा होने के साथ-जैसा कि विशेष संदर्भ के पैरा 40 में माना गया है), केंद्र सरकार के साथ नियामक के रूप में एक नियामक व्यवस्था मौजूद थी। इस प्रकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन केवल केंद्र सरकार की संतुष्टि पर बिछाई जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार के मुख्य नियंत्रक द्वारा मार्ग की मंजूरी, डिजाइन, निर्माण और पाइपलाइन के काम करने जैसे विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए दो निर्दिष्ट बिंदुओं (1962 के अधिनियम की धारा 3 और 6 के आधार पर) के बीच ऐसी पाइपलाइन बिछाना आवश्यक था। केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण जारी करने और राज्य द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद, संतुष्टि एक व्यापक परियोजना रिपोर्ट (1976 के नियमों के नियम 89 और 2002 के नियमों के कारण) पर आधारित थी

केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार या निगम के पक्ष में एक आदेश जारी करने के अनुसार, सरकार ने निहित करने का निर्देश दिया

पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार के उत्तरार्द्ध में (1962 के अधिनियम की धारा 6 (4) के साथ पठित धारा 7 (1))।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

41. यह प्रस्तुत किया गया कि इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 17 (1) और (2) ने सभी "निर्माणाधीन" पाइपलाइनों या नेटवर्कों के लिए अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना अनिवार्य बना दिया, सिवाय इसके कि

केंद्र द्वारा पहले से अधिकृत पाइपलाइनों या नेटवर्कों के लिए सरकार। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 48 ने प्राधिकरण प्राप्त किए बिना पाइपलाइनों के निर्माण या संचालन को अपराध घोषित कर दिया।

42. पी. एन. जी. आर. बी. की ओर से यह आग्रह किया गया था कि धारा 16

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की व्याख्या धारा 17 और 48 के आलोक में की जानी थी और

इस प्रकार, धारा 16 ने हर "निर्माणाधीन" पाइपलाइन, कानूनी या अवैध, को "मानित प्राधिकरण" के साथ नहीं पहना। धारा 17 की विनियामक व्यवस्था की अनिवार्य प्रयोज्यता को धारा 16 द्वारा दोहराया गया था, जिसमें कहा गया था कि मानित प्राधिकरण इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन होंगे। धारा 16

के चालू होने पर, निर्माणाधीन पाइपलाइनों वाली संस्थाएं, जिन्होंने धारा 17 के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था, लेकिन जिनका काम धारा 48 के कारण निलंबित था, प्राधिकरण के लिए उनके आवेदन पर अंतिम निर्णय लंबित रहने तक, अपने जोखिम और लागत पर निर्माण गतिविधियों को फिर से शुरू करने की हकदार बन गईं। धारा 16 द्वारा बनाई गई कल्पना इस सीमित उद्देश्य के लिए थी। यह प्रस्तुत किया गया था कि अवैध पाइपलाइनों का उल्लंघन किया गया था

1934 के अधिनियम को मानित प्राधिकरण देने का इरादा नहीं था। दूसरा, किसी भी मामले में, इस तरह के मानित प्राधिकरण का 'इस अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने' की आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता है। द.

धारा 16 के परंतुक में स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि इसका संचालन "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन" था। समान रूप से लागू अंतिम नियम वह था जो "अधिनियम के प्रावधानों" यानी पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार, केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत इकाई के अलावा पाइपलाइन बिछाने वाली प्रत्येक इकाई को पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और विनियमों के तहत प्रदान की गई ऐसी व्यवस्था की विशेषताओं के साथ धारा 17 (4) के संदर्भ में 2006 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना था। ये थे:

(क) विनियमों (धारा 19) के अनुसार किसी इकाई का प्रतिस्पर्धी चयन;

(ख) परिवहन शुल्क की खोज और निर्माण के लिए प्रतिबद्धता

(ग) सभी पाइपलाइनों/नेटवर्कों को दी गई विशिष्टता/एकाधिकार की अवधि समाप्त होने के बाद खुली पहुंच व्यवस्था लागू करना।
उन्हें (धारा 21 को धारा 20 (1) और (4) के साथ पढ़ा जाता है); अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(घ) सभी पाइपलाइनों/नेटवर्कों को सुरक्षा और पूर्व और बाद की कमीशनिंग शर्तों/मानकों/दायित्वों सहित कड़े योग्यता मानकों के अधीन करना। (2008 के सी. जी. डी. प्राधिकरण विनियम)।

43. यह आग्रह किया गया कि अहमदाबाद शहर के लिए प्राधिकरण का अनुदान और विवादित क्षेत्रों, यानी साणंद, बावला और ढोलका के लिए प्राधिकरण से इनकार एक ही आदेश दिनांक 28.11.2013 में था। अडानी के पास इसे स्वीकार करने या अस्वीकार करने का विकल्प था। अहमदाबाद शहर और डस्करोई के लिए प्राधिकरण और विशिष्टता के अनुदान पर स्पष्ट रूप से स्वीकार करने और कार्रवाई करने के बाद, और साणंद, बावला और ढोलका के लिए प्राधिकरण से इनकार करने के बाद, यह अहमदाबाद शहर के लिए आदेश के फल का आनंद लेते हुए, उसी आदेश के दूसरे हिस्से पर सवाल नहीं उठा सकता था, जिस हद तक उसने प्राधिकरण को उक्त क्षेत्र तक सीमित कर दिया था। इस न्यायालय ने बार-बार यह

अभिनिर्धारित किया है कि एक व्यक्ति एक साधन के तहत लाभ उठा रहा है, जो दोनों लाभ प्रदान करता है। और एक बोझ लगाता है, बाद वाले का पालन किए बिना पहले वाले को नहीं ले सकता है। रिलायंस को श्याम टेलीलिंक लिमिटेड बनाम पर रखा गया था। भारत संघ 1 3. यह प्रस्तुत किया गया था कि अडानी ने बिना किसी विरोध के बोली प्रक्रिया के नियमों और शर्तों को स्वीकार कर लिया था और अब उन्हें इसे चुनौती देने से रोक दिया गया था। रिलायंस को मेसर्स टाफ्कॉन प्रोजेक्ट्स [आई] (पी) लिमिटेड बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य 1 4 पर भी रखा गया था।

44. इस बात पर भी प्रकाश डाला गया कि अदानी ने उस प्रक्रिया का पालन करते हुए उसे दिए गए प्राधिकरणों को स्वीकार कर लिया, जिसे उसने अब किसी भी स्तर पर अपनी "मानित प्राधिकरण" स्थिति का दावा किए बिना चुनौती दी है, जिसमें खुर्जा भौगोलिक क्षेत्र 1.515 एक उदाहरण है। अब हालांकि, अडानी ने विनियमन 18 की वैधता को चुनौती दी है जब लखनऊ जी. ए., उदयपुर जी. ए., जयपुर जी. ए. और वर्तमान मामले में प्राधिकरण के लिए उसके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि अडानी को विनियमन 18 को चुनौती देने से उसके आचरण से वंचित कर दिया गया था।

45. यह तर्क दिया गया था कि पाइपलाइन का निर्माण केवल शक्ति पर किया जाता है

राज्यों द्वारा जारी एन. ओ. सी. को संसद द्वारा संरक्षित किए जाने के योग्य के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। सी. जी. डी. विनियमों ने जांच के बाद ऐसी पाइपलाइनों को बचाने की कोशिश की जो व्यवहार्य, इष्टतम, सुरक्षित, कार्यान्वयन में सक्षम और वास्तव में निर्माणाधीन थीं। यह तर्क दिया गया था कि 2008 के विनियमों का विनियम 18, प्रत्येक "निर्माणाधीन" पाइपलाइन (केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत पाइपलाइनों को छोड़कर) को बाध्य करता है।

13 1 3 (2010) 10 एस. सी. सी. 138।

14 2004 (13) एससीसी 788। 15 4.12.2012 पर प्राधिकरण दिया गया।

चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा करना और उसमें सफल होना, इसकी प्रतिस्पर्धी शुल्क बोली और निर्माण के लिए प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर

बुनियादी ढांचा। इस बात पर जोर दिया गया कि एक को स्वीकार या अस्वीकार करने की शक्ति

प्राधिकरण के लिए आवेदन (धारा 17 (4), चयन की प्रक्रिया निर्धारित करने की शक्ति (धारा 19 (2) और पाइपलाइन/नेटवर्क बिछाने के लिए प्राधिकरण देने की शक्ति (धारा 20 (3)), बोर्ड की एक विवेकाधीन शक्ति है। इसका अभ्यास "निष्फल निवेश" से बचने और "देश भर में प्राकृतिक गैस के

वितरण को सुरक्षित करने" के धारा 20 (5) में बताए गए विधायी उद्देश्यों के अधीन है। पी. एन. जी. आर. बी. ने प्रस्तुत किया कि 2008 के विनियमों के विनियम 18 में मुख्य रूप से निम्नलिखित का मूल्यांकन करने की मांग की गई है:

(क) परियोजना को लागू करने के लिए आवेदक इकाई की प्रबंधकीय, तकनीकी और वित्तीय क्षमता (विनियमन 18 (2) (क));

(बी) परियोजना की व्यवहार्यता, इसके मार्ग/भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, ग्राहक खंड (औद्योगिक, वाणिज्यिक, घरेलू, परिवहन आदि) और बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएँ (स्टील इंच-किमी पाइपलाइन, सीएनजी स्टेशन, पी. एन. जी. कनेक्शन आदि) और पाइपलाइनों/नेटवर्कों का डिजाइन और निर्माण, जो परिवहन प्रणाली के अनुरूप नहीं हैं।

लागू तकनीकी और सुरक्षा मानक (विनियमन 18 (2) (ई) और

(जी)); (ग) पाइपलाइनें/नेटवर्क, जो वास्तव में निर्माणाधीन हैं, जो बिछाई और बनाए जाने की प्रक्रिया में हैं,

निर्माण-भूमि की उपलब्धता, मंजूरी द्वारा प्रदर्शित और अनुमतियाँ, निर्माण उपकरण, वित्तीय क्षमता (निवल मूल्य), न्यूनतम वित्तीय प्रतिबद्धता (25 प्रतिशत) आदि। (विनियम 18 (2) (घ) और

(ई))।

46. धारा 19 (1), लागू अनुसूची और नियामक मानकों के संदर्भ में, बोर्ड ने भौगोलिक क्षेत्र को अधिकृत करने के लिए निर्धारित किया।

2008 के विनियमों के विनियम 18 ने इन कारकों के अस्तित्व के मूल्यांकन के लिए प्रावधान किया, जो अकेले यह प्रदर्शित कर सकते थे कि यह था

प्रस्तावित पाइपलाइन/नेटवर्क नहीं, बल्कि एक पाइपलाइन/नेटवर्क जो वास्तव में बिछाया या बनाया जा रहा था और व्यवहार्य, इष्टतम और सुरक्षित था

पीएनजीआरबी अधिनियम के उद्देश्य।

47. गुजरात गैस की ओर से पेश श्री पी. एस. नरसिम्हा ने महान्यायवादी द्वारा की गई दलीलों को दोहराया। यह प्रस्तुत किया गया कि

अडानी को मनमानेपन की शिकायत करने से रोकने के लिए अप्रूबेट और रिप्रोबेट का सिद्धांत लागू किया गया।

48. यह आग्रह किया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी एन. ओ. सी. या प्राधिकरणों को मान्य नहीं करता है।

इसने केवल एक ढांचा प्रदान किया जिसके तहत निर्धारित तिथि से तुरंत पहले सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम देने वाली संस्थाओं को पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने का मौका दिया गया था। यह धारा 17 ही थी जिसने संस्थाओं को केंद्र सरकार वाली संस्थाओं के रूप में वर्गीकृत किया।

प्राधिकरण और इसके बिना। विद्वान वकील ने आग्रह किया कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16,17 और 19 को सी. जी. डी. के विनियमन 18 के साथ पढ़ा जाए।

विनियमों ने वह ढांचा प्रदान किया जिसके द्वारा अधिनियम के तहत एक प्राधिकरण एक इकाई द्वारा प्राप्त किया जा सकता है जो निर्धारित तिथि से पहले केंद्र सरकार के प्राधिकरण के बिना सी. जी. डी. नेटवर्क बिछा रही थी। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 प्राधिकरण प्रदान या निहित नहीं करती थी, लेकिन "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन" थी और इस प्रकार अध्याय के तहत प्राधिकरण प्राप्त करने की आवश्यकता वाले प्रावधानों के अधीन थी। प्राधिकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया विनियमन 18 के साथ पठित धारा 17 और 19 द्वारा नियंत्रित थी। अडानी का यह तर्क कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 ने पूरी "परियोजना" को संरक्षित किया, जिसे संस्था ने लागू करने का इरादा किया था (और इसलिए उसने दावा किया कि पूरे अहमदाबाद जिले के लिए "मानित" प्राधिकरण) की विशिष्ट भाषा के दायरे से बाहर था। धारा 16 का परंतुक, जो केवल नियत दिन से ठीक पहले एक सी. जी. डी. नेटवर्क "बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार" करने वाली इकाई पर लागू होता है, इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन ऐसा प्राधिकरण माना जाएगा। इसने इकाई के किसी भी "इरादे" का उल्लेख नहीं किया। इसलिए, डीमिंग प्रावधान का दायरा बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के विशिष्ट कार्य तक सीमित था।

एक सी. जी. डी. नेटवर्क नियत दिन से तुरंत पहले; यह उतना विस्तृत नहीं था जितना कि "इच्छित" कार्यों को शामिल करने के लिए। यह बताया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. की साइट निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 18.02.2011 में कहा गया है कि विवादित क्षेत्रों में साइट पर काम नहीं किया गया था।

49. श्री नरसिम्हा ने प्रावधान की अडानी की व्याख्या का खंडन किया

धारा 16 को प्रस्तुत किया और प्रस्तुत किया कि इसके द्वारा अधिनियमित काल्पनिक कल्पना केवल केंद्र सरकार की अधिकृत संस्थाओं को बचाने के लिए थी। उन्होंने आग्रह किया कि धारा 16 की स्पष्ट शर्तों को ध्यान में रखते हुए, जो अन्य प्रावधानों (धारा 17 सहित) के अधीन थी, एकमात्र व्यवहार्य व्याख्या यह होगी कि यह उन संस्थाओं को शामिल करती है जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण दिया गया था, जिनके पास ऐसा करने का विशेष अधिकार क्षेत्र था। यह प्रस्तुत किया गया था कि एक काल्पनिक कल्पना सीमित होनी चाहिए, और इसे उस उद्देश्य से आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए इसे अधिनियमित किया गया था; उन्होंने निर्भरता [2021] 13 एस. सी. आर. रखी।

50. मैसर्स ग्रीन गैस लिमिटेड की ओर से पेश अधिवक्ता श्री सौरव अग्रवाल ने तर्क दिया कि ऐतिहासिक रूप से 22 क्षेत्रों के लिए संस्थाओं को केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत किया गया था। ऐसी सभी इकाइयाँ केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम द्वारा प्रवर्तित इकाइयाँ थीं, जिनमें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (जिसे इसके बाद "गेल" कहा जाता है) तब से एक हितधारक थी जब से गेल थी। संबंधित केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के निर्देशों के तहत प्रशासित मूल्य निर्धारण तंत्र (जिसे इसके बाद "एपीएम" कहा जाता है) प्राकृतिक गैस को संभालना। इसी तरह, केंद्र सरकार के स्वामित्व वाली अन्य तेल विपणन कंपनियां (इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एचपीसीएल) भी हितधारक थीं और उन्होंने तकनीकी ज्ञान और ऐसे उत्पादों को संभालने के अनुभव के साथ स्थापित वितरण नेटवर्क (जैसे, खुदरा स्टेशन, पाइपलाइन, आदि) प्रदान किया। सभी

उपरोक्त संस्थाओं को केंद्र सरकार से एपीएम गैस का आवंटन किया गया था। ऐसी सभी संस्थाओं को आवश्यक स्थानीय अनुमतियाँ दी जानी थीं और साथ ही इसके तहत अधिकृत संस्थाएं मानी जाती थीं।

पीएनजीआरबी अधिनियम। 51. गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, एक राज्य सार्वजनिक उपक्रम (मेसर्स गुजरात गैस लिमिटेड) ऐतिहासिक रूप से (विशेष संदर्भ से बहुत पहले) था।

राज्य सरकार और केंद्र से अनुमति के तहत काम करना सरकार। इकाई के पास उन क्षेत्रों के लिए केंद्र सरकार का अनुसमर्थन था। इसने धारा के तहत पी. एन. जी. आर. बी. को प्राधिकरण देने के लिए आवेदन किया।

17 (2) और इस तरह का अधिकार दिया गया था। यह आग्रह किया गया कि 25.03.2004 पर विशेष संदर्भ (ऊपर) में निर्णय के बाद और उक्त निर्णय के आधार पर, अन्य राज्य सरकारों ने प्राकृतिक गैस वितरण के संबंध में नीतियां बनाईं और अपनी पसंद की निजी संस्थाओं को स्थानीय अनुमति जारी की, क्योंकि केंद्र सरकार ने पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बढ़ावा देने वाली संस्थाओं को प्राकृतिक गैस का वितरण करने के लिए अधिकृत कर दिया है। इसलिए, एक ओर, सी. जी. डी. परियोजना को लागू करने के लिए राज्य सरकार से स्थानीय अनुमति की प्रतीक्षा कर रहे गैस आवंटन के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम-प्रवर्तित केंद्र सरकार अधिकृत निकाय थे। दूसरी ओर, राज्य सरकार ने ऐसी संस्थाओं को स्थानीय अनुमति नहीं दी और इसके बजाय अपनी पसंद की निजी संस्थाओं को बिना किसी गैस आवंटन के सी. जी. डी. अवसंरचना स्थापित करने की अनुमति दी।

16 1979 (4) एस. सी. सी. 295। 17 2005 (13) एस. सी. सी. 212.

18 2000 (2) एससीसी 699।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

52. विद्वान वकील ने केंद्र द्वारा एक हलफनामे को संदर्भित किया

सरकार ने आई. ए. No.270/2008 में एम. सी. मेहता बनाम में बड़े बैच के मामले में दायर किया। भारत संघ ", स्पष्टीकरण और घोषणा की मांग करते हुए कि विशेष संदर्भ (उपरोक्त) को देखते हुए ऐसे सभी राज्य सरकार एन. ओ. सी./अनुमतियाँ असंवैधानिक थीं। उस आवेदन (आई. ए. No.270/2008) का निपटारा अदालत के आदेश दिनांक 07.04.2017 द्वारा निम्नलिखित शब्दों में किया गया था:

" इस आवेदन में की गई प्राथमिक प्रार्थना एक के लिए है

घोषणा की कि केंद्र सरकार विशेष रूप से है

प्राकृतिक गैस के संचरण और आपूर्ति, शहरी गैस वितरण आदि सहित प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी मामलों के संबंध में नीति तैयार करने और लागू करने का अधिकार।

विद्वान सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि विशेष संदर्भ संख्या 1 में राष्ट्रपति के संदर्भ में इस न्यायालय के निर्णय को देखते हुए

(2004) 4 एस. सी. सी. 489 में रिपोर्ट किए गए 2001 के साथ-साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार, इस आवेदन में आगे कोई आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है और आवेदन का तदनुसार इस न्यायालय के साथ-साथ अधिनियम के निर्णय के संदर्भ में निपटारा किया जाता है।

53. श्री अग्रवाल ने गलत के रूप में विरोध किया, अडानी का निवेदन कि धारा 16 में "मानित प्राधिकरण" प्रावधान की कल्पना की गई थी व्यापक लोक हित में, उन सभी मौजूदा संस्थाओं को बचाने के लिए जो काम कर रही थीं। यह आग्रह किया गया कि राज्य सरकार द्वारा किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना और कानून के तहत किसी भी प्राधिकरण के बिना चुनी गई इकाई को केवल किए गए निवेश या समय बीतने के कारण नहीं बचाया जा सकता है क्योंकि यह स्पष्ट रूप से सार्वजनिक नीति के विपरीत है। राज्य सरकारों द्वारा चुनी गई सभी निजी संस्थाओं को बिना किसी चयन के चुना गया था।

किसी भी उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए और अधिकांश को, यदि सभी को नहीं तो केंद्र सरकार द्वारा एनओसी या गैस आवंटन दिया गया था। यदि ऐसी संस्थाओं को "मानित प्राधिकरण" का दर्जा दिया जाता है, तो यह एक अवैध कार्रवाई को वैध बनाने के समान होगा।

विचार करने के लिए बिंदु 54.

इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए निम्नलिखित बिंदु उत्पन्न होते हैं:

के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड का दायरा

(1)

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 का प्रावधान;

विनियम 18 की वैधता; और

((ख)

19 डब्ल्यूपी (सी) 13029/1985।

(iii) क्या विवादित क्षेत्रों का अपवर्जन

अदानी को दिया गया अधिकार उचित था।

विश्लेषण और निष्कर्ष

री: प्वाइंट नंबर 1: "मानित प्राधिकरण" का दायरा

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत खंड

55. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम द्वारा कानून की घोषणा के बाद आया

भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत इस न्यायालय की राय। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 53, सूची 1 तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य तरल पदार्थों और संसद द्वारा कानून द्वारा "खतरनाक रूप से ज्वलनशील" घोषित पदार्थों के विकास को विनियमित करेगी, और यह प्रविष्टि विशेष रूप से संसद को प्राकृतिक गैस के संबंध में कानून बनाने के लिए राज्य विधानसभाओं के बहिष्कार के लिए सक्षम बनाती है। विशेष संदर्भ इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि राज्यों ने इस बात पर जोर दिया कि सूची 2 की प्रविष्टि 25 द्वारा, प्राकृतिक गैस के विषय पर राज्य विधानसभाओं का विशेष अधिकार क्षेत्र था। राष्ट्रपति ने गैस के पारेषण, आपूर्ति और वितरण को विनियमित करने के लिए एक कानून बनाने के लिए गुजरात राज्य विधानमंडल की क्षमता के संबंध में भी उल्लेख किया। इस न्यायालय ने अपनी राय में कहा कि संविधान लागू होने से पहले और बाद में पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित कई कानून बनाए गए थे। यह न्यायालय, अनन्य शक्ति के प्रतिद्वंद्वी दावों के संदर्भ में विधायी प्रविष्टियों की व्याख्या के संबंध में पिछले निर्णयों की जांच करने के बाद, सूची I की प्रविष्टि 53 में "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद" और "खनिज तेल संसाधन" अभिव्यक्ति का क्या अर्थ था, इस पर विचार करने के लिए आगे बढ़ा। विभिन्न तकनीकी विश्वकोशों और संदर्भ पुस्तकों की जांच करने के बाद इस न्यायालय ने निर्णय दिया:

" 38. हमारे सामने उत्पादित सभी सामग्री केवल दिखाई देगी

कि प्राकृतिक गैस एक पेट्रोलियम उत्पाद है। यह भी महत्वपूर्ण है

यह ध्यान देने के लिए कि विभिन्न विधानों में

पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद, या तो शब्द

' पेट्रोलियम 'या' पेट्रोलियम उत्पादों 'को परिभाषित किया गया है

22 गुजरात गैस (विनियमन, पारेषण, आपूर्ति और वितरण अधिनियम, 2001 23 विशेष रूप से पेट्रोलियम अधिनियम, 1934; खान अधिनियम, 1952; खान और खनिज (विकास) अधिनियम, 1957; तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948; पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962; तेल और प्राकृतिक गैस अधिनियम, 1962। प्राकृतिक गैस विकास अधिनियम, 1974; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

समावेशी तरीका, ताकि प्राकृतिक गैस को शामिल किया जा सके। विश्वकोश में ब्रिटानिका, 15 वां संस्करण। खण्ड. 19 , पृष्ठ 589 (1990) में कहा गया है कि "तरल और गैसीय हाइड्रोकार्बन इतने अंतरंग हैं।

प्रकृति में यह जोड़ा गया है कि दोनों का उल्लेख करते समय 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस' अभिव्यक्ति को 'पेट्रोलियम' से छोटा करने की प्रथा बन गई है। पेट्रोलियम शब्द का शाब्दिक अर्थ है 'चट्टान का तेल'। यह लैटिन शब्द पेट्रा-ओलियम से उत्पन्न हुआ है। (पेट्रा का अर्थ है चट्टान या पत्थर और ओलियम का अर्थ है तेल)। इस प्रकार, प्राकृतिक गैस को अभिव्यक्ति के भीतर बहुत अच्छी तरह से समझा जा सकता है

' पेट्रोलियम 'या' पेट्रोलियम उत्पाद '।

***

" 44. सूची I की प्रविष्टि 53 के तहत, संसद को शक्ति मिली है -

संसद द्वारा कानून द्वारा खतरनाक रूप से ज्वलनशील घोषित तेल क्षेत्रों, खनिज तेल संसाधनों, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों, अन्य तरल पदार्थों और पदार्थों के विनियमन और विकास के लिए कानून बनाना। तेल के कुओं से निकाले गए प्राकृतिक गैस उत्पाद में मुख्य रूप से मीथेन होता है। प्राकृतिक गैस का उत्पादन अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन से स्वतंत्र नहीं है; हालाँकि कुछ कुओं

से अकेले प्राकृतिक गैस निकलती है, अन्य उत्पाद पृथ्वी के भूमिगत कक्षों से निकल सकते हैं। लेकिन सभी तेल क्षेत्रों की खोज की जाती है।

उनके संभावित हाइड्रोकार्बन के लिए। इसलिए, तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संसाधनों के विनियमन में आवश्यक रूप से प्राकृतिक गैस के विनियमन के साथ-साथ विकास भी शामिल है। देश भर में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग के मुक्त और सुचारू प्रवाह के लिए प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पाद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

45. इन रे: कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण एम. ए. एन. यू/एस. सी./0097/1992: ए. आई. आर. 1992. एस. सी. 522, नदियों के बहते पानी के अधिकार को एक अधिकार सार्वजनिक न्यायशास्त्र, यानी जनता के अधिकार के रूप में वर्णित किया गया था।

इसी तरह प्राकृतिक गैस में भी पूरे देश के लोगों की हिस्सेदारी है और इसका लाभ पूरे देश को साझा करना है। राष्ट्रीय विकास के लिए प्राकृतिक गैस का उचित और उचित उपयोग होना चाहिए। यदि केवल एक राज्य को अनुमति दी जाती है

प्राकृतिक गैस निकालें और उसका उपयोग करें, तो अन्य राज्य इसके न्यायसंगत हिस्से से वंचित हो जाएंगे। यह स्थिति संघ द्वारा अपनाए गए रुख को मजबूत करती है और इस निष्कर्ष की ओर इशारा करेगी कि "प्राकृतिक गैस" को सूची I की प्रविष्टि 53 में शामिल किया गया है। इस प्रकार, [2021] 13 एस. सी. आर.

विधायी इतिहास और विभिन्न कानूनों और पुस्तकों में निहित पेट्रोलियम ',' पेट्रोलियम उत्पादों 'और' खनिज तेल संसाधनों 'की परिभाषा और राज्यों के बीच प्राकृतिक गैस के समान वितरण में शामिल राष्ट्रीय हित-ये सभी कारक इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कच्चे और तरलीकृत रूप में' प्राकृतिक गैस 'पेट्रोलियम उत्पाद है और खनिज तेल संसाधन का हिस्सा है, जिसे संघ द्वारा विनियमित करने की आवश्यकता है।

46. प्राकृतिक गैस एक पेट्रोलियम उत्पाद होने के कारण, हमारा विचार है कि प्रविष्टि 53 सूची I, केंद्र सरकार के तहत। केवल विधायी क्षमता प्राप्त की है। गुजरात अधिनियम की धारा 2 (जी) में दी गई गैस की परिभाषा के अनुसार, जिसमें "गैस" को "गैसीय अवस्था के मामले के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है", इसमें निश्चित रूप से प्राकृतिक गैस भी शामिल होगी। हमारा विचार है कि सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 25 सूची 2 के तहत, राज्य केवल निम्नलिखित में कानून पारित करने के लिए सक्षम होगा:

गैस और गैस कार्यों के संबंध में और 'गैस और गैस कार्य' शब्दों के संयोजन को ध्यान में रखते हुए, इस प्रविष्टि का अर्थ विनिर्मित गैस से संबंधित कोई भी कार्य या उद्योग होगा जिसका उपयोग अक्सर औद्योगिक, चिकित्सा या अन्य समान उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

सूची-2 की प्रविष्टि 25, जैसा कि राज्यों के लिए सुझाया गया है, को समग्र रूप से पढ़ना होगा। उसमें अभिव्यक्तियाँ नहीं हो सकतीं

खंडीय रूप से व्याख्या की गई। प्रविष्टि में 'गैस' शब्द अन्य शब्दों 'गैसवर्क्स' से रंग लेगा। बैलेन्टाइन लॉ डिक्शनरी, तीसरे संस्करण, 1969 में 'गैस वर्क्स' को "कृत्रिम गैस के निर्माण के लिए एक संयंत्र" के रूप में परिभाषित किया गया है। इसी प्रकार

वेबस्टर्स न्यू 20थ सेंचुरी डिक्शनरी, इसे "एक ऐसी स्थापना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें हीटिंग और लाइटिंग के लिए गैस है।

निर्मित "। डब्ल्यू. डब्ल्यू. में। स्वतंत्र शब्दकोश। 'गैस वर्क्स' को "गैस के एक कारखाने के रूप में समझाया गया है, जिसमें सभी मशीनरी और सहायक उपकरण हैं; एक ऐसी जगह जहां गैस उत्पन्न होती है।" 'गैस कार्य' शब्द का अर्थ इस अर्थ में अच्छी तरह से समझा जाता है कि वह स्थान जहाँ गैस का निर्माण किया जाता है। इसलिए इस प्रस्ताव को स्वीकार करना मुश्किल है कि सूची II की प्रविष्टि 25 में 'गैस' में प्राकृतिक गैस शामिल है, जो मूल रूप से अलग है।

गैस कार्यों में निर्मित गैस से। इसलिए, सूची II की प्रविष्टि 25 केवल विनिर्मित गैस को शामिल कर सकती है और इसके दायरे में प्राकृतिक गैस नहीं आती है। यह तर्क को नकारात्मक बना देगा।

राज्यों का कि केवल उनके पास ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड कानून बनाने की अनन्य शक्तियाँ हैं।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्राकृतिक गैस और तरलीकृत प्राकृतिक गैस से निपटना। सूची II की प्रविष्टि 25 में केवल विनिर्मित गैस शामिल है। संविधान निर्माताओं की यही स्पष्ट मंशा है। यह रीडिंग किसी भी तरह से उस प्रविष्टि को 'बेकार लकड़ी' नहीं बनाएगी जैसा कि राज्यों द्वारा आशंका व्यक्त की गई थी, क्योंकि प्राकृतिक गैस का उद्देश्य कभी भी इसके दायरे में आना नहीं था। उस प्रविष्टि को। राज्यों के इस तर्क को स्वीकार करना भी मुश्किल है कि सभी 'गैस' को खतरनाक रूप से ज्वलनशील के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है और इस प्रकार इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है कि प्राकृतिक गैस भी राज्य सूची में शामिल है क्योंकि यह अंतर गैस की विशेषताओं पर नहीं, बल्कि इसकी उत्पत्ति के तरीके पर आधारित है। सूची II की प्रविष्टि 25 में निर्मित और गैस कार्यों में उपयोग की जाने वाली गैस शामिल है। इस विशिष्ट प्रविष्टि 53 को ध्यान में रखते हुए, किसी भी पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए, राज्य विधानमंडल के पास प्राकृतिक गैस के संबंध में कोई कानून पारित

करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है। उस हद तक, गुजरात अधिनियम में निहित प्रावधानों में विधायी क्षमता का अभाव है।

56. न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्यों के पास प्राकृतिक गैस और द्रवीकृत के विषय पर कानून बनाने की कोई विधायी क्षमता नहीं है

प्राकृतिक गैस। इसने यह भी माना कि 2001 का गुजरात अधिनियम, जहां तक यह प्राकृतिक गैस या तरलीकृत प्राकृतिक गैस से संबंधित है, विधायी क्षमता के बिना था और यह अधिनियम संविधान के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। न्यायालय की राय 25.03.2004 पर प्रस्तुत की गई थी। नतीजतन, प्राकृतिक गैस से संबंधित सभी गतिविधियाँ जो राज्यों द्वारा प्राधिकरणों पर निर्भर थीं, अवैधता के दुष्प्रभाव के संपर्क में आ गईं। इस न्यायालय की राय और केंद्र सरकार की पिछली नीतियों को ध्यान में रखते हुए, संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम को लागू करना उचित समझा। उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम पेट्रोलियम या तरलीकृत प्राकृतिक गैस के निष्कर्षण से संबंधित किसी भी पहलू से संबंधित नहीं है। यह पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री जैसी "डाउनस्ट्रीम गतिविधियों" के रूप में वर्णित किया जा सकता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य इन सभी गतिविधियों को व्यापक और व्यापक तरीके से विनियमित करना है। जब संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया, तो यह ज्ञात था कि कई संस्थाएं विभिन्न प्रकार के नेटवर्क स्थापित करने की प्रक्रिया में थीं जिन्हें कानून नियंत्रित करता था (यानी, संचरण, भंडारण,

वितरण, विपणन आदि)। इसलिए, संसद ने एक समान मानक तैयार किया जिसके द्वारा नेटवर्क बिछाने वाली या ऐसी गतिविधियों को स्थापित करने की प्रक्रिया में रहने वाली संस्थाओं पर विचार किया जाना था। वैधानिक अपनाया गया उपकरण धारा 16 और 17 के माध्यम से था। केंद्र सरकार को धारा 1 (3) द्वारा प्रदत्त शक्ति के आधार पर, [2021] 13 एस. सी. आर. के सभी प्रावधान।

धारा 16 को छोड़कर पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम को 01.10.2007 पर लागू किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि धारा 16 को लागू नहीं करने का इरादा उन संस्थाओं को कुछ समय देने का था जो किसी भी पाइपलाइन को बिछाने, बनाने और संचालित करने की प्रक्रिया में थीं, ताकि पहले पी. एन. जी. आर. बी. पर लागू किया जा सके। यदि धारा 16 को तुरंत लागू किया जाता, तो पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले शुरू हुई सभी गतिविधियों को अनिवार्य रूप से अवैध बना दिया जाता और उन्हें बंद करना पड़ता। इस प्रावधान के विलंबित प्रवर्तन का मतलब था कि मौजूदा संस्थाएं अधिनियम के अन्य प्रावधानों के संदर्भ में जो कुछ भी आवश्यक था वह कर सकती थीं और आवश्यक प्राधिकरण की मांग कर सकती थीं।

57. धारा 16 के गैर-कार्यान्वयन या प्रवर्तन की अनुपस्थिति के कारण दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई। द.

वाहक और (ii) कोई भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क। संस्थाओं के ऐसे दो वर्गों के संबंध में, जिनके द्वारा अडानी और अन्य हस्तक्षेपकर्ता इसके समर्थन में अयोग्य होने का आग्रह करते हैं, इस अभिव्यक्ति से बनाया गया है कि ऐसी संस्थाओं को "निर्धारित तिथि से तुरंत पहले" ऐसा प्राधिकरण माना जाएगा।

तथापि, यह उपबंध स्पष्ट रूप से इस अध्याय के उपबंधों के अधीन किया गया है। विचाराधीन अध्याय चौथा है। 24 वॉयस ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया डब्ल्यू. पी. (C) 8415/2009,20.01.2010 पर तय किया गया।

25 एस. एल. पी. 5408/2010 अदानी गैस लिमिटेड वी. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

59. संसद ने शोधन को विनियमित करने के लिए पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया,

कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री। इस अधिनियम के उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर बोर्ड की स्थापना, शोधन, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, वितरण, विपणन और पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस की बिक्री का विनियमन हैं। उपभोक्ता की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। पेट्रोलियम, इसके उत्पादों और प्राकृतिक गैस से संबंधित कुछ गतिविधियों में रुचि और पूरे देश में पेट्रोलियम, इसके उत्पादों और प्राकृतिक गैस की पर्याप्त और निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करना। अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय को बढ़ावा देना है।

60. पी. एन. जी. आर. बी. के कार्य (धारा 11 के तहत) हैं:

(क) अधिसूचित पेट्रोलियम और उसके उत्पादों के विपणन के लिए संस्थाओं का पंजीकरण जो केंद्र सरकार द्वारा अनुबंध के अधीन हैं,

और प्राकृतिक गैस;

(ख) एल. पी. जी. की स्थापना और संचालन करने वाली संस्थाओं का पंजीकरण

टर्मिनल;

(ग) पेट्रोलियम, उसके उत्पादों और प्राकृतिक गैस के भंडारण सुविधाओं को स्थापित करने के लिए संस्थाओं को पंजीकरण, यदि यह प्रदान की गई क्षमता से अधिक है।

नियमों के अनुसार;

(घ) स्थापना, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं का प्राधिकरण:

1. एक सामान्य या अनुबंध वाहक।

2. शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।

(ई) पाइपलाइनों को सामान्य या अनुबंध वाहक घोषित करना।

पहुँच को विनियमित करने सहित अन्य कार्य भी हैं

संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए सामान्य या अनुबंध वाहक, सामान्य या अनुबंध वाहक के लिए परिवहन दरों को विनियमित करने वाले पाइपलाइन एक्सेस कोड को निर्दिष्ट करना और पाइपलाइन एक्सेस कोड के अनुसार प्रतियोगियों के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने के लिए शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुंच को विनियमित करना।

61. अधिनियम का पाँचवाँ अध्याय विवादों के निपटारे से संबंधित है। पी. एन. जी. आर. बी. के अध्यक्ष द्वारा नामित एक सदस्य (कानूनी) और एक या अधिक सदस्यों वाली पीठ को समझौता करने का अधिकार है। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत विवाद। धारा 24 पीठ को [2021] 13 एस. सी. आर. का अधिकार देती है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस के शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री, सेवाओं की गुणवत्ता और संस्थाओं द्वारा उपभोक्ताओं को आपूर्ति की सुरक्षा और धारा 15 और 19 के तहत उत्पन्न होने वाले विवादों जैसे मामलों पर दीवानी न्यायालय के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग करें। धारा 25 के तहत, संस्थाओं के बीच विवाद या संस्थाओं के किसी भी मामले या अधिनियम के प्रावधानों से संबंधित किसी भी अन्य मामले को संदर्भित करने के लिए बोर्ड के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की जा सकती है। शिकायत किसी भी उल्लंघन, कार्य या आचरण की तारीख से साठ दिनों के भीतर दर्ज की जानी चाहिए। शिकायत के साथ विनियमन के तहत प्रदान की गई फीस भी होगी। धारा 26 पी. एन. जी. आर. बी. को योग्यता और अनुभव रखने वाले अधिकारी को नियुक्त करने का अधिकार देती है। जाँच अधिकारी विनियमों द्वारा निर्दिष्ट मामलों में जाँच करेगा। यदि कोई व्यक्ति पी. एन. जी. आर. बी. के किसी भी निर्देश का उल्लंघन करता है, तो उसे उस व्यक्ति पर दीवानी जुर्माना लगाने का अधिकार है और बोर्ड द्वारा पारित आदेश को डिक्री माना जा सकता है। पी.

एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 27 कुछ कारकों से संबंधित है जिन्हें बोर्ड किसी भी विवाद का निर्णय लेते समय ध्यान में रखता है। ये कारक हैं (ए) की मात्रा

इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी संस्थाओं को केंद्र सरकार का प्राधिकरण प्राप्त हुआ या नहीं, किसी भी पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण या विस्तार करने वाली सभी संस्थाओं तक विस्तार करने के लिए काल्पनिक रूप से माना जाना चाहिए। किसी भी भेदभाव के अभाव में, संसद के इरादे पर पूरा प्रभाव डाला जाना चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाइपलाइन बिछाने या निर्माण आदि पर जो काम शुरू हो गया था, उसे संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि वह फायदेमंद था। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए। यह भी आग्रह किया जाता है कि "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन" अभिव्यक्ति का सामंजस्यपूर्ण अर्थ लगाया जाना चाहिए, जिसका अर्थ है कि जो संस्थाएं धारा 17 (1) या 17 (2) के तहत प्राधिकरण के लिए आवेदन करती हैं, उन्हें बिना उचित कारण के अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

कि पी. एन. जी. आर. बी. मानित प्राधिकरण खंड के अधिदेश का सम्मान करने और उसे प्रभावी बनाने के लिए बाध्य है, जो सभी पर लागू होता है। 63. अपीलकर्ताओं ने अडानी गैस (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया। उस मामले में विवाद यह था कि अडानी ने आवेदन किया था और प्राप्त किया था

उदयपुर और जयपुर के लिए गैस वितरण नेटवर्क के संबंध में एनओसी। अदानी ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने के बाद अदानी गैस लिमिटेड बनाम के लिए आवेदन किया था।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

28.08.2008 पर धारा 17 के तहत प्राधिकरण। पी. एन. जी. आर. बी., जिसे आवेदनों को जब्त कर लिया गया था, ने अडानी को 04.08.2010 (12.07.2010 पर धारा 16 लागू होने के बाद) पर उसके सामने पेश होने के लिए कहा। बोर्ड ने अडानी से कारण दिखाने के लिए कहा कि उसके आवेदनों को क्यों अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। नोटिस जारी करने के बाद, राज्य सरकार ने 18.05.2011 पर अडानी द्वारा दिए गए एन. ओ. सी. को वापस ले लिया और अडानी द्वारा दिए गए प्रतिबद्धता शुल्क को जब्त कर लिया। बाद में पी. एन. जी. आर. बी. ने उदयपुर और जयपुर के लिए प्राधिकरण की मांग करने वाले आवेदन को खारिज कर दिया। इन दोनों कार्यों यानी एन. ओ. सी. को वापस लेने और धारा 17 के तहत आवेदन की अस्वीकृति को विनियमन 18 के अधिकारों को चुनौती देने के साथ चुनौती दी गई थी। अदानी गैस लिमिटेड (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के दायरे पर विचार किया और निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 15. 2006 के अधिनियम की धारा 16, जो 12-7-2010 पर लागू हुई, "प्राधिकरण" से संबंधित है। यह शहर या स्थानीय में बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार पर प्रतिबंध लगाता है। प्राप्त किए बिना प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क

अधिनियम के तहत प्राधिकरण। उक्त धारा 16 के प्रावधान (ii) में "मानित प्राधिकरण" का प्रावधान है यदि कोई संस्था निर्धारित तिथि से तुरंत पहले किसी शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क को बिछा रही थी, बना रही थी, संचालित कर रही थी या उसका विस्तार कर रही थी, जिसे ऐसा प्राधिकरण माना जाएगा। वर्तमान मामले में, 2006 के अधिनियम को लागू करने की नियत तिथि 1-10-2007 है, सिवाय 2006 के अधिनियम की धारा 16 में निहित प्रावधान के, जो

12-7-2010 पर लागू हुआ।

16. 2008 के विनियम 2006 के अधिनियम की धारा 16 के लागू होने से पहले बनाए गए थे। 2008 के विनियमों के विनियम 18 में प्रावधान है कि एक इकाई, जिसे केंद्र सरकार द्वारा स्थापित करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया है। निर्धारित तिथि से पहले सी. जी. डी. नेटवर्क का निर्माण, संचालन या विस्तार, अनुसूची I के रूप में आवेदन करेगा या प्राधिकरण प्राप्त करेगा और बोर्ड प्राधिकरण के अनुदान के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए मानदंडों पर विचार कर सकता है।

विनियम 18 (2) के खंड (ए) से खंड (जे) में विनिर्दिष्ट।"

64. फिर, विनियमन 18 और उसके द्वारा उल्लिखित विभिन्न आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जिन्हें पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम ने ध्यान में रखा, निर्णय

आगे निम्नानुसार आयोजित किया गया:

" 18. यह उल्लेखनीय है कि विनियमन 18 (2) में उपयोग की गई भाषा यह है कि "बोर्ड विचार कर सकता है।" इस प्रकार, जिस भाषा में विनियम को जोड़ा गया है, वह खंड (घ) सहित उक्त खंडों में विचार को अनिवार्य नहीं बनाती है, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि वही प्रासंगिक विचार होंगे। आदेश के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर

बोर्ड द्वारा पारित, हम पाते हैं कि अपीलार्थी का आवेदन दिनांकित 19-5-2011 के आक्षेपित आदेश के पैरा 5 में उल्लिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया गया है, जो निकाले गए हैं।

इसके नीचे: " 5. समिति ने पाया कि आप पेट्रोलियम के विनियमन 18 (1) के तहत निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करते हैं और

प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (निकायों को शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने के लिए अधिकृत करना)

वितरण नेटवर्क) विनियम, 2008 निम्नलिखित के कारण:

(क) मैसर्स अडानी गैस लिमिटेड द्वारा जयपुर के जी. ए. में नियत दिन से पहले हासिल की गई भौतिक और वित्तीय प्रगति पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (प्राधिकृत) के विनियमन 18 (1) के प्रावधान 18 (2) (डी) को पूरा नहीं करती है।

शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने वाली संस्थाएं) विनियम, 2008; (ख) सभी वृद्धिशील गतिविधियों को रोकने के लिए पी. एन. जी. आर. बी. के स्पष्ट निर्देशों के बाद भी मेसर्स अडानी एनर्जी लिमिटेड ने एम. डी. पी. ई. पाइपलाइन बिछाना जारी रखा और इस तरह बोर्ड के निर्देशों का उल्लंघन किया।

19. उपरोक्त से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी का आवेदन मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि

2008 के विनियमों के विनियम 18 (2) के खंड (डी) का अनुपालन। यह बोर्ड पर लेने के लिए बाध्य था

के खंड (ए) से (जे) में निर्दिष्ट विभिन्न कारकों पर विचार करना

2008 के विनियमों के विनियम 18 (2) और उसी पर इस तथ्य की पृष्ठभूमि में विचार किया जाना चाहिए कि प्रेस

सभी वृद्धिशील गतिविधियों को रोकने के लिए आई. डी. 1 पर नोट जारी किया गया था और इस तरह यह विचार करना आवश्यक था कि क्या अपीलार्थी को विनियमन 18 (2) के खंड (डी) का पालन न करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता था, और क्या यह एक अनिवार्य ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड v था।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

आवश्यकता या केवल विचार किए जाने वाले कारकों में से एक

अन्य सभी कारकों के साथ। अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा अन्य खंडों में निहित अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया गया है।

जो समान रूप से महत्वपूर्ण भी थे। यह विचार करना आवश्यक था कि क्या अपीलार्थी 2008 के विनियमों के विनियम 18 (2) के खंड (ए) से (जे) में दिए गए विभिन्न अन्य कारकों का अनुपालन करता है। खंड (घ) के गैर-अनुपालन, यदि कोई हो, पर दिनांकित 30-10-2007 के प्रेस नोट के आलोक में विचार किया जाना चाहिए था, जिसमें सभी को रोकने की आवश्यकता थी।

वृद्धिशील गतिविधियाँ।

20. विशिष्ट तथ्यात्मक स्थिति यह है कि 2006 के अधिनियम को आईडी4 पर अधिसूचित किया गया था, लेकिन आईडी1 पर लागू किया गया था और आईडी2 पर एनओसी जारी किया गया था, जब राजस्थान सरकार ने उदयपुर और जयपुर शहरों में सिटी गैस वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए आईडी3 पर खुली बोलियां आमंत्रित की थीं, जिसमें अपीलकर्ता का चयन किया गया था। इसके अलावा

2 करोड़ रुपये की राशि तुरंत जमा करना प्रतिबद्धता शुल्क, जिसके बाद अपीलार्थी ने वहन किया था

भारी व्यय परिवर्तन यह बोलियों में सफल रहा, अपीलार्थी के आवेदन पर निर्णय लेते समय बोर्ड द्वारा किस पहलू पर विचार नहीं किया गया है। हमारे सुविचारित दृष्टिकोण में, इसे सामान्य रूप से अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, वर्तमान मामले की तथ्यात्मक परिस्थितियों में, धारा 16 के परंतुक (ii) में निहित मानित प्राधिकरण का प्रावधान भी 12-7-2010 पर लागू किया गया था और बोर्ड के लिए यह विचार करना आवश्यक था कि क्या यह

यह एक ऐसा मामला था जिसमें "मानित प्राधिकरण" को ध्यान में रखते हुए केवल कुछ सुरक्षा उपायों का पालन करने की आवश्यकता थी।

65. फैसले (अडानी गैस लिमिटेड) के समग्र अध्ययन से पता चलता है कि यह न्यायालय संसद की पृष्ठभूमि से अवगत नहीं था।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया था। इस न्यायालय ने संसद के पास मौजूद अनन्य विधायी क्षमता पर विचार नहीं किया, और एक आनुषंगिक, कार्यकारी प्राधिकरण के रूप में जिसका प्रयोग केंद्र सरकार ने किया

प्रविष्टि 53 संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची I। अधिक महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय की निर्णायक और सर्वसम्मत राय विशेष में दी गई है

संदर्भ (ऊपर) पर विचार नहीं किया गया था या यहां तक कि विज्ञापन भी नहीं किया गया था। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में इस न्यायालय को अब शुद्धता [2021] 13 एस. सी. आर. पर विचार करना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पिछली समीक्षा में दर्ज दृष्टिकोण और दृष्टिकोण यानी अडानी गैस लिमिटेड (ऊपर)।

66. संसद ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम को एक खाली स्लेट पर लागू नहीं किया, जैसा कि था। राष्ट्रपति के संदर्भ में [विशेष संदर्भ (ऊपर)]

अनुच्छेद 143 के तहत कुछ राज्यों द्वारा किए गए दावों की पृष्ठभूमि में न्यायालय की राय सामने आई कि उनके पास विधायी क्षमता थी

प्राकृतिक गैस से निपटें। इस न्यायालय का सर्वसम्मत निर्णय स्पष्ट था, जिसमें उसने भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि 53 सूची I के तहत संसद की प्रधानता को बरकरार रखा। महत्वपूर्ण रूप से, इस न्यायालय ने पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल आदि से संबंधित अधिनियमों (1934 के संविधान पूर्व पेट्रोलियम अधिनियम सहित) को भी याद किया और इसके विभिन्न पहलुओं और पहलुओं और संबंधित उत्पादों और उनके विनियमों को विनियमित करने की मांग की। इस पृष्ठभूमि को देखते हुए, संसद ने एक व्यापक कानून बनाने की आवश्यकता महसूस की जो पेट्रोलियम उत्पादों और खनिज तेलों से संबंधित सभी गतिविधियों के मुख्य पहलुओं को विनियमित करेगा। इस प्रकार पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम लागू किया गया। जैसा कि पहले देखा गया है, यह पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के निष्कर्षण के बाद सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है जो शोधन से शुरू होकर वितरण तक जाती हैं। अंतिम उपभोक्ता के लिए। जब संसद ने इस अधिनियम को लागू किया, तो यह एक तथ्यात्मक स्थिति का सामना कर रहा था जहां कई संस्थाओं ने पाइपलाइन बिछाने और नेटवर्क स्थापित करने की दिशा में विभिन्न गतिविधियां शुरू कर दी थीं।

प्राकृतिक गैस से संबंध। यदि कोई धारा 16 के प्रावधान को अलग से पढ़ता है, तो निस्संदेह निष्कर्ष यह होगा कि प्रत्येक इकाई जिसने पाइपलाइन और नेटवर्क बिछाना और बनाना शुरू कर दिया था, वह मानित प्राधिकरण खंड का प्राप्तकर्ता था-या अडानी के शब्दों में, उस प्रावधान में सभी संस्थाओं द्वारा गतिविधियों को पूर्वव्यापी रूप से नियमित करने का प्रयास किया गया था। हालांकि, इस तरह के सादे और चेहरे की बनावट अस्वीकार्य है क्योंकि उसी प्रावधान (यानी धारा 16 के प्रावधान) में मानित प्राधिकरण के तुरंत बाद "इस अध्याय के प्रावधानों के अधीन" वाक्यांश आता है। 67. इस स्तर पर, एक परंतुक के दायरे पर ध्यान देना आवश्यक होगा। प्रोविसो आम तौर पर संचालन का एक क्षेत्र बनाता है, लेकिन नहीं करता है

मुख्य अधिनियमित प्रावधान से परे यात्रा करें। इसलिए, व्याख्या का सुनहरा नियम यह है कि परंतुक सहित पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए कि वे पारस्परिक रूप से एक-दूसरे पर प्रकाश डालें और परिणामस्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण हो। यह द्वारका प्रसाद बनाम में आयोजित किया गया था। द्वारका दास सराफ 26:

26 (1976) 1 एससीसी 128।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

" 18. हम निष्पक्षता से परामर्श देने के लिए उल्लेख कर सकते हैं कि अन्य निर्णयों के अलावा, क़ानूनों में प्रावधानों के उपयोग पर बार में निम्नलिखित निर्णयों का उल्लेख किया गया था: आय कर आयुक्त बनाम.

इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड [1959 पूरक (2) एससीआर 256]; राम नारायण संस लिमिटेड बनाम। आयुक्त बिक्री कर (1955) 2 एस. सी. आर. 483];

थॉम्पसन वी। डिबदीन [1912 ए. सी. 533]; आर. वी. डिबदीन [1910 पी 57 (सीए)] और तहसीलदार सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य [1959 पूरक (2) एस. सी. आर. 875। कानून तुच्छ है। एक परंतुक अधिनियमन खंड की विषय वस्तु तक सीमित होना चाहिए। यह निर्माण का एक तय नियम है कि एक परंतुक को प्रथम दृष्टया पढ़ा और विचार किया जाना चाहिए।

उस प्रमुख मामले के संबंध में जिसके लिए यह एक परंतुक है। यह है।

एक अलग या स्वतंत्र अधिनियम नहीं। ' शब्द हैं -

यह मुख्य अधिनियमित करने वाले शब्दों पर निर्भर करता है जिन पर उन्हें परंतुक के रूप में रखा जाता है। उन्हें तलाकशुदा के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता

उनका संदर्भ '(थॉम्पसन बनाम। डिब्डिन [1912 एसी 533]। यदि निर्माण का नियम यह है कि प्रथम दृष्टया एक परंतुक अपने संचालन में अधिनियमन खंड के विषय-वस्तु तक सीमित होना चाहिए, तो हमने जो रुख अपनाया है वह सही है। अधिनियमन का विस्तार करना

खंड, परंतुक द्वारा फुलाया गया, मौलिक के खिलाफ पाप करता है

निर्माण का नियम जिसमें एक परंतुक पर विचार किया जाना चाहिए

उस प्रमुख मामले के संबंध में जिसके लिए यह एक परंतुक के रूप में खड़ा है।

एक परंतुक आम तौर पर एक परंतुक होता है, हालांकि स्वर्ण

नियम यह है कि परंतुक सहित पूरे खंड को इस तरह से पढ़ा जाए कि वे पारस्परिक रूप से एक दूसरे पर प्रकाश डालें और

परिणामस्वरूप एक सामंजस्यपूर्ण निर्माण होता है। '

68. बाद में, एस. सुंदरम पिल्लई और ओआरएस में। वी. वी. पट्टाबिरमन और 27 इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

" 27. (.....) एक की व्याख्या का सुस्थापित नियम

परंतुक यह है कि एक परंतुक के तीन अलग-अलग कार्य हो सकते हैं। आम तौर पर, एक परंतुक किसी चीज के लिए अपवाद होता है।

मुख्य अधिनियम के भीतर या कुछ अधिनियमित करने के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए जिसमें परंतुक के अलावा अधिनियम के दायरे में होगा। दूसरे शब्दों में, किसी परंतुक को मुख्य अधिनियम से अलग नहीं किया जा सकता है और न ही इसका उपयोग रद्द करने के लिए किया जा सकता है या

मुख्य अधिनियम के वास्तविक उद्देश्य को शून्य पर सेट करें।

28. क्रेज़ ने अपनी पुस्तक 'क़ानून कानून' (7 वीं संस्करण) में पृष्ठ 218 पर एक परंतुक राज्य के उद्देश्य और महत्व की व्याख्या करते हुए इस प्रकार किया है:

5) 1 एससीसी 591।

" निर्माण के सामान्य नियमों के अनुसार, एक अपवाद या योग्यता परंतुक का प्रभाव, अधिनियम के पूर्ववर्ती भाग को छोड़कर, या उसमें अधिनियमित किसी चीज़ को अर्हता प्राप्त करना है, जो परंतुक के लिए इसके भीतर होगा। स्वाभाविक धारणा यह है कि, लेकिन परंतुक के लिए, धारा के अधिनियमित करने वाले भाग में परंतुक की विषय वस्तु शामिल होगी।

***

30. पृष्ठ 294-295 पर 'क़ानूनों की व्याख्या' में सारथी ने एक परंतुक के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांतों को एकत्र किया है:

" (क) जब किसी धारा के लिए कोई प्रावधान मिलता है तो प्राकृतिक

अनुमान यह है कि, लेकिन परंतुक के लिए, धारा के अधिनियमन भाग में विषय-वस्तु शामिल होगी -

(ख) एक परंतुक का अर्थ उस खंड के पूर्ववर्ती भागों के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए जिसमें इसे जोड़ा गया है। (ग) जहां परंतुक सीधे किसी धारा के प्रतिकूल है, वहां परंतुक खड़ा रहेगा और धारा का निरसन माना जाएगा क्योंकि परंतुक निर्माताओं के बाद के इरादे को बताता है।

(घ) जहां धारा संदिग्ध है, एक परंतुक का उपयोग इसकी व्याख्या के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में किया जा सकता है; लेकिन जब यह स्पष्ट है, तो एक परंतुक उन शब्दों के अस्तित्व का संकेत नहीं दे सकता है जिनका कोई निशान नहीं है अनुभाग।

(ङ) परंतुक मुख्य धारा के अधीन है।

(च) एक परंतुक बाध्यकारी कारणों के अलावा किसी अधिनियम को विस्तारित नहीं करता है। (छ) कभी-कभी एक अनावश्यक परंतुक प्रचुर सावधानी के माध्यम से डाला जाता है।

(ज) एक प्रावधान पर एक निर्माण जो इसे धारा की शर्तों के साथ सामान्य सामंजस्य में लाता है, प्रबल होना चाहिए।

(i) जब कोई परंतुक अधिनियमित करने वाले भाग के प्रतिकूल होता है, तो परंतुक बाद के अधिनियम की पूर्ण शर्तों पर प्रबल नहीं होगा, जिसे पहले वाले के पूरक के रूप में पढ़ने का निर्देश दिया गया है।

(जे) एक परंतुक में कभी-कभी एक ठोस प्रावधान हो सकता है।

*** अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

33. उपरोक्त मामले को इस अदालत ने सी. आई. टी. बनाम में मंजूरी दी थी। इंडो मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड 28. , जहाँ कपूर, जे. ने माना कि उचित

एक परंतुक का कार्य केवल एक अपवाद प्रदान करके और निकालकर मुख्य अधिनियम की व्यापकता को अर्हता प्राप्त करना था,

जैसा कि यह था, मुख्य अधिनियम से एक हिस्सा जो, लेकिन परंतुक के लिए, मुख्य अधिनियम के भीतर आता है। शाह भोजराज कुवेरजी ऑयल मिल्स एंड जिनिंग फैक्ट्री बनाम। सुभाष

चंद्र योगराज सिन्हा "हिदायतुल्ला, जे, ने संकेत दिया

इस प्रकार एक परंतुक के मापदंड:

" एक सामान्य नियम के रूप में, एक परंतुक को एक अधिनियम में जोड़ा जाता है ताकि अधिनियम में जो कुछ भी है उसे अर्हता प्राप्त करने या अपवाद बनाने के लिए, और आम तौर पर, एक परंतुक की व्याख्या एक सामान्य कथन के रूप में नहीं की जाती है।

नियम "।

***

" 37. संक्षेप में, आम तौर पर, एक परंतुक का उद्देश्य अधिनियमित प्रावधान को सीमित करना है ताकि कुछ ऐसी चीज़ को छोड़कर जो अन्यथा इसके भीतर या किसी उपाय से अधिनियमित खंड को संशोधित करने के लिए होती। कभी-कभी एक परंतुक मुख्य प्रावधान में अंतर्निहित हो सकता है और एक अभिन्न अंग बन जाता है। ताकि यह
स्वयं एक मूल प्रावधान के बराबर हो।

69. केंद्र सरकार ने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 को अपनी अनिवार्य और नकारात्मक शर्तों के रूप में तुरंत लागू नहीं किया

(" कोई भी संस्था "किसी शहर या स्थानीय गैस नेटवर्क का निर्माण, संचालन नहीं करेगी) सभी नेटवर्क बिछाने या निर्माण गतिविधि को वस्तुत: ठप नहीं करेगी। इसके बजाय, इसने धारा 16 को छोड़कर सभी

प्रावधानों को अधिसूचित किया, कि नए स्थापित बोर्ड को प्राधिकरण के लिए आवेदनों की व्यवहार्यता पर विचार करने और जांच करने के लिए समय दिया जाए, जिसके आधार पर कौन सी संस्थाएं तब नेटवर्क बिछा रही थीं और निर्माण कर रही थीं, तकनीकी और आर्थिक संदर्भों में उनकी योजना की मजबूती आदि। अडानी और इसका समर्थन करने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं ने आग्रह किया है कि इस न्यायालय को परंतुक को पूरी गुंजाइश देनी चाहिए, और एक मानित प्राधिकरण की कल्पना करनी चाहिए, क्योंकि संसद का इरादा कुछ तौर-तरीकों के अधीन सभी संस्थाओं को स्पष्ट रूप से अधिकृत करना था, क्योंकि ऐसा नहीं करने से बहुमूल्य राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी होगी।

70. यह न्यायालय याद करता है कि एक परंतुक की व्याख्या करते समय, नहीं

केवल मुख्य प्रावधान को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन अधिनियम बनाने का उद्देश्य

28 [1959] 2 सप. एससीआर 256। 2 9 [1962] 2 एससीआर 159।

परंतुक को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। एन. के. शर्मा (उपर्युक्त) मामले में इस न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत, एक प्रबंध निदेशक पर मंजूरी के बिना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है, क्योंकि वह एक मानित लोक सेवक था। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि धारा 123, जिसने कुछ कर्मचारियों के साथ लोक सेवकों के रूप में व्यवहार करने की कानूनी कल्पना पैदा की थी, ऋण की वसूली में लगे लोगों या परिसमापक या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त लोगों के लिए इसके आवेदन में प्रतिबंधित थी। यह माना गया था कि:

> लोक सेवक के रूप में व्यवहार किया जाता है। उक्त प्रावधान के कारण, एक कानूनी कल्पना बनाई गई है। एक कानूनी कल्पना, जैसा कि सर्वविदित है, एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए बनाई गई है और इस प्रकार, इसकी प्रयोज्यता को उन उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है जिनके लिए इसे बनाया गया है। हरियाणा के प्रबंध निदेशक के रूप में राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड, अपीलकर्ता ऋणों की वसूली में संलग्न नहीं था या परिसमापक या मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं था और मामले के उस दृष्टिकोण से, सीमित उद्देश्य जिसके लिए कानूनी कल्पना बनाई गई है।
>
> तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं होगा।

71. सांविधिक व्याख्या के सिद्धांतों में, 14 वीं संस्करण। लेखक जी. पी. सिंह एक परंतुक के दायरे का वर्णन करते हैं:

" कानूनी कल्पना बनाने वाले प्रावधान की व्याख्या करते हुए, अदालत को यह पता लगाना है कि कल्पना किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है [राज्य]

त्रावणकोर-कोचीन बनाम। षण्मुघा विलास काजू

कल्पना को देने वाले प्रभाव के लिए आकस्मिक या अपरिहार्य परिणाम हैं। [ईस्ट एंड ड्वेलिंग्स कं. लिमिटेड बनाम फिन्सबरी बरो काउंसिल, (1951) 2 ऑल ई. आर. 587 (एच. एल.); सी. आई. टी. बनाम। एस. तेजा सिंह, ए. आई. आर. 1959 एस. सी. 352] लेकिन इस तरह से कल्पना का अर्थ यह नहीं है कि जिस उद्देश्य के लिए इसे बनाया गया है, उससे आगे बढ़ाया गया है [बंगाल अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

प्रतिरक्षा कंपनी लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य, ए. आई. आर. 1955 एससी

661 ; सी. आई. टी वी. अमरचंद एन. श्रॉफ, ए. आई. आर. 1963 एस. सी. 1448], या उस खंड की भाषा से परे जिसके द्वारा इसे बनाया गया है।

[सी. आई. टी वी. शकुंतला, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 719; मंचेरी पुथुसेरी अहमद बनाम। कुथिरावट्टम एस्टेट रिसीवर, (1996) 6 एस. सी. सी. 185] इसे एक और कथा आयात करके भी नहीं बढ़ाया जा सकता है। [सी. आई. टी वी. मून मिल्स लिमिटेड, ए. आई. आर. 1966 एस. सी. 870] ऊपर बताए गए सिद्धांत 'अच्छी तरह से स्थापित' हैं। [राज्य डब्ल्यू. बी. वी. सदन के. बोर्मल, (2004) 6 एस. सी. सी. 59] एक कानूनी कथा भी हो सकती है

क़ानून को व्यवहार्य बनाने के लिए संक्षिप्त रूप से व्याख्या की गई।

[नंदकिशोर गणेश जोशी बनाम। कॉम. , नगर निगम। से

कल्याण और डोम्बिवली, (2004) 11 एस. सी. सी. 417]

72. केंद्र सरकार की अधिकृत संस्थाओं और अन्य के बीच अंतर धारा 16 में दिखाई नहीं देता है; हालाँकि, यह धारा 17 में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ आवेदनों पर विचार करने में पी. एन. जी. आर. बी. के लिए विभिन्न शासन और जांच के मानक निर्धारित किए गए हैं। यह वैधानिक वर्गीकरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की उत्पत्ति की ओर इशारा करता है, अर्थात, इस न्यायालय की एक निर्णायक राय के मद्देनजर अर्थव्यवस्था के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र के महत्वपूर्ण पहलुओं को विनियमित करने के लिए एक व्यापक कानून बनाने की संसद की मंशा है कि यह केवल संसद ही है जो हमेशा इस मामले में कानून बनाने की क्षमता रखती है।

क्षेत्र, और केंद्र सरकार, नीतियां बनाने के लिए। वैधानिक

इसलिए, केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित संस्थाओं और अन्य के बीच अंतर, जो कि एक वर्गीकरण से कम नहीं है, धारा 17 में प्रकट होता है, जो धारा 16 के बाद होता है।

73. धारा 16 के प्रारंभिक शब्दों को नकारात्मक शब्दों में डाला गया है ("कोई इकाई नहीं होगी")। फैसलों की एक श्रृंखला में, इस न्यायालय ने फैसला सुनाया जे नकारात्मक शब्द निषेधात्मक अछि। जैसा कि एम. पेंटिया बनाम में आयोजित किया गया है। मुद्दला वीरमल्लप्पा और अन्य 3 0,

" नकारात्मक अनिवार्य शब्द स्पष्ट रूप से निषेधात्मक हैं और आमतौर पर कानून बनाने के लिए एक विधायी उपकरण के रूप में उपयोग किए जाते हैं।

39

अनिवार्य है।

74. सरकार को कानूनी मामलों के अधीक्षक और कानूनी अनुस्मारक। पश्चिम बंगाल बनाम अबनी मैती 3 1 के मामले में इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

30 (1961) 2 एससीआर 295। 31 (1979) 4 एससीसी 85।

" एक्सपोजिशन एक्स विसरिबस एक्टस निर्माण का एक लंबे समय से मान्यता प्राप्त नियम है। कानून में शब्द अक्सर अपना अर्थ यहाँ से लेते हैं

एक अनुमेय अर्थ में निर्माण इसे एक अप्रभावी दूत की असहनीय स्थिति में धकेल देगा, जैसा कि यह था। व्यर्थ में एक चमकदार शून्य में अपने पंखों को मारना। अगर कोई विकल्प है

दो व्याख्याओं के बीच, विस्काउंट साइमन, एल. सी. ने कहा। नोक्स बनाम डोनकास्टर अमालगामेटेड कोलियरीज लिमिटेड में (पी.

1022) :

' जिसका संकीर्णता कानून के प्रकट उद्देश्य को प्राप्त करने में विफल रहेगी, हमें निर्माण से बचना चाहिए।

जो कानून को निरर्थकता तक कम कर देगा और इसके बजाय इस दृष्टिकोण के आधार पर बोल्ड निर्माण को स्वीकार करना चाहिए कि

संसद केवल लाने के उद्देश्य से कानून बनाएगी

प्रभावी परिणाम के बारे में।

75. इस प्रकार धारा 16 का अधिनियमित भाग किसी को भी या किसी को भी प्रतिबंधित करता है।

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत आने वाली किसी भी गतिविधि को शुरू करने या चलाने के लिए संस्था को उससे प्राधिकरण की आवश्यकता होती है। तब परंतुक का तात्पर्य है कि

अत्यधिक प्रतिबंधित तरीके से काम करना, अर्थात उन संस्थाओं से निपटने के लिए जो अन्य बातों के साथ-साथ "अधिनियम के लागू होने के समय" गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन आदि में लगी हुई थीं। धारा 16 के मुख्य भाग के विपरीत, परंतुक देने का इरादा नहीं था। उन संस्थाओं को प्राधिकरण जिन्होंने अब तक कोई गतिविधि शुरू नहीं की थी। ऐसी संस्थाओं को अब प्राधिकरण के लिए आवेदन करना था। किसी भी मामले में, धारा 16 और 17 के संयुक्त संचालन द्वारा, धारा 16 का परंतुक अयोग्य नहीं है और "मानित प्राधिकरण" खंड अध्याय IV के अन्य प्रावधानों के अधीन है। धारा 17 अध्याय IV के तहत ऐसा ही एक प्रावधान है। जैसा कि पहले देखा गया है, यह प्रावधान स्पष्ट रूप से सामने लाता है कि केवल केंद्र सरकार की अधिकृत संस्थाओं को ही अधिकृत माना गया था। धारा 16 में प्राधिकरण के किसी भी संदर्भ को छोड़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि परंतुक के आवेदन के लिए योग्यता यह है कि यह अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन था। धारा 17 की योजना आंतरिक रूप से दोनों, यानी केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं और अन्य को वर्गीकृत करती है। इस वैधानिक वर्गीकरण का अंतर्निहित आधार केवल ऐसी संस्थाएं हैं जो ए. डी. ए. एन. आई. गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अधिनियम के लागू होने से पहले केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी या अधिकृत किए जाने पर अधिनियम के तहत प्राधिकरण माना जाता था, और इसलिए, कुछ विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था। अन्य संस्थाओं के संबंध में, जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं हैं, नए आवेदन आवश्यक थे [धारा 17 (1) और धारा 17 (2)] जिनका मूल्यांकन बोर्ड द्वारा मामले-दर-मामले के आधार पर और समान मानकों के अनुसार किया जाना था।

76. यह अभिनिर्धारित करने का दूसरा कारण कि धारा 16 के परंतुक में प्राधिकरण की काल्पनिक कल्पना सभी संस्थाओं पर लागू नहीं होती है, यह है कि खंड "इस अध्याय के अन्य प्रावधानों के अधीन है"। इसका मतलब है कि सभी संस्थाओं को "मानित अधिकृत" संस्थाएं नहीं कहा जा सकता है। K.R.C.S में. बालकृष्ण चेट्टी बनाम. मद्रास राज्य 32 यह न्यायालय

"विषय" शब्द के उपयोग को निम्नलिखित तरीके से समझाया:

" "विषय" शब्दों का उपयोग कानून के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए किया जाता है और हमारी राय में सही अर्थ "सशर्त" है।

77. अशोक लेलैंड लिमिटेड बनाम। तमिलनाडु राज्य 3 3 33 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि "अधीनता" अधीनता की अभिव्यक्ति है:

" 93. इसके अलावा, 'विषय' अभिव्यक्ति दी जानी चाहिए।

प्रभाव पड़ता है।

94. ब्लैक लॉ डिक्शनरी में, पृष्ठ 1278 पर पांचवें संस्करण में "विषय" अभिव्यक्ति को निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

" उत्तरदायी, अधीनस्थ, अधीनस्थ, हीन, आज्ञाकारी; शासित या प्रभावित; बशर्ते कि; प्रदान किया गया, जिसके लिए जवाबदेह हो। होमान वी। नियोक्ता पुनर्बीमा निगम, 345 एमओ।

650 , 136 एस. डब्ल्यू. 2 डी 289,302 "

केंद्र सरकार द्वारा मानित प्राधिकरण का दावा किया जा सकता है। इसके लिए तर्क यह है कि धारा 17 (1) और 17 (2) के प्रावधानों में केवल ऐसी संस्थाओं की आवश्यकता होती है (जो केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत थीं)। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले) पी. एन. जी. आर. बी. को कुछ विवरण सूचित करने के लिए-लेकिन किसी नए प्राधिकरण की आवश्यकता नहीं है। यह अंतर

32 2 1961 (2) एससीआर 736।

33 (2004) 3 एससीसी 1.

अर्थात्, प्राधिकरण और सूचना के बीच महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें कहा गया है कि जिन संस्थाओं ने अधिनियम के प्रारंभ से पहले केंद्र सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किया था, और जिन्होंने सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाना, बनाना या संचालित करना शुरू कर दिया था, उन्हें पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत अधिकृत माना गया था। विशेष संदर्भ (ऊपर) में इस न्यायालय की घोषणा को देखते हुए यह एकमात्र तार्किक और उचित निर्माण है कि राज्यों के पास प्राकृतिक नियमों के संबंध में कोई कानून बनाने या नीतियां बनाने की क्षमता नहीं थी। गैस। ऐसा केवल संसद ही कर सकती थी। अदालत ने इस तर्क के आलोक में गुजरात अधिनियम को भी अधिकार से बाहर घोषित कर दिया। संसद इस बात से अवगत थी कि सी. जी. डी. नेटवर्क के लिए प्राधिकरण दिए जा रहे हैं।

केंद्र सरकार द्वारा, और इसने केवल इन प्राधिकरणों को बचाने की मांग की, जिन्हें संविधान का समर्थन प्राप्त था। द्वारा प्रदत्त प्राधिकार

राज्य सरकारें कानूनी नहीं थीं और उन्हें संविधान का समर्थन नहीं था, और इस तरह के प्राधिकरणों को पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम द्वारा स्थापित शासन के तहत नए सिरे से प्राप्त किया जाना था।

79. धारा 17 (4) पर अपीलार्थी की निर्भरता, यह आग्रह करने के लिए कि पी. एन. जी. आर. बी. के पास सीमित विकल्प हैं और या तो मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर सकते हैं

प्राधिकरण या इसकी अनुमति देना, और यह कि धारा 16 के परंतुक के तहत मानित प्राधिकरण के अलावा कोई वैधानिक संकेत नहीं है, आधारहीन है। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की समग्र योजना में जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है वह है - वहः

(1) पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने के बाद, इसके अंतर्गत आने वाली सभी गतिविधियाँ (शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन,

पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस का वितरण, विपणन और बिक्री) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार केवल पी. एन. जी. आर. बी. के प्राधिकरण के साथ की जा सकती है।

(2) पी. एन. जी. आर. बी. के कार्यों को धारा 11 में चित्रित किया गया है जिसमें संस्थाओं को स्थापना, निर्माण, संचालन या संचालन के लिए प्राधिकरण देना शामिल है। सामान्य वाहक, अनुबंध वाहक या स्थानीय प्राकृतिक गैस का विस्तार करें

वितरण नेटवर्क;

(3) पी. एन. जी. आर. बी. के कार्यों में विनियमन के माध्यम से नियंत्रण, शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क तक पहुंच भी शामिल है।

संस्थाओं के बीच निष्पक्ष व्यापार और प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करना। (4) पी. एन. जी. आर. बी. के पास धारा 12 और 24 के तहत न्यायिक शक्तियां हैं।

(5) पी. एन. जी. आर. बी. के पास धारा 11 के तहत विनियमन बनाने की शक्तियां हैं।

और 61; अदानी गैस लिमिटेड v. भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(6) अपनी नियामक शक्तियों और विनियमन बनाने के अनुसार

पी. एन. जी. आर. बी. ने वास्तव में कई विनियम बनाए हैं 3 4,

(7) धारा 16 और 17 महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे उन संस्थाओं के संबंध में समान व्यवहार करने के संसद के इरादे को प्रकट करते हैं जो किसी भी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण को बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने की प्रक्रिया में थीं। एक सामान्य वाहक या अनुबंध वाहक के रूप में नेटवर्क या कोई पाइपलाइन;

और

(8) धारा 17 (4) स्वयं केंद्र सरकार की नीतियों का उल्लेख करती है, जो पी. एन. जी. आर. बी. को लागू करने और मार्गदर्शन करने के लिए हैं, जबकि धारा 17 (2) के तहत आवेदनों पर विचार करना।

80. जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, पेट्रोलियम हमेशा संसद और केंद्र सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में था। का अधिनियम

पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 (पूर्व-संवैधानिक कानून) और इससे भी महत्वपूर्ण, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियम, 1959 (जिसे इसके बाद "1959 नियम" कहा जाता है) से पता चलता है कि इस क्षेत्र में संघ की प्रधानता हमेशा मौजूद थी। 1959 के नियम, नियम 3 (i) द्वारा "प्राकृतिक गैस" को बोर होल से प्राप्त गैस के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें मुख्य रूप से हाइड्रोकार्बन होते हैं। महत्वपूर्ण रूप से, नियम 3 (के) में "पेट्रोलियम" को "प्राकृतिक रूप से होने वाले हाइड्रोकार्बन" के रूप में परिभाषित किया गया है।

मुक्त अवस्था चाहे वह प्राकृतिक गैस के रूप में हो या तरल चिपचिपा या ठोस रूप में। नियम 4 के अनुसार, लाइसेंस या पट्टे को छोड़कर सभी संभावना या खनन प्रतिबंधित था। पेट्रोलियम नियम, 2002 भाग V में पेट्रोलियम के विनियमन और परिवहन के लिए एक व्यवस्था (नियम 87-101) लाया गया, जिसे फिर से प्राकृतिक गैस को शामिल करने के लिए व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। नियम 89 नकारात्मक शब्दों में डाला गया है और बिना पूर्व अनुमोदन के पाइपलाइनों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है:

" 89. पाइपलाइन के डिजाइन और मार्ग की मंजूरी-नहीं

पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पाइपलाइन बिछाई जाएगी

पाइपलाइन के मार्ग के मुख्य नियंत्रक, और डिजाइन, निर्माण और उसका कार्य "।

34 पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को अधिकृत करना) विनियम, 2008; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के विकास के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए संस्थाओं को अधिकृत करना) विनियम, 2010; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (सुरक्षा मानकों सहित तकनीकी मानकों और

विनिर्देशों के विकास के लिए प्रक्रिया) विनियम, 2009; पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (गैस विनिमय) विनियम, 2020 [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

81. नियम 90 कुछ तकनीकी विनिर्देश प्रदान करता है।

पाइपलाइन के डिजाइन के साथ-साथ स्थान के लिए; नियम 91 में कहा गया है कि पाइपलाइनों को सबसे अनुकूल मार्ग में बिछाया जाना चाहिए, बाधाओं और उन क्षेत्रों से बचना चाहिए जिनमें कोई असामान्य बाहरी स्थिति नहीं है। अन्य मानदंड जैसे जलस्थैतिक परीक्षण, क्षरण से सुरक्षा, भूमिगत पाइपलाइन बिछाना, पाइपलाइनों को बंद करना, मापकों की जांच, परिवर्तन, परिवर्धन, मरम्मत और रखरखाव के प्रावधान, और निरीक्षण और परीक्षण की शक्ति के साथ-साथ दुर्घटनाओं की रिपोर्ट करने का दायित्व प्रदान किया जाता है।

82. प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के विकास के लिए नीति, 2006 तैयार की गई थी।

केंद्र सरकार द्वारा। पैरा 1.3 में, नीति का उद्देश्य है - प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना ताकि एक गैर-भेदभावपूर्ण नेटवर्क पर पाइपलाइन नेटवर्क तक सभी संस्थाओं की खुली पहुंच हो सके, प्रमुख स्थिति के दुरुपयोग को रोकने के लिए संस्थाओं के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया जा सके और गैस के मामले में उपभोक्ता हित को सुरक्षित किया जा सके।

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए उपलब्धता और उचित शुल्क। पैरा 6.1 में कहा गया है कि कोई भी संस्था चाहेगी सामान्य या अनुबंध वाहक गैस पाइपलाइनों के निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए यह कार्य करना होगा कि क्या उनका गैस के संबंधित क्षेत्रों में व्यावसायिक हित है।

विपणन या शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क या एक संबंधित इकाई (एक मूल कंपनी, समूह कंपनी, संयुक्त उद्यम, सहायक कंपनी आदि) है, यह पाइपलाइन गतिविधि और उन गतिविधियों के बीच एक हाथ की लंबाई संबंध सुनिश्चित करेगा। ऐसी संस्थाएं एक संबद्ध आचार संहिता का पालन करने के लिए बाध्य थीं, और पी. एन. जी. आर. बी. को अधिकृत संस्था और उससे संबंधित संस्थाओं की प्रबंधकीय संरचना/स्वामित्व पैटर्न और खातों के बारे में पूछताछ करने का अधिकार था ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ऐसा संबंध लंबे समय तक चले। पैरा 6.2 में परिकल्पना की गई है कि अधिकृत संस्थाओं के पास प्राकृतिक गैस का परिवहन उनकी एकमात्र व्यावसायिक गतिविधि के रूप में होगा और गैस विपणन या शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क में उनका कोई व्यावसायिक हित नहीं होगा। पैरा 6 का उद्देश्य

यह सुनिश्चित करना है कि पाइपलाइन के स्वामित्व से किसी भी गैस विक्रेता को कोई प्रतिस्पर्धात्मक लाभ न मिले और कुशल गैस की स्थापना में बाजार शक्ति का दुरुपयोग न हो।

गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर खुली पहुंच के साथ ग्रिड। पैरा 7.1 के कारण, गैस ग्रिड संपर्क

" [I] संचालन को सुसंगत बनाने और प्रदान करने की दृष्टि से है

विभिन्न गैस पाइपलाइनों के लिए परस्पर संपर्क। इसके लिए

अदानी गैस लिमिटेड सहित भारत में गैस क्षेत्र का विकास।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर सभी खिलाड़ियों के लिए खुले बाजार तक पहुंच के साथ गैस ग्रिड की स्थापना, तकनीकी आवश्यकताओं और सुरक्षा मानकों के एक व्यापक समूह के साथ-साथ बोर्ड द्वारा गैस ग्रिड कनेक्टिविटी के लिए एक कोड विकसित किया जाना, परिचालन संगतता सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है। इस तरह के मानकों और संहिताओं का पालन गैस पाइपलाइनों के साथ-साथ शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए प्राधिकरण की एक अभिन्न शर्त होगी। बोर्ड तकनीकी कारणों से गैस ग्रिड तक पहुंच से इनकार कर सकता है।

पैरा 9 में, केंद्र सरकार या पी. एन. जी. आर. बी. ने तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय (जिसे इसके बाद "ओ. आई. एस. डी". कहा जाता है) के परामर्श से,

को

" [आर] मौजूदा नियमों और मानकों, उनकी प्रयोज्यता को देखें

और तकनीकी और एच. एस. ई. का एक व्यापक समूह विकसित करना।

प्राकृतिक गैस संचरण और वितरण पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के संबंध में मानक। इन मानकों में प्राकृतिक गैस के डिजाइन, बिछाने, संचालन और रखरखाव में तकनीकी और एच. एस. ई. मानक शामिल होंगे। पाइपलाइन और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क, जिसमें संबंधित सुविधाएं और उपकरण शामिल हैं, अन्य बातों के साथ-साथ गैस ग्रिड संपर्क के मुद्दों पर विचार कर रहे हैं। बोर्ड निर्धारित करेगा

निर्बाध सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 11 (i) के अनुसार मानक

प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का विकास और वितरण

देश में आधारभूत संरचना।

83. ये सभी-पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और 2006 की नीति के उद्देश्य और प्रावधान-बोर्ड को उसके द्वारा बनाए गए विनियमों के साथ यह तय करने के लिए पर्याप्त मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि किन आवेदक संस्थाओं को प्राधिकरण दिया जा सकता है, और यदि हां, तो उनकी संबंधित परियोजनाओं की सीमा क्या है। पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा धारा 17 (4) के तहत निर्णय

इसलिए, किसी भी प्राधिकरण आवेदन पर निर्णय लेना प्रत्येक आवेदन से संबंधित व्यक्तिपरक कारकों पर विचार करने पर आधारित नहीं है, बल्कि उपरोक्त सभी प्रासंगिक कारकों के समग्र विश्लेषण पर आधारित है।

84. वास्तव में इस न्यायालय के आदेशों (विशेष रूप से एम. सी. मेहता में जनहित याचिका में किए गए) या राज्य द्वारा दिए गए प्राधिकरणों के संबंध में हस्तक्षेप करने वालों के रूप में अडानी के तर्क को इस न्यायालय की राय के संदर्भ में पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइडिंग या किसी भी तरह से कमजोर करने के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

संदर्भ 2001 के साथ-साथ एसोसिएशन ऑफ नेचुरल गैस एंड ओआरएस में निर्णय। (ऊपर)। संसद के पास कानून बनाने की विशेष क्षमता थी और संघ के पास पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में नीतियां बनाने के लिए संबंधित एकमात्र कार्यकारी शक्तियां थीं। जैसा कि निर्णय के पिछले भाग में देखा गया है, हालांकि पेट्रोलियम अधिनियम, 1934 एक "लागू कानून" के रूप में जारी रहा, विभिन्न पहलुओं के संबंध में विशिष्ट नियम तैयार करके कई बार उपयोग किया गया था, जिसमें गैस पाइपलाइन बिछाने के विनियमन के लिए एक कानूनी व्यवस्था शामिल थी, जिसके लिए केंद्रीय अधिकारियों ने हमेशा पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अधिनियमन से पहले विशेष नियंत्रण का प्रयोग किया था। यह अधिनियम एक आधुनिक विनियमन बनाता है जिसका उद्देश्य उचित कार्यान्वयन के लिए अखिल भारतीय दिशानिर्देश और नीतियां बनाना है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस क्षेत्र में बाजार का प्रभुत्व हो।

दुरुपयोग नहीं किया जाता है और विभिन्न संस्थाओं के व्यवहार में निष्पक्षता होती है। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम का उद्देश्य उस विषय पर प्राधिकरण देने के संबंध में प्रधानता प्राप्त करना था जिस पर वह अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है। इसके अधिकार क्षेत्र के उचित प्रयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए, राज्यों को वही भूमिका या स्थान दिया गया है-जो केंद्र सरकार की 2006 की नीति के तहत स्पष्ट शब्दों में फिर से इंगित किया गया है। अनापत्ति देने में राज्यों की भूमिका सीमित है।

स्थानीय कारकों को ध्यान में रखते हुए-कम नहीं। इन परिस्थितियों में, अडानी या हस्तक्षेप करने वालों की ओर से कोई भी तर्क कि राज्य प्राधिकरण द्वारा उन्हें कोई आपत्ति नहीं दी गई थी या अदालत के

आदेशों ने किसी भी संस्था को या तो कार्य करने या कार्य करना जारी रखने की अनुमति दी थी, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के संदर्भ में प्राधिकरण के बराबर नहीं है। इसका यह भी मतलब नहीं है कि केंद्र सरकार के प्राधिकरण को माना जा सकता है। ऐसी संस्थाओं को अधिनियम के लागू होने के बाद किसी भी क्षेत्र के संबंध में पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत प्राधिकरण प्राप्त करना था।

85. इन सब को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय की राय है कि अडानी गैस (उपरोक्त) में पिछले फैसले ने कानून की सही व्याख्या नहीं की थी। इसने इस बात पर चर्चा नहीं की कि क्या "मानित प्राधिकरण" (धारा 16 के परंतुक में) योग्य था या अयोग्य। अडानी गैस (उपरोक्त) में पिछले फैसले में भी इस महत्वपूर्ण शर्त पर ध्यान नहीं दिया गया था कि मानित प्राधिकरण खंड अन्य प्रावधानों के अधीन लागू होता है -

अध्याय IV, धारा 17 सहित; और अंत में इसने विशेष संदर्भ (उपर्युक्त) में पाँच न्यायाधीशों की पीठ के निर्णायक निर्णय की अनदेखी की।

अदानी गैस के प्रावधान में खंड को गलत माना गया है। इसलिए अडानी गैस मामले में फैसले को खारिज कर दिया गया है। उन्हीं कारणों से, अपीलार्थियों के साथ-साथ सहायक हस्तक्षेपकर्ताओं की प्रस्तुतियाँ अस्वीकार कर दी जाती हैं।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पुनः बिंदु संख्या 2: विनियम 18 की वैधता

86. जैसा कि इस निर्णय की पिछली धारा में चर्चा की गई थी, धारा 16 और 17 के आधार पर, केवल वे संस्थाएं जो सी. जी. डी. का पालन कर रही थीं।

गतिविधियाँ, जो नियत दिन से पहले अधिकृत की गई थीं, वे हैं -

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत अधिकृत माना जाता है। धारा 19 में प्रावधान है कि बोर्ड या तो प्राधिकरण के लिए आवेदन के आधार पर, या स्वतः संज्ञान के आधार पर प्राधिकरण प्रदान कर सकता है, जहां बोर्ड को किसी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाना, बनाना, संचालित करना या विस्तारित करना आवश्यक या समीचीन लगता है।

87. अधिनियम के लागू होने के बाद इस तरह के संचालन को स्थापित करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं के संबंध में, विनियमन 4 निम्नानुसार प्रदान करता है:

" 4. रुचि मार्ग की अभिव्यक्ति के माध्यम से प्रस्ताव की शुरुआत

या बोर्ड द्वारा स्वतः-प्रेरित।

(1) बिछाने, निर्माण, संचालन या संचालन की इच्छा रखने वाली इकाई

एक सी. जी. डी. नेटवर्क का विस्तार एक अभिव्यक्ति प्रस्तुत करेगा

अनुसूची बी में आवेदन के रूप में बोर्ड को ब्याज के साथ-साथ आवेदन शुल्क के रूप में निर्दिष्ट

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क का शुल्क)

और अन्य प्रभार) विनियम, 2007।

(2) बोर्ड सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार करने में रुचि रखने वाली संस्थाओं से स्वतः बोली आमंत्रित कर सकता है।

किसी भी निर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र के लिए।

88. इसलिए, ऐसी संस्थाओं को या तो रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, उसके बाद प्रस्ताव की स्वीकृति और

प्राधिकरण, और प्रासंगिक तकनीकी मानक और विनिर्देश, आदि। बोर्ड ऐसी संस्थाओं को विशिष्टता प्रदान कर सकता है; बोर्ड भी तय करता है परिवहन शुल्क। विनियमन 18 उन संस्थाओं से संबंधित है जो पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम, [2021] 13 एस. सी. आर. के प्रभाव में आने से पहले सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे।

लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थे। ऐसी संस्थाओं को अधिनियम के तहत "मानित प्राधिकरण" का लाभ नहीं मिलता है; उन्हें विनियमन 18 के प्रावधानों के तहत नए प्राधिकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है।

90. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम और विनियम, इस प्रकार तीन श्रेणियां बनाते हैं।

प्राधिकरण प्राप्त करने के विभिन्न तरीकों के लिए संस्थाओं की संख्याः (1) निर्धारित दिन से पहले केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत संस्थाओं को अधिकृत माना जाता है, और केवल संबंधित प्रपत्रों में कुछ जानकारी जमा करने की आवश्यकता होती है; (2) वे संस्थाएं जो सी. जी. डी. गतिविधियों को अंजाम दे रही थीं, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं थीं, उन्हें विनियमन 18 के तहत नए सिरे से प्राधिकरण के लिए आवेदन करना आवश्यक है; (3) वे संस्थाएं जो निर्धारित दिन के बाद सी. जी. डी. गतिविधियों को स्थापित करना चाहती हैं, अर्थात। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने के बाद नए सिरे से संचालन स्थापित करने की इच्छा रखने वाली सभी संस्थाओं को या तो रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत करनी होगी, उसके बाद बोली प्रक्रिया में भाग लेना होगा, या पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा बोलियों के स्वतः-प्रेरित निमंत्रण में भाग लेना होगा।

91. विनियम 18 सी. जी. डी. विनियमों का हिस्सा है जो इसके तहत बनाए गए हैं।

पी. एन. जी. आर. बी अधिनियम की धारा 61। यह नियम, एक सादे पढ़ने पर, लागू होता है।

निर्धारित तिथि के बाद पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत नहीं की गई संस्थाओं के लिए। विनियम 18 (1) ऐसी संस्थाओं (जिनके पास नियत तिथि तक केंद्र सरकार का प्राधिकरण नहीं था) से अनुसूचि I में निर्धारित प्रारूप में प्राधिकरण प्राप्त करने के लिए तुरंत आवेदन करने की अपेक्षा करता है।

विनियमन 18 (2) (सी) में कहा गया है कि वास्तविक भौतिक प्रगति और इसके संबंध में वित्तीय प्रतिबद्धता का संतोषजनक मूल्यांकन परियोजना के वित्तपोषण करने वाले वित्तीय संस्थानों द्वारा मूल्यांकन की गई संस्थाओं डी. एफ. आर. की तुलना में निर्धारित तिथि से तुरंत पहले प्राधिकरण के अनुदान के लिए पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा विचार किया जा सकता है। यदि परियोजना को वित्त पोषित नहीं किया जाता है, तो बोर्ड डी. एफ. आर. का मूल्यांकन कर सकता है जिसे परियोजना के विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र को स्पष्ट रूप से इंगित करना था और सी. एन. जी. और पी. एन. जी. के लिए कवरेज भी निर्दिष्ट करना था। विनियम 18 (2) (डी) में यह निर्धारित किया गया है कि खंड (सी) में निर्दिष्ट वास्तविक भौतिक प्रगति और वित्तीय मांग का अर्थ पूंजी अदानी गैस लिमिटेड का कम से कम 25 प्रतिशत होगा।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अधिग्रहण या पट्टे के माध्यम से व्यवस्था की गई, अगली परियोजना के लिए भूमि (खंड (ई))। पी. एन. जी. आर. बी. वास्तविक भौतिक प्रगति का अधिकार सुरक्षित रखता है। प्रमाणित और, प्राप्त प्रगति को ध्यान में रखते हुए, इकाई को केवल अधिकृत क्षेत्र के लिए (i) इसके डी. एफ. आर. में भौगोलिक क्षेत्र; या (ii) वास्तव में कार्यान्वयन के तहत आने वाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार तब तक अधिकृत करें जब तक कि

नियत दिन; या (iii) बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट कोई भी क्षेत्र (खंड (च))। बोर्ड को सुरक्षा मानकों की गुणवत्ता सहित नियमों या तकनीकी मानकों में निर्दिष्ट लागू तकनीकी मानक और सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए संस्थाओं की क्षमताओं की पर्याप्तता से संतुष्ट होना होगा। खंड (छ) खंड 15 को भी संदर्भित करता है। विनियमन 18 (3) महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समग्र मूल्यांकन को बाध्य करता है और निम्नलिखित में है: शर्तें:

" विनियम 18 (3)-खंड (ए) से (जे) के संदर्भ में आवेदन का मूल्यांकन मानदंडों की समग्र प्रकृति और अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए समग्रता से किया जाएगा।

92. उप-विनियम (3) के अलावा, यह भी उल्लेखनीय है कि विनियम 18 केवल एक श्रेणी यानी उन संस्थाओं पर लागू होता है जिन्हें पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले केंद्र सरकार

द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। ये इकाइयों की एक सीमित संख्या थी, एक लुप्त होती हुई प्रजाति, कहने के लिए, क्योंकि उनसे प्राधिकरण के बिना जारी रहने की उम्मीद नहीं थी। धारा 16 के परंतुक और धारा 17 के मुख्य भागों के आलोक में विनियमन 18 की व्याख्या करने में कुछ तर्क है। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले, अनुमोदन प्रदान करने के लिए मौजूदा मानदंड या

केंद्र सरकार द्वारा विकसित प्राधिकरण पेट्रोलियम अधिनियम, पेट्रोलियम नियमों के साथ-साथ मौजूदा नीतियों, यानी 2002 की नीति और 2006 की बाद की नीति में पाया गया। इसे ध्यान में रखते हुए, विनियमन 18 का उद्देश्य आवेदकों के एक अत्यंत सीमित वर्ग को पूरा करना था और इस विनियमन को तैयार करने का इरादा इसे उन संस्थाओं पर लागू करना था जिनकी परियोजनाएं मौजूद थीं और जिनकी परियोजनाएं केंद्र सरकार के लिए अज्ञात थीं। विशेष संदर्भ (ऊपर) में निर्णय केवल इस बात की घोषणा थी कि हमेशा सही कानूनी स्थिति थी, यानी कि संसद के पास विशेष विधायी क्षमता थी

पेट्रोलियम, खनिज तेल और तेल और प्राकृतिक गैस के संबंध में कानून बनाएँ और यह कि इस विषय पर केंद्र सरकार का विशेष नियंत्रण था। राज्यों द्वारा इस संवैधानिक स्थिति का उल्लंघन, जिनमें से कुछ ने प्राधिकरण दिए थे, का अर्थ होगा कि ऐसी संस्थाएं जो [2021] 13 एस. सी. आर.

यदि राज्य द्वारा अधिकृत किया गया होता लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नहीं, तो पूरी संभावना है कि प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों और शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के बिछाने, संचालन और निर्माण के संबंध में केंद्र सरकार की समग्र नीति के अनुरूप नहीं होता।

93. विनियमन 18 का उद्देश्य एक समान मानक प्रदान करना था जिसके तहत ऐसी राज्य अधिकृत संस्थाओं की परियोजनाओं का मूल्यांकन किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें प्राधिकरण प्रदान किया जा सकता है। तकनीकी और सुरक्षा मानकों के अलावा, जो विनियमन के लिए आवश्यक थे, अंतिम मानक निर्धारित किए गए थे; इसलिए, संबंधित वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ वास्तविक भौतिक प्रगति के 25 प्रतिशत के सामान्य मानदंड पर जोर दिया गया था।

जो वास्तव में किया जाता है। इस न्यायालय की राय में, यह विवेकाधिकार आवश्यक है क्योंकि पी. एन. जी. आर. बी. को न केवल विचाराधीन क्षेत्र या क्षेत्रों की समग्र स्थिति पर विचार करना था, बल्कि संबंधित नेटवर्क की व्यवहार्यता और राज्य और राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ इसके एकीकरण पर विचार करना था। इसलिए, विनियमन 18 को केंद्र द्वारा अधिकृत नहीं संस्थाओं द्वारा किए गए आवेदनों से निपटने के लिए एक विशेष विशेषता के रूप में देखा जाना चाहिए। सरकार। धारा 16 के लागू होने और उन सभी मौजूदा संस्थाओं के मूल्यांकन के समापन के साथ, विनियमन 18 को लागू करने की बहुत कम या कोई गुंजाइश नहीं होगी। यह नियम से भी स्पष्ट है।

17 जो इस प्रकार है:

" 17. केंद्र सरकार द्वारा सी. जी. डी. नेटवर्क बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार के लिए प्राधिकृत संस्था

नियत दिन।

(1) संस्था नियुक्त किए जाने से एक सौ अस्सी दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची एच में दिए गए प्रपत्र में सहायक दस्तावेजों के साथ प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करेगी।

एक दिन। (2) निकाय के नियमों और शर्तों का पालन करेगा

केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण सहित

केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए दायित्व, यदि कोई हों।

(3) संस्था सुरक्षा सहित तकनीकी मानकों और विनिर्देशों के लिए प्रासंगिक नियमों का पालन करेगी। मानक और सेवा मानकों की गुणवत्ता * * *।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

(4) बोर्ड पेट्रोलियम के प्रावधानों के अनुसार ऐसे नियमों और शर्तों पर विशिष्टता प्रदान करने पर विचार कर सकता है और

प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008।

(5) परिवहन शुल्क पेट्रोलियम की धारा 22 के तहत विनियमन के अनुसार बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड अधिनियम, 2006। (6) संस्था की गतिविधियाँ ऐसे अन्य विनियमों के अधीन हो सकती हैं जो इसके प्रावधानों के अनुसार लागू हो सकते हैं

अधिनियम "।

95. फैसले के पिछले भाग में नोटिस किए गए प्रस्तुतिकरण के समर्थन में अदानी गैस (उपरोक्त) का हवाला देते हुए कहा गया है कि विनियमन 18 (2) अनिवार्य शर्तों में नहीं है और यह अभिनिर्धारित करता है कि:

" ..... लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह विनियमन 18 (3) की व्यक्त शर्तों के संबंध में प्रासंगिक विचार होंगे, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि पी. एन. जी. आर. बी. को एक आवेदन पर विचार करना होगा और यह जांचना होगा कि क्या सभी मानदंड उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए संतुष्ट हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं हो सकता कि ये शर्तें अनिवार्य थीं।

विनियमों की उपरोक्त योजना को ध्यान में रखते हुए, यह न्यायालय पहले इस बात पर विचार करेगा कि क्या वाक्यांश "विचार में लिया जा सकता है"

विनियम 18 (2), विभिन्न मानदंडों को निर्धारित करने से पहले, अनिवार्य या केवल मार्गदर्शन के माध्यम से है। अदानी गैस (ऊपर) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह शब्द अनिवार्य नहीं था, और फिर भी पी. एन. जी. आर. बी. को आम तौर पर खंड (ए) से (जे) में विभिन्न मानदंडों द्वारा निर्देशित किया जाना था।

96. जैसा कि पहले देखा गया है, पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम का उद्देश्य निष्कर्षण के बाद की सभी गतिविधियों-यानी शोधन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, विपणन और बिक्री को विनियमित करना है। जब शक्ति प्रदान की जाती है, तो इसका अर्थ मूल क़ानून और नियामक एजेंसी को प्रदत्त विशिष्ट शक्तियों के समग्र संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 11 और धारा 61 बोर्ड को विनियमन बनाने की शक्तियां प्रदान करती है। इस शक्ति का प्रयोग करते हुए विनियमन 18 बनाया गया था, ताकि प्राधिकरण के लिए आवेदनों पर विचार करने के लिए समान मानदंड लागू किए जा सकें, जो उन संस्थाओं द्वारा किए गए थे जिनके पास केंद्र सरकार नहीं थी।

नियत तिथि पर प्राधिकरण। यह इस संदर्भ में है कि किसी को वाक्यांश की व्याख्या पर विचार करना होगा

विचार करें "।

97. श्री सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ 3 5, इस न्यायालय को "सम्मान रखते हुए" अभिव्यक्ति पर विचार और व्याख्या करनी थी

कानून में, जिसने सरकार को शक्ति प्रदान की

चीनी की कीमत निर्धारित करें। इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" 29. (.....) जो भी हो, अभिव्यक्ति "ध्यान रखना"

"को उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए जिसमें इसका उपयोग क़ानून में किया गया है। भारत संघ बनाम देखें। कमलाभाई हरजीवंदास पारेख [(1968) 1 एससीआर 463,471]। इन शब्दों का मतलब यह नहीं है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा नहीं कर सकती। खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित मामलों में, किसी भी अन्य मामले पर विचार करें जो प्रासंगिक हो सकता है। अभिव्यक्ति "केवल सम्मान करना" नहीं है, बल्कि "सम्मान करना" है। ये शब्द कोई बंधन नहीं हैं; ये सीमा के शब्द नहीं हैं, बल्कि अनुमान लगाने के लिए सामान्य मार्गदर्शन के हैं। सरकार को, निश्चित रूप से, उन प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए जिन पर उसे ध्यान देना चाहिए, और ऐसा करने के बाद, यह सरकार को निर्धारित करना है कि उसे क्या निर्धारित करने का अधिकार है।

यथोचित रूप से इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक माना जाता है। द.

सी. आई. टी. में न्यायिक समिति v. विलियमसन डायमंड्स लिमिटेड [एलआर 1958 एसी 41,49: (1957) 3 डब्ल्यू. एल. आर. 663] संदर्भ के साथ देखा गया "ध्यान में रखना" अभिव्यक्ति के लिए: (एसी पी। 49)

" उपयोग किए गए शब्दों का रूप निस्संदेह इस सुझाव पर निर्भर करता है कि केवल उल्लिखित दो मामलों को ध्यान में रखा जाना चाहिए, लेकिन उनके प्रभुओं को ऐसा लगता है कि अन्य प्रासंगिक कारकों से अलग उल्लिखित दो मामलों पर विचार करके तर्कसंगतता के रूप में किसी निष्कर्ष पर पहुंचना असंभव है। इसके अलावा, कानून यह नहीं कहता है

“ केवल कंपनी द्वारा पहले किए गए नुकसान और किए गए लाभ की अल्पता को ध्यान में रखते हुए। केवल इन दो मामलों पर विचार करके "अनुचितता" के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया जा सकता है, जिसे किसी भी तरह से पर्याप्त कहा जा सकता है।

सी. आई. टी. वी. देखें। गुंगाधर बनर्जी एंड कंपनी (पी) लिमिटेड [(1965) 3 एससीआर 439,444-45: ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1977: 57 आईटीआर 176] देखें

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम। भारत संघ

[(1974) 2 एस. सी. सी. 630,633: (1975) 1 एससीआर 956,959]। कर्नाटक राज्य में v. रंगनाथ रेड्डी [(1977) 4 एससीसी 471,488

35 (1990) 3 एससीसी 223।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

: (1978) 1 एस. सी. आर. 641,657-58 इस न्यायालय ने कहा: (एस. सी. सी पी. 488 , पैरा 23: एससीआर पीपी। 657-58)

" इंग्लैंड में अदालतों के विभिन्न निर्णयों में "ध्यान में रखते हुए" और "ध्यान में रखेंगे" अभिव्यक्तियों की सामग्री और उद्देश्य विचार का विषय रहा है।

इस देश में भी। हम केवल कुछ ही लोगों का उल्लेख कर सकते हैं।

इलिंगवर्थ बनाम। वाल्म्स्ले [(1900) 2 क्यू. बी. 142: 16 टी. एल. आर. 281] यह अपील न्यायालय द्वारा पृष्ठ 144 पर रोमर सी. जे. के फैसले के कुछ शब्दों को उद्धृत करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया था:

" खंड 2 का मतलब यह है कि मुआवजे का आकलन करने वाले न्यायाधिकरण को दुर्घटना से पहले और बाद में अर्जित औसत साप्ताहिक मजदूरी को ध्यान में रखना होगा। क्रमशः। इसे ध्यान में रखते हुए, एक सीमा निर्धारित की जाती है

मुआवजे की राशि जो प्रदान की जा सकती है। '

****

" 29. (.....) पेज 458 पर फ्लेचर मौल्टन, एल. जे. के फैसले से कुछ शब्द उद्धृत करना सार्थक है। वाक्यांश के तहत 'उन तथ्यों को ध्यान में रखा जा सकता है जिन पर अदालतें इस प्रकार संज्ञान ले सकती हैं, वे' एक मार्गदर्शक हैं, न कि एक बंधन '। इस न्यायालय ने हममें से एक के माध्यम से बोलते हुए (बेग, जे., जैसा कि वे तब थे), सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम के मामले में भी यही राय व्यक्त की है। भारत संघ [(1965) 3 एससीआर 439,444-45: ए. आई. आर 1965 एस. सी. 1977: 57 आईटीआर 176]। विद्वान न्यायाधीश पृष्ठ 959 (एस. सी. सी. पी.) पर कहते हैं। 633, पैरा 3): ' "ध्यान में रखना" अभिव्यक्ति केवल सरकार को प्रासंगिक डेटा सामग्री के रूप में विचार करने के लिए बाध्य करती है जिसे उसे ध्यान में रखना चाहिए। ”

यू. पी. राज्य बनाम रेनुसागर पावर कंपनी [(1988) 4 एस. सी. सी. 59: ए. आई. आर. 1988 एस. सी. 1737], हम में से एक (मुखर्जी, जे., जैसा कि उन्हें तब कहा गया था) ने कहा:

" "ध्यान में रखना" अभिव्यक्ति केवल सरकार को प्रासंगिक डेटा सामग्री के रूप में विचार करने के लिए बाध्य करती है जिसके लिए

इसे ध्यान में रखना चाहिए। "

ओ 'मे वी में। सिटी ऑफ लंदन रियल प्रॉपर्टी कंपनी लिमिटेड [(1982) 1 सभी ई. आर. 660,665: (1982) 2 डब्ल्यू. एल. आर. 407 (एच. एल.)], लॉर्ड हेलशम ने कहा:

" बहस में एक निश्चित मात्रा में चर्चा हुई

धारा 35 में 'ध्यान रखने' के अर्थ के बारे में। इस तथ्य के बावजूद कि वाक्यांश का उपयोग केवल धारा 34 के ड्राफ्ट्समैन द्वारा लगभग अनिवार्य अर्थों में किया गया है, मैं किसी भी तरह से यह सुझाव नहीं देता कि अदालत का इरादा या उद्देश्य है। किसी भी तरह से किसी भी स्थायी रूप में वर्तमान किरायेदारी की शर्तों के लिए पक्षों को बांधने का प्रयास करना चाहिए।

30. उपखंड में "ध्यान में रखते हुए" शब्द हैं -

के सामान्य मार्गदर्शन के लिए विधायी निर्देश चीनी की कीमत निर्धारित करने में सरकार। वे नहीं हैं।

सख्ती से अनिवार्य, लेकिन संक्षेप में निर्देशिका। द.

सरकार द्वारा दिए गए आदेश की तर्कसंगतता

उप-धारा (3-सी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग, निश्चित रूप से, यह सवाल पूछकर परखा जाएगा कि क्या मामले हैं या नहीं।

खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित मूल्य का अनुमान लगाने में सरकार द्वारा आम तौर पर विचार किया गया है, लेकिन

अदालत इस बात की सख्ती से जांच नहीं करेगी कि उन मामलों या किसी अन्य मामले को किस हद तक ध्यान में रखा गया है। वहाँ है।

उप-धारा का पर्याप्त अनुपालन, यदि सरकार ने खंड (ए) से (डी) में उल्लिखित कारकों के प्रति अपने दिमाग को संबोधित किया है, अन्य कारकों के बीच जिन्हें सरकार उचित रूप से प्रासंगिक मान सकती है, और

निष्कर्ष, जिसे किसी भी उचित व्यक्ति ने रखा है

सरकार की स्थिति आ गई होगी। (.....) "

98. वर्तमान मामले में, विनियमन 18 की प्रासंगिक सेटिंग को ध्यान में रखते हुए, अभिव्यक्ति "ध्यान में रखी जा सकती है" नहीं।

या तो जनादेश या निर्देशिका नियम के सीधे जैकेट में रखा जाए। ऐसे कई निर्णय हैं जो मानते हैं कि "हो सकता है" का अर्थ "होगा" हो सकता है और इसके विपरीत; बहुत कुछ प्रावधान के संदर्भ और उद्देश्य के साथ-साथ इसकी वैधानिक सेटिंग पर निर्भर करता है। जैसा कि इस न्यायालय ने श्री में चर्चा की है सीताराम शुगर कंपनी (ऊपर) वाक्यांश "ध्यान रखना" जिसके बाद मानदंडों की गणना की जाती है,

विधायिका या नियम निर्माता का संकेतक है कि विवेक का प्रयोग कैसे किया जाना है। इसी तरह, "विचार किया जा सकता है" या "ध्यान में रखा जा सकता है" या यहां तक कि "विचार करना वैध होगा" वाक्यांश द्वारा प्रस्तुत मानदंडों की गणना भी ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा कानून या नियम निर्माता चाहते हैं कि प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय कुछ मानदंडों को ध्यान में रखते हुए विवेक का प्रयोग करे।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

99. वर्तमान मामले में, विनियमन 18 (3) विशेष रूप से कहता है कि "खंड (ए) से (जे) के संदर्भ में आवेदन का मूल्यांकन।

मानदंडों की समग्र प्रकृति और परस्पर संबंधों को ध्यान में रखते हुए समग्रता से किया जाएगा। यह, बोर्ड द्वारा प्रासंगिक माने जाने वाले किसी भी अन्य मानदंड की सूची के साथ जोड़ा गया है। आवेदन की जाँच "। (विनियमन 18 (2) (जे), इस न्यायालय की राय में, पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा आवेदनों (उन संस्थाओं द्वारा पसंद किए गए जिनके पास अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय प्राधिकरण नहीं था) के मूल्यांकन के कार्य में अधिक सटीकता लाता है। यदि कोई इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि सभी गणना किए गए मानदंड अलग-अलग मामलों से संबंधित हैं, जिनमें से कुछ तकनीकी हैं, और अन्य आवेदक इकाई की वित्तीय क्षमता वाले हैं, तो पी. एन. जी. आर. बी. का कर्तव्य है कि वह आगे इस बात पर विचार करे कि आवेदक की परियोजना-चल रही है, या एक प्रारंभिक चरण में-कैसे और किस हद तक आगे बढ़ी थी। ऐसा इसलिए है क्योंकि "बिछाना, निर्माण, संचालन या विस्तार", कवर करता है।

सभी चरण अर्थात परिकल्पना और प्रारंभिक कार्य से लेकर किसी परियोजना के उन्नत निष्पादन तक, इष्टतम व्यक्तियों, सामग्री और संसाधनों की तैनाती के साथ। इसलिए, एक मानदंड निर्धारित किया गया है कि चालू कार्य के निष्पादन के साथ-साथ वित्त के ऐसे प्रतिशत खर्च के लिए 25 प्रतिशत की सीमा निर्धारित की गई है। मूल्यांकन के चरण में पी. एन. जी. आर. बी. को दिया गया लचीलापन है -

विनियमन 18 (2) (च) (iii) से स्पष्ट है जो इसे उस भौगोलिक क्षेत्र को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है जिसके लिए किसी इकाई को प्राधिकरण दिया जाना है,

डी. एफ. आर. में निर्दिष्ट क्षेत्र की परवाह किए बिना, या यहां तक कि वास्तविक क्षेत्र "नियत दिन तक कार्यान्वयन के अंतर्गत आता है"। इन सब का अर्थ है कि पी. एन. जी. आर. बी. को आवेदनों का मूल्यांकन करते समय विनियमन 18 (2) में उल्लिखित कारकों के संयोजन द्वारा निर्देशित किया जाना है।

प्राधिकरण; एक कारक कितना महत्वपूर्ण है, और इसे दिया जाने वाला उचित महत्व, विनियमन 18 (3) द्वारा आवश्यक सभी तथ्यों की "समग्रता" पर निर्भर करता है, "मानदंडों की समग्र प्रकृति और परस्पर संबंधों पर विचार करते हुए।" इसलिए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि विनियमन 18 (2) के सभी खंडों पर विचार किया जाना चाहिए, और जहां भी आवश्यक हो, "कोई अन्य प्रासंगिक मानदंड" (विनियमन। 18 (2) (जे)) जिसका अर्थ है अधिनियम के उद्देश्यों के लिए प्रासंगिक कारक, इसके

उद्देश्यों और उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए। पी. एन. जी. आर. बी. को समग्र प्रकृति और अंतर पर भी विचार करना होगा मानदंडों के संबंध।

100. विनियम 18 (2) की वैधता के संबंध में, अपीलार्थी का तर्क है कि विनियम अधिकार से बाहर है, क्योंकि कोई

मार्गदर्शन देने वाला मूल प्रावधान, अस्वीकार करने की शक्ति छोड़ता है पी. एन. जी. आर. बी. की सनक पर अनुप्रयोग, जो किसी भी या कुछ मानदंड को चुन और चुन सकते हैं और बाकी को अनदेखा कर सकते हैं। जहां तक बाद के पहलू की बात है [2021] 13 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

इस न्यायालय ने ऊपर अभिनिर्धारित किया है कि सभी मानदंडों पर उनके अंतर-संबंधों को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए। इसलिए, एक मानदंड चुनने और चुनने और दूसरों को नजरअंदाज करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। बहुत कुछ मामले के व्यक्तिगत तथ्यों, एक को दिए गए वजन या मानदंडों के एक समूह पर निर्भर करेगा। यह प्रति से शक्ति प्रदान नहीं करता है (के तहत

विनियम 18 (2) मनमाना है। किसी भी मामले के विशेष तथ्यों में, एक व्यथित आवेदक के लिए यह दिखाने के लिए खुला है कि शक्ति का प्रयोग मनमाना है,

और न्यायिक समीक्षा की मांग करें। जैसा कि इस न्यायालय ने सीमा शुल्क कलेक्टर बनाम नथेल्ला संपथु चेट्टी 36 के मामले में कहा:

" किसी क़ानून के दुरुपयोग की संभावना अन्यथा वैध है।

इसे अयोग्यता का कोई तत्व प्रदान नहीं करता है। इसके विपरीत को यह भी पालन करना चाहिए कि एक क़ानून जो अन्यथा अनुचित होने के रूप में अमान्य है, उसे उचित तरीके से प्रशासित करके बचाया नहीं जा सकता है। कानून की संवैधानिक वैधता को इसके प्रावधानों के आधार पर निर्धारित करना होगा। और इसके संचालन के दायरे में
यथोचित रूप से समझा गया। यदि ऐसा माना जाता है कि यह तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है, तो प्रदत्त शक्तियों के अनुचित तरीके से उपयोग की संभावना का कोई आधार नहीं है।

कानून को ही अमान्य घोषित करना और इसी तरह यदि कानून संविधान के भाग III में निर्धारित आवश्यकताओं के आलोक में उचित रूप से व्याख्या और परीक्षण इस परीक्षा को उत्तीर्ण नहीं करता है, इसे केवल इसलिए वैध नहीं घोषित किया जा सकता है क्योंकि इसे इस तरह से प्रशासित किया जाता है जो संवैधानिक प्रावधानों के साथ संघर्ष नहीं कर सकता है।

आवश्यकताएँ।

101. अतः मनमानेपन और अनुच्छेद 14 के उल्लंघन के आधार पर विनियमन को चुनौती देने में विफल रहता है।

बिंदु संख्या 2 क्या विनियमन 18 पी. एन. जी. आर. बी. के अधिकार क्षेत्र से बाहर है

अधिनियम

102. अगला सवाल इस संबंध में है कि क्या विनियमन 18 पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तमिलनाडु और अन्र राज्य में। वी.

पी. कृष्णमूर्ति और इस न्यायालय ने विनियमों सहित अधीनस्थ विधान की वैधता पर निर्णय लेते समय निम्नलिखित सिद्धांतों को याद किया:

" 15. किसी अधीनस्थ विधान की संवैधानिकता या वैधता के पक्ष में एक धारणा है और बोझ उस पर है जो यह दिखाने के लिए हमला करता है कि यह अमान्य है। यह भी ठीक है।

36 (1962) 3 एससीआर 786। 37 (2006) 4 एससीसी 517।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

माना जाता है कि एक अधीनस्थ कानून हो सकता है

निम्नलिखित आधारों में से किसी के तहत चुनौती दी गई: (क) अधीनस्थ बनाने के लिए विधायी क्षमता का अभाव

कानून।

(बी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन

भारत का संविधान। (ग) भारत के संविधान के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन।

(घ) उस कानून का पालन करने में विफलता जिसके तहत इसे बनाया गया है या सक्षम करने वाले द्वारा प्रदत्त प्राधिकरण की सीमाओं से अधिक है।

एक्ट करें।

(ई) देश के कानूनों, यानी किसी भी अधिनियम का विरोध।

(च) मनमानेपन/अनुचितता को प्रकट करें (कुछ हद तक)

जहाँ अदालत अच्छी तरह से कह सकती है कि विधायिका कभी नहीं

इस तरह के नियम बनाने का अधिकार देने का इरादा)

16. अधीनस्थ की वैधता पर विचार करने वाला न्यायालय

कानून बनाने के लिए, सक्षम अधिनियम की प्रकृति, उद्देश्य और योजना पर विचार करना होगा, और यह भी कि किस क्षेत्र पर शक्ति है

अधिनियम के तहत प्रत्यायोजित किया गया और फिर तय करें कि क्या अधीनस्थ विधान मूल कानून के अनुरूप है। कहाँ?

एक नियम एक अनिवार्य प्रावधान के साथ सीधे असंगत है कानून, तो, निश्चित रूप से, अदालत का कार्य सरल और आसान है। लेकिन जहां विवाद यह है कि असंगति या

नियम की गैर-अनुरूपता सक्षम अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान के संदर्भ में नहीं है, बल्कि उद्देश्य और योजना के साथ है।

मूल अधिनियम के तहत, अदालत को पहले सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए

अयोग्यता घोषित करना '।

103. इस न्यायालय ने पी. टी. सी. इंडिया लिमिटेड बनाम. केंद्रीय बिजली

लैटोरी कमीशन 3 8 ने विनियमन निर्माण को विधायी के रूप में वर्णित किया:

" 49. 2003 के अधिनियम की विभिन्न धाराओं के उपरोक्त विश्लेषण पर, हम पाते हैं कि निर्णय लेने और विनियमन करने के कार्य दोनों सी. ई. आर. सी. को सौंपे गए हैं। कानून अस्तित्व में आता है

न केवल कानून के माध्यम से बल्कि विनियमन और

मुकदमेबाजी। तीनों स्रोतों के कानून बाध्यकारी हैं। प्रोफेसर वेड के अनुसार, "विधायी और प्रशासनिक के बीच

0) 4 एससीसी 603।

हमारे पास नियामक कार्य हैं "। एक वैधानिक साधन, जैसे कि एक नियम या विनियमन, प्रत्यायोजित विधायी शक्ति के प्रयोग से उत्पन्न होता है जो विधायिका द्वारा कानून के अधिनियमन के समान प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है, जबकि एक अर्ध-न्यायिक आदेश निर्णय से आता है जो

प्रशासनिक प्रक्रिया का एक हिस्सा भी है जो एक अदालत द्वारा न्यायिक निर्णय के समान है। (श्री को देखें

सीताराम शुगर कंपनी लिमिटेड बनाम। भारत संघ [(1990) 3 एस. सी. सी. 223]

104. यू. पी. बनाम रेनुसागर पावर Co.39 के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया

कि

" यदि शक्ति का प्रयोग अधीनस्थ विधान की प्रकृति में है, तो अभ्यास के प्रावधानों के अनुरूप होना चाहिए

कानून "। ग्लोबल एनर्जी लिमिटेड बनाम। केंद्रीय विद्युत नियामक

विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत लाइसेंस के लिए आवेदन करने से किसी कंपनी या संस्था को अयोग्य ठहराने वाले नियम, कमीशन 40 को अधिकार से बाहर माना गया था। अन्य बातों के साथ-साथ अयोग्यताओं को निर्धारित करने वाले नियम में ऐसी संस्था को, जिसके भागीदार, प्रवर्तक, निदेशक या सहयोगी "किसी भी कानूनी कार्यवाही में शामिल थे, और आयोग की राय में परिस्थितियों में लाइसेंस का अनुदान, उपभोक्ताओं के बिजली क्षेत्र के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है" या "किसी अन्य कारण से लिखित रूप में दर्ज किए जाने के लिए लाइसेंस देने के लिए एक उपयुक्त और उचित व्यक्ति नहीं माना जाता है", आवेदन करने से रोक दिया गया था। "उपयुक्त नहीं माना गया" वाक्यांश को स्पष्टीकरण में "(i) वित्तीय" शामिल करने के लिए बढ़ाया गया था।

आवेदक की ईमानदारी; (ii) उसकी क्षमता; (iii) उसकी प्रतिष्ठा और चरित्र; और (iv) उसकी दक्षता और ईमानदारी। यह न्यायालय नियम की चुनौती का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ा और निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की:

" 38. जब अयोग्यता प्रदान की जाती है, तो यह बिजली में व्यापार के क्षेत्र में खिलाड़ियों के संबंध में सीमा पर काम करने के लिए होता है। हालाँकि, जब एक नियामक क़ानून को लागू करने की मांग की जाती है, तो प्राधिकरण को लागू करने की शक्ति होती है

प्रतिबंधों और शर्तों का अर्थ उस उद्देश्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए लगाया जाना चाहिए जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। विद्युत ऊर्जा में उत्पादन, वितरण और आपूर्ति और व्यापार के साथ किसी भी तरह से निपटना देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है।

39 (1988) 4 एससीसी 59. 4 0 40 (2009) 15 एससीसी 570।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

जिन निजी खिलाड़ियों को अनुमति दी गई है या जिन्हें इस ओर से लाइसेंस दिया गया है, उन्हें लगाई गई शर्तों को पूरा करना पड़ सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ऐसी शर्तें उचित होनी चाहिए। मान लीजिए, आनुपातिकता का सिद्धांत होना चाहिए आह्वान किया।

39. वरिष्ठ न्यायालय यह सुनिश्चित करेंगे कि अधीनस्थ

कानून को अधिनियम के चार कोनों के भीतर तैयार किया गया है और अन्यथा वैध है। इसलिए हमारे विचार के लिए जो मुद्दा उठता है वह यह है कि क्या प्रतिनिधि मंडल को उद्देश्य को पूरा करने के उद्देश्य से बनाया गया है, क्या यह पता लगाने के लिए सीमा लगाई जा सकती है कि क्या आवेदक उपयुक्त और उचित व्यक्ति है और उसकी अवहेलना की जा सकती है।

साख योग्यता। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि कोई क़ानून अस्पष्ट और अनुचित नहीं हो सकता है।

**

41. लेकिन वह सवाल, जिस पर हम विचार कर सकते हैं

यह है कि क्या कथित विधायी नीति वैध है या नहीं। इस तरह का सवाल विचार के लिए नहीं उठा। क्लैरियंट में [(2004) 8 एस. सी. सी. 524]।

******

**

**

****

43. योग्यता प्रदान करने वाली विधायी नीति या

व्यापार लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की अयोग्यता अस्पष्ट या अनिश्चित नहीं होनी चाहिए। वित्तीय अखंडता निर्धारित करने के लिए इसके लिए मापदंड निर्धारित किए जाने चाहिए।

आवेदक की प्रतिष्ठा, चरित्र, दक्षता और ईमानदारी। विनियमन 6-ए के खंड (च) के साथ जोड़ा गया एक स्पष्टीकरण विभिन्न पहलुओं को इंगित करता है जिन पर उक्त मानदंड निर्धारित करते समय विचार किया जा सकता है। लेकिन क्या होना चाहिए?

वित्तीय अखंडता, चरित्र, प्रतिष्ठा आदि के संबंध में मानदंड परिभाषित नहीं किए गए हैं। उक्त मानदंडों को कैसे और किस तरीके से निर्धारित किया जाना आवश्यक है, यह निर्धारित नहीं किया गया है। नीचे, मानदंड व्यक्तिपरक हैं।

*** ****

**

***

***

44. हमारी राय में, एक अयोग्य क़ानून निश्चित होना चाहिए और अनिश्चित नहीं होना चाहिए; यह अस्पष्ट या अस्पष्ट नहीं होना चाहिए। इसके संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश [2021] 13 एस. सी. आर. निर्धारित किए जाने चाहिए।

कानून के तहत ही। यह अच्छी तरह से तय है कि आवश्यक विधायी

कार्य प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

**

**

*

**

47. स्पष्टीकरण में गिने गए कारक

विनियम 6-ए का खंड (च) असीमित है। निर्धारित करने के लिए सवाल यह है कि क्या आवेदक उपयुक्त और उचित है

व्यक्ति, बड़ी संख्या में कारकों को लिया जा सकता है

विचार करें। यह सभी उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए अधिक होगा।

तकनीकी आवश्यकता से अधिक, पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता

और एक "बिजली व्यापारी" होने के लिए साख

अधिनियम की धारा 52 के तहत परिकल्पित। एक आवेदक आमतौर पर

एक नया आवेदक होगा। यह संभव है कि वहाँ था

आवेदक और लाइसेंसकर्ता के बीच कोई लेन-देन नहीं।

स्पष्टीकरण में निर्धारित मानदंडों में से प्रत्येक का उल्लेख है साख के लिए।

******

*

**

**

**

51. विनियम 6-ए प्रभावी रूप से इन पर शक्तियाँ/विवेकाधिकार प्रदान करता है सार्वजनिक सुनवाई में भी लाइसेंस देने के मामले। इस तरह के प्रासंगिक

विनियमन में निर्धारित मानदंड प्रदान करने वाले कारक

आयोग को इसके रूप और तरीके को निर्दिष्ट करने का अधिकार देता है आवेदन और शुल्क जो संलग्न किए जाने की आवश्यकता है।

संसदीय उद्देश्य को इस संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए कि

प्रस्तावना "।

105. पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 11 और 61 में विनियम शामिल हैं।

शक्तियाँ बनाना। धारा 11 (सी) (ii) के तहत बोर्ड के पास संस्थाओं को "शहर या स्थानीय प्राकृतिक गैस बिछाने, निर्माण, संचालन या विस्तार" के लिए अधिकृत करने की शक्ति है। वितरण नेटवर्क "। धारा 11 (ई) (iii) द्वारा पी. एन. जी. आर. बी. को अधिकार दिया गया है।

पाइपलाइन एक्सेस कोड के अनुसार "। धारा 11 (च) (iv) द्वारा यह आदेश दिया गया है कि - "पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पादों का समान वितरण" सुनिश्चित करना।

धारा 11 (i) बोर्ड को निम्नलिखित अधिकार देती है:

" ((i) विनियमों द्वारा तकनीकी मानक निर्धारित करना और

अदानी गैस लिमिटेड से संबंधित गतिविधियों में सुरक्षा मानकों सहित विनिर्देश।

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

पेट्रोलियम, पेट्रोलियम उत्पादों और प्राकृतिक गैस सहित

पाइपलाइन का निर्माण और संचालन और डाउनस्ट्रीम पेट्रोलियम से संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और

प्राकृतिक गैस क्षेत्र।

ये सभी विनियामक शक्तियाँ, धारा 61 (1) के तहत विनियम बनाने की सामान्य शक्ति के साथ, इस अदालत की राय में हैं,

विनियमन 18 को तैयार करने की शक्ति के साथ पी. एन. जी. आर. बी. को पहनने के लिए पर्याप्त रूप से चौड़ा। इसके अलावा, विनियमन 18 को संस्थाओं के एक विशिष्ट वर्ग के लिए लागू माना जाना चाहिए-उनकी प्रकृति से, संख्या में कमी, यानी ऐसी संस्थाएं जिन्होंने पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के लागू होने से पहले केंद्र सरकार से प्राधिकरण या अनुमोदन प्राप्त नहीं किया था। विनियमन का उद्देश्य बोर्ड को संस्थाओं की ऐसी श्रेणियों के आवेदनों से निपटने के लिए मार्गदर्शन करना है, जो धारा 17 (2) के साथ पठित धारा 16 के प्रावधान के तहत आते हैं और समान मानकों को लागू करते हैं। ये विचार आगे बढ़ते हैं - पूरे पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के उद्देश्यों के साथ-साथ पी. एन. जी. आर. बी. को धारा 17 (4) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आवेदनों का निर्णय लेते समय अपने कार्य को निष्पक्ष रूप से करने में सक्षम बनाता है।

106. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड बनाम।

इंद्रप्रस्थ गैस Ltd.[4][1] 41 में यह मुद्दा शामिल था कि क्या पी. एन. जी. आर. बी. को अधिकतम खुदरा मूल्य तय करने या विनियमित करने का अधिकार था।

उत्पाद या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क) और धारा 22 (परिवहन शुल्क तय करने के लिए बोर्ड की शक्ति)। इस न्यायालय ने नोट किया कि धारा 22 अर्थात शुल्क निर्धारित करने की शक्ति धारा 11 सहित अधिनियम के अन्य प्रावधानों के अधीन है। धारा 22 और 11 के विशिष्ट प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया कि बोर्ड के पास शुल्क निर्धारित करने की शक्ति नहीं है, जो अधिकतम खुदरा मूल्य को विनियमित करता है जिस पर अंतिम उपभोक्ताओं को गैस बेची जा सकती है। उस संदर्भ में, इस न्यायालय ने धारा 61 के तहत बोर्ड की सामान्य विनियमन बनाने की शक्ति को ध्यान में रखते हुए कहा कि 41 1 (2015) 9 एससीसी 209।

" 53. वर्तमान मामले में, बोर्ड को अधिनियम की धारा 11 के अनुसार ऐसी शक्ति प्रदान नहीं की गई है। वह यह है कि विधायी इरादा। धारा 61 बोर्ड को अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विनियम बनाने में सक्षम बनाती है और इसमें कुछ विशिष्ट पहलुओं का उल्लेख किया गया है। धारा 61 में है

वैधानिक योजना के संदर्भ में पढ़ा जाए। कहने की आवश्यकता नहीं है कि विनियामक प्रावधानों को अधिनियम की प्रकृति और पाठ्य संदर्भ को ध्यान में रखते हुए पढ़ा और लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह शक्ति का स्रोत है। पूरे अधिनियम की जांच करने और विभिन्न सिद्धांतों को लागू करने पर, हम पाते हैं कि अधिनियम बोर्ड को ऐसी कोई शक्ति प्रदान नहीं करता है और धारा 22 में उपयोग की गई अभिव्यक्ति "अधीन" इसे एक अधिकार बनाती है।

सशर्त एक। इसे अधिनियम के अन्य प्रावधानों को अपनाना होगा। शुल्क तय करने का अधिकार बोर्ड को नहीं दिया गया है। इसे
ध्यान में रखते हुए बोर्ड एक विनियमन नहीं बना सकता है जो नेटवर्क के निर्धारण से संबंधित क्षेत्र को शामिल करेगा।

शहर या स्थानीय गैस वितरण नेटवर्क के लिए शुल्क और

सीएनजी के लिए संपीड़न शुल्क। चूंकि पूरा विनियमन उक्त विषय के इर्द-गिर्द केंद्रित है, इसलिए उक्त विनियमन को अधिकार से बाहर घोषित किया जाना चाहिए और हम ऐसा करते हैं।

107. इस न्यायालय की राय है कि उपरोक्त निर्णय से कोई सहायता नहीं मिलती है; इसके विपरीत इस पद के संबंध में टिप्पणियां

" धारा 22 में इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन-जो धारा 16 के परंतुक के साथ समान सामग्री में हैं, पहले दर्ज किए गए निष्कर्षों को सुदृढ़ करते हैं। शुल्क निर्धारित करने की शक्ति, केवल पार्टियों के बीच अंतर-संबंध, प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए आयोजित की गई थी, और संस्थाओं और अंतिम उपभोक्ताओं के बीच संबंधों को विनियमित करने के लिए विस्तारित नहीं की गई थी। धारा 61 के संबंध में टिप्पणियां बोर्ड को उस शुल्क से संबंधित विनियम बनाने के लिए अधिकृत नहीं करती हैं जिस पर ग्राहकों को गैस बेची जा सकती है, धारा 22 के तहत शुल्कों से निपटने के विशिष्ट तरीके और अधिनियम के सामान्य उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया गया था, अर्थात, क्षेत्र को विनियमित करने, प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता को बढ़ावा देने के लिए सामान्य मानक तैयार करना। वर्तमान मामले में, धारा 16 का परंतुक अन्य प्रावधानों, विशेष रूप से धारा 17 के अधीन है। आवेदनों पर विचार करने और उचित आदेश देने की शक्ति

प्राधिकरण, अधिनियम के उद्देश्यों के अलावा केंद्र सरकार की नीतियों पर निर्भर हैं।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

बोर्ड (ऊपर) को इससे निपटना पड़ा। धारा 22 को प्रतिबंधात्मक रूप से समझा जाना था, क्योंकि अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए अंतिम उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले उत्पादों के लिए शुल्क निर्धारित करने की शक्ति प्रदान नहीं की गई थी। दूसरी ओर, अधिनियम की योजना, विशेष रूप से धारा 16 और 17 को प्रभावी बनाने के लिए विनियम 18 आवश्यक है। 109. यह एक अच्छी

तरह से स्थापित सिद्धांत है कि नियम या विनियमन बनाने वाला प्राधिकरण सक्षम माता-पिता के दायरे से परे नहीं जा सकता है।

एक्ट करें। (कर्नाटक राज्य बनाम। एच. गणेश कामत 1 2; सेंट जॉन्स शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान बनाम। एन. सी. टी. ई. 4 3; टाटा पावर कंपनी लिमिटेड बनाम रिलायंस एनर्जी लिमिटेड ")। इंद्रमणि प्यारेलाल गुप्ता बनाम के रूप में रिपोर्ट किए गए निर्णय में। डब्ल्यू. आर. नेचु 45 इस न्यायालय ने कहा कि लागू उचित परीक्षण इस बात पर विचार करने के लिए होगा कि क्या नियम या अधीनस्थ विधान उस उद्देश्य के साथ "असंगत" है जिसके लिए निकाय बनाया गया था या विशेष शक्ति एक विशिष्ट प्रावधान द्वारा इंगित की गई है:

" [व्याख्या का उचित नियम यह होगा कि जब तक शक्ति की प्रकृति उस उद्देश्य के साथ असंगत नहीं है जिसके लिए निकाय का निर्माण किया गया है, या जब तक कि विशेष शक्ति उल्लंघन नहीं है-निकाय को अस्तित्व में लाने वाले अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा इंगित किया गया है, कोई भी शक्ति जो अधिनियम के प्रावधानों को आगे बढ़ाएगी, कानूनी रूप से हो सकती है

इसे प्रदान किया गया "।

110. वर्तमान मामले में, विनियमन 18 तैयार करने का उद्देश्य और उद्देश्य पी. एन. जी. आर. बी. के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप है।

एक्ट करें। इसमें उल्लिखित विभिन्न कारक, बोर्ड को धारा 17 (2) के तहत प्राधिकरण देने के उचित तरीके पर विचार करने के लिए एक वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करते हैं; उनकी अनुपस्थिति में, पी. एन. जी. आर. बी. को मामले-दर-मामले के आधार पर प्राधिकरण के लिए प्रत्येक आवेदन से निपटने में कठिनाई का अनुभव होता। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि विनियमन 18 की सामग्री अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान से बाधित नहीं है।

111. इस न्यायालय द्वारा कुछ निर्णयों में यह मान्यता दी गई है कि वैधानिक सशक्तिकरण के प्रयोग में बनाए गए विनियम और नियम

42 1983 (2) एससीसी 402।

44 (2009) 16 एससीसी 659। 45 1963 (1) एससीआर 721।

विशेषज्ञ वैधानिक निकायों और नियामक प्राधिकरणों की व्याख्या इस पूर्वज्ञान के साथ की जानी चाहिए कि ऐसे निकाय अपने कार्य को जानते हैं और इसके लिए सबसे अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। केशवलाल

खेमचंद एंड संस (पी) लिमिटेड बनाम। भारत संघ ने 2004 में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में एक संशोधन की वैधता को, धारा 2 (ओ) द्वारा "गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों" को परिभाषित करने को अत्यधिक प्रत्यायोजन के आधार पर चुनौती दी थी, क्योंकि इसने ऐसी गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को परिभाषित करने के मामले को भारतीय रिजर्व बैंक (जिसे इसके बाद "आर. बी. आई". कहा जाएगा) के विवेक पर छोड़ दिया था। यह ध्यान देने के बाद कि आधुनिक वित्तीय प्रणाली जटिल है और इसकी आवश्यकता है

" [सी] कभी-कभी भी दैनिक आधार पर निरंतर निगरानी

मिनट से मिनट के आधार पर। महत्व के बदले में और जटिलताओं, रिजर्व बैंक, के प्रमुख नियामक

भारतीय अर्थव्यवस्था और बैंकिंग प्रणाली जारी करती रही है। समय-समय पर न केवल बैंकों को बल्कि विभिन्न अन्य वित्तीय संस्थानों को भी दिशा-निर्देश और निर्देश दिए जाते हैं।

अपने अधिकार क्षेत्र के लिए उत्तरदायी।

इस न्यायालय ने एक विशेषज्ञ निकाय, जो इस क्षेत्र में अनुभवी और जानकार है, को उचित जारी करने के लिए सशक्त बनाने के रूप में संशोधन को बरकरार रखा।

दिशा-निर्देश और अधिसूचनाएँ। 47 भारत संचार निगम लिमिटेड बनाम भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण "में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (जिसे इसके बाद" ट्राई "कहा जाता है) की शक्तियों और कार्यों से निपटने वाले इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणी की:

" टी. आर. ए. आई. अधिनियम लाइसेंसधारकों और उपयोगकर्ताओं जैसे कई खिलाड़ियों की बात करता है, जो "सेवा प्रदाता" शब्द के दायरे में नहीं आते हैं। यदि ट्राई को अपने कार्यों का निर्वहन करना है तो

अनुज्ञप्तिदाता या उपयोगकर्ता, फिर उसे इसके तहत शक्तियों का उपयोग करना होगा

धारा 12 (4) और 13 के अलावा अन्य प्रावधान। इसलिए, धारा 36 (1) के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए, ट्राई कर सकता है

नियम जो इसे निर्देश जारी करने के लिए सशक्त बना सकते हैं

सामान्य चरित्र सेवा प्रदाताओं और अन्य लोगों पर लागू होता है और यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा के तहत नियम बनाकर

47 इसी तरह का दृष्टिकोण आंध्र प्रदेश लिमिटेड के पारेषण निगम बनाम न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। वर्षा गणना सीमित और अन्य। 2019 एससीसी ऑनलाइन एससी 1537। 48 2014 (3) एससीसी 222।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.] 36 (1) टी. आर. ए. आई. ने जिस मैदान पर कब्जा किया है उस पर अतिक्रमण किया है।

ट्राई अधिनियम की धारा 12 (4) और 13।

100. उपरोक्त चर्चा और प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए

पूर्ववर्ती परिच्छेदों में निर्दिष्ट निर्णयों में निर्धारित, हमारा मानना है कि विनियमन बनाने के लिए धारा 36 (1) के तहत ट्राई में निहित शक्ति व्यापक और व्यापक है। इस शक्ति का प्रयोग केवल टी. आर. ए. आई. अधिनियम के प्रावधानों और उसकी धारा 35 के तहत बनाए गए नियमों के अधीन है। धारा 36 (1) के तहत ट्राई द्वारा शक्ति के प्रयोग पर कोई अन्य सीमा नहीं है। यह धारा 36 (2) या धारा 11,12 और 13 द्वारा नियंत्रित या सीमित नहीं है।

प्रकाश गुप्ता बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड में हाल के फैसले में इसी तरह का दृष्टिकोण दिखाई दे रहा है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (जिसे इसके बाद "एस. ई. बी. आई". कहा जाता है) के संबंध में कि:

" नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. को विविध भूमिकाएँ सौंपी गई हैं और

प्रतिभूतियों को विनियमित करने की शक्ति सहित कार्य

बाजार बनाना, विनियम बनाना और अधिनियम के प्रावधानों को लागू करना। इसके कार्यों को वैधानिक प्रावधानों के एक समूह में मान्यता दी गई है। अभियोजन शुरू करने से स्वतंत्र, SEBI को व्यापक शक्तियां सौंपी गई हैं और

जांच करने, जारी करने की शक्ति सहित कार्य

एस. ए. टी. या न्यायालय के लिए अपराध, जैसा भी मामला हो, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, एस. ए. टी. और न्यायालय द्वारा एक विशेषज्ञ नियामक के रूप में एस. ई. बी. आई. के दृष्टिकोण को अनिवार्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, और कुछ हद तक इसके हकदार होंगे: सम्मान "।

112. वर्तमान मामले में भी, इस न्यायालय की राय है कि क्षेत्रीय नियामक के रूप में, पी. एन. जी. आर. बी. को व्यवस्था बनाने की शक्ति सौंपी गई है अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विनियम, और

बाजार में निष्पक्षता लाएँ। इसने विनियमन 18 के माध्यम से इसे प्राप्त करने का प्रयास किया है। उपरोक्त कारणों से, यह माना जाता है कि विनियमन 18 को चुनौती सफल नहीं हो सकती है; इस पहलू पर अडानी के तर्क तदनुसार खारिज कर दिए जाते हैं।

49 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 485।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पुनः बिंदु संख्या 3: क्या विवादित क्षेत्रों का अपवर्जन

अदानी को दिए गए प्राधिकरण से न्यायसंगत था।

113. गुजरात गैस ने इस अदालत के समक्ष आग्रह किया है कि अडानी को इस पहलू का आग्रह करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि इसने कई अवसर लिए हैं।

अवसरों पर, हमेशा अपने अधिकारों के बारे में जागरूक था, और यहां तक कि विवादित (बहिष्कृत) क्षेत्रों के लिए बोली में भाग लेने के अवसर का भी लाभ उठाया, और इसलिए, कुछ क्षेत्रों के लिए पी. एन. जी. आर. बी. के लाइसेंस देने के निर्णय पर सवाल उठाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। यह आग्रह किया गया था कि प्राधिकरण से लाभ प्राप्त करने के बाद, छूट वाले क्षेत्रों के लिए असफल बोली लगाने के बाद, अडानी के लिए उसी आदेश पर सवाल उठाने के लिए खुला नहीं था। अडानी ने इस तर्क का विरोध करते हुए कहा कि पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या अस्थिर स्थिति में थी, और जब तक कानून स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं किया गया था, यह नहीं कहा जा सकता था कि अडानी अपने कानूनी अधिकारों से अवगत थे ताकि विवादित क्षेत्रों के लिए अपने दावों को रोका जा सके।

114. अप्रूबेट और रिप्रोबेट का सिद्धांत एस्टोपल के सिद्धांत पर आधारित है। व्याख्या में, इसका तात्पर्य है कि कोई भी किसी निर्णय को चुनौती नहीं दे सकता है, जिससे लाभ होता है। जैसा कि एक अन्य संदर्भ में संक्षिप्त रूप से कहा गया था, एक आदेश "क्यूरेट के अंडे की तरह आंशिक रूप से अच्छा और आंशिक रूप से बुरा नहीं हो सकता है"। सुजुकी परसरामपुरिया सूटिंग्स (पी) लिमिटेड बनाम आधिकारिक परिसमापक मामले में इस न्यायालय ने इस सिद्धांत को ऐसे सिद्धांत के रूप में वर्णित किया है जो एक वादी को "उसी मामले में विरोधाभासी रुख अपनाने" की अनुमति नहीं देता है। एक पक्ष को समान तथ्यों पर अनुमोदन और खंडन करने और असंगत परिवर्तनकारी रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। अमर सिंह बनाम भारत संघ 2 में इस न्यायालय ने कहा कि

" 50. यह न्यायालय यह स्पष्ट करना चाहता है कि कानूनी कार्रवाई शतरंज का खेल नहीं है। एक वादी जो अदालत में आता है और उसके रिट अधिकार क्षेत्र का आह्वान करता है, उसे साफ हाथों के साथ आना चाहिए। वह नहीं कर सकता।

पूर्वनिर्धारित करें और असंगत स्थिति लें।

एयर लाइन पायलट एसोसिएशन की संयुक्त कार्रवाई समिति में। भारत का वी। नागर विमानन महानिदेशक 3 3 यह देखा गया कि

" 12. चुनाव का सिद्धांत बहिष्कार के नियम पर आधारित है।

-यह सिद्धांत कि कोई अनुमोदन और खंडन नहीं कर सकता है

50 भारत संघ बनाम शकुंतला गुप्ता, (2002) 10 एस. सी. सी. 694। 51 (2018) 10 एससीसी 707। 52 (2011) 7 एससीसी 69।

53 (2011) 5 एससीसी 435।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

उसके अंदर। चुनाव द्वारा रोक का सिद्धांत पैस (या न्यायसंगत रोक) में रोक की प्रजातियों में से एक है, जो है

इक्विटी में एक नियम। ..... एक पक्ष द्वारा असंगत दलीलें लेने से उसका आचरण संतोषजनक नहीं होता है। इसके अलावा, दलों को असंगत रुख अपनाकर गर्म और ठंडा नहीं उड़ाना चाहिए और

अनावश्यक रूप से कार्यवाही को आगे बढ़ाएँ।

115. ये निर्णय, "अनुमोदन और प्रतिबंध" के सिद्धांत को लागू करते हुए, एक पक्ष को छोड़कर, जो एक आदेश के वैधानिक साधन से लाभ प्राप्त करता है, या यहां तक कि एक अनुबंध, इसके एक हिस्से को लागू करने से, इस अदालत के अन्य निर्णयों में भी लागू किए गए हैं। 54 बनाम एलजीके55 में, क्वींस बेंच डिवीजन (प्रौद्योगिकी और निर्माण टी) ने अभिनिर्धारित किया कि:

" 53. कोडिंगटन बनाम कोडिंगटन 1875 एलआर 7 एचएल 866, लॉर्ड

चेम्सफोर्ड ने इन शब्दों में सिद्धांत का उल्लेख किया:

" जो कोई किसी साधन के तहत लाभ स्वीकार करता है, उसे उसके सभी प्रावधानों की पुष्टि करते हुए और उसके साथ असंगत हर अधिकार का त्याग करते हुए उसे पूरा अपनाना चाहिए।

56. हाल ही में, इस सिद्धांत को अधिक व्यक्त किया गया है

आम तौर पर और व्यापक रूप से। विशेष रूप से, एक्सप्रेस में

समाचार पत्र पीएलसी बनाम समाचार (यूके) लिमिटेड और अन्य [1990] 1 डब्ल्यूएलआर

1320 , पारस्परिक से संबंधित कॉपीराइट मामले का उल्लंघन

समाचारों की नकल करते हुए, अदालत ने माना कि दावेदार का

दो असंगत मामलों को सामने रखने की अनुमति नहीं है। कब निर्णय देते हुए, सर निकोलस ब्राउन-विल्किंसन वी. सी. ने कहा

इन शब्दों में सिद्धांत:

" तथ्य यह है कि यदि बचाव अब द्वारा आगे रखा जा रहा है

"डेली स्टार" लेख के संबंध में प्रतिवादी अच्छे हैं ओगिल्वी मामले में बचाव, वे समान रूप से अच्छे थे और हैं

भारत बनाम। एसोसिएशन। भारत के एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदाता, (2020) 3 एस. सी. सी. अल महल रिसॉर्ट्स (पी) लिमिटेड v. के. पी. शर्मा (2014) 8 एससीसी 866।

0] ईडब्ल्यूएचसी 90 (टीसीसी)।

[2021] 13 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बोर्ड के दावे से संबंधित "टुडे" समाचार पत्र के खिलाफ "डेली एक्सप्रेस" के दावे का बचाव। मुझे लगता है कि क्या श्री मोंटगोमेरी बताते हैं कि हंस के लिए चटनी क्या है, गैंडर के लिए चटनी एक संकीर्ण कानूनी है।

अभिव्यक्ति। सामान्य अनुप्रयोग के कानून का एक सिद्धांत है कि अनुमोदन और खंडन करना संभव नहीं है। इसका मतलब है कि आपको गर्म और ठंडा उड़ाने की अनुमति नहीं है।

जो रवैया आप अपनाते हैं। एक व्यक्ति दूसरे के प्रति दो असंगत दृष्टिकोण नहीं अपना सकता है: उसे उनके बीच चुनाव करना चाहिए और एक रुख अपनाने के लिए चुने जाने के बाद, उसे वापस जाने और एक असंगत रुख अपनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।

उस सामान्य सिद्धांत को वर्तमान मामले में लागू करना, मैं स्वीकार करता हूं, एक नया विस्तार है। लेकिन, मेरे विचार में, सिद्धांत एक है।

सामान्य अनुप्रयोग और यदि, जैसा कि मैं समझता हूँ, न्याय की आवश्यकता है, तो इसका कोई कारण नहीं है कि इसे वर्तमान में लागू नहीं किया जाना चाहिए। मामला "।

57. दोनों पक्षों ने मुझे ऐसे कई मामलों की ओर भी संदर्भित किया जिनमें इस सिद्धांत को इस संदर्भ में उठाया गया है -

न्यायनिर्णयन। विशेष रूप से, मुझे पी. टी. बिल्डिंग में भेजा गया था

सर्विसेज लिमिटेड बनाम आरओके बिल्ड लिमिटेड 2008 ईडब्ल्यूएचसी 3434 (टीसीसी), ट्विनटेक लिमिटेड बनाम वोल्करफिट्ज़पैट्रिक लिमिटेड 2014 ईडब्ल्यूएचसी 10 (टीसीसी), रॉब पुर्टन टी/ए रिचवुड इंटीरियर्स बनाम किल्कर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड 2015 ईडब्ल्यूएचसी 2624 (टीसीसी), आरएमपी कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लिमिटेड बनाम चालक्रॉफ्ट लिमिटेड 2015 ईडब्ल्यूएचसी 3737 (टीसीसी), और स्काईमिस्ट होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम ग्रैंडलेन डेवलपमेंट्स लिमिटेड [2018] ईएचसी 3504 (टीसीसी)। पी. टी. भवन सेवा मामले के संबंध में, जिसका मैं नीचे उल्लेख करता हूं, मुझे ये निर्णय विशेष रूप से प्रासंगिक नहीं लगे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चुनौतियों से चिंतित हैं

उदाहरण के लिए, प्रवर्तन पर न्यायनिर्णायक का अधिकार क्षेत्र इस बात पर आधारित है कि क्या अंतर्निहित निर्माण अनुबंध का उल्लेख करने वाले पक्ष द्वारा गलत वर्णन किया गया था या क्या संविदात्मक प्रावधान रेफरल बनाने के लिए बिल्कुल भी मौजूद था। यह

ऐसा मामला नहीं है।

58. फिर भी, समग्र रूप से लिए गए मामले के कानून से कुछ सिद्धांत उत्पन्न होते हैं: i) पहला यह है कि अनुमोदन करने वाले दल ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से अपनी पसंद का चुनाव किया होगा; अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ।

[एस. रवींद्र भाट, जे.]

ii) दूसरा यह है कि यह सामान्य है लेकिन इसके लिए आवश्यक नहीं है अपने चुनाव से लाभ लेने के लिए पार्टी का चुनाव करना जैसे कि उसने एक साधन के तहत लाभ उठाया है जैसे कि

एक वसीयत;

iii) तीसरा, चुनाव करने वाले दल का बाद का आचरण होना चाहिए -

उनके पिछले चुनाव या अनुमोदन के साथ असंगत।

संक्षेप में, सिद्धांत असंगत को रोकने के बारे में है।

एक न्यायपूर्ण परिणाम का संचालन और सुनिश्चित करना।

116. इस मामले में, अडानी ने 2008 में पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने के बाद प्राधिकरण के लिए आवेदन किया। इसके आवेदन पर निर्णय नहीं लिया गया था

बोर्ड; इस बीच, 12.07.2010 पर, धारा 16 लागू हुई। 18.10.2013 पर, पी. एन. जी. आर. बी. ने कुछ शर्तों के अधीन, एच. पी. सी. एल. के 18 सी. एन. जी. स्टेशनों को छोड़कर, अहमदाबाद शहर और डस्क्रोई क्षेत्र में अडानी के सी. जी. डी. नेटवर्क को प्राधिकरण प्रदान किया। विवादित क्षेत्र को इस अस्थायी प्राधिकरण से बाहर रखा गया था। अदानी को प्रदर्शन बांड प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। अपने दिनांकित 28.10.2013 पत्र द्वारा, अडानी ने पी. एन. जी. आर. बी. को लिखा, अपनी स्थिति को रेखांकित करते हुए कि बहिष्कृत क्षेत्र उसके संचालन में थे, और कहा कि "उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, हम प्राधिकरण के नियमों और शर्तों को स्वीकार करने के लिए विवश हैं"। अडानी ने प्राधिकरण के अनुदान को स्वीकार कर लिया और 31.10.2013 दिनांकित पत्र द्वारा अपने प्रदर्शन बांड को प्रस्तुत किया। पी. एन. जी. आर. बी. ने 28.11.2013 पर अडानी के पत्र का जवाब दिया और कहा कि उसकी स्थिति 18.10.2013 के अपने पिछले पत्र (प्राधिकरण की सूचना) द्वारा स्पष्ट की गई है। अडानी ने 31.10.2013 पर अपना प्रदर्शन बांड प्रस्तुत किया, जिसके बाद PNGRB ने 28.11.2013 पर प्राधिकरण जारी किया। प्राधिकरण प्राप्त करने के बाद, अडानी ने 09.12.2013 दिनांकित पत्र द्वारा अपना विरोध व्यक्त करते हुए इसे स्वीकार कर लिया। हालांकि अडानी का तर्क है कि इस प्राधिकरण की स्वीकृति विरोध के तहत थी, रिकॉर्ड पर सामग्री से पता चलता है कि यह विरोध दर्ज किया गया था, शब्दों में:

(a) अदानी द्वारा ज्ञान के बावजूद अपने प्रदर्शन बांड को प्रस्तुत करने के बाद

कि विवादित क्षेत्रों को बाहर रखा गया था; और

(ख) प्राधिकरण की स्वीकृति के समय।

117. प्रदर्शन बांड प्रस्तुत करके, और प्राधिकरण को स्वीकार करते हुए, अडानी ने प्राधिकरण पर कार्य किया। 01.10.2015 पर, बोर्ड ने विवादित क्षेत्रों में CGD नेटवर्क के विकास के लिए बोलियां आमंत्रित कीं। (अहमदाबाद में बहिष्कृत) क्षेत्र। अडानी ने अपना आवेदन-सह [2021] 13 एस. सी. आर. प्रस्तुत किया।

इन क्षेत्रों के संबंध में निविदा दस्तावेज। नीलामी आयोजित की गई थी; जब अडानी को एहसास हुआ कि यह असफल रहा है, तो उसने विवादित क्षेत्रों को दिए गए प्राधिकरण से बाहर करने के लिए अपनी शिकायत व्यक्त की और उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका को प्राथमिकता देते हुए, अडानी ने कई राहतों की मांग की; मुख्य राहत का दावा गुजरात गैस को प्राधिकरण के अनुदान को रद्द करना, पहले के प्राधिकरण दिनांक 28.11.2013 द्वारा विवादित क्षेत्रों के बहिष्कार पर सवाल उठाना और विनियमन 18 के अधिकारों को चुनौती देना था। यह रिकॉर्ड की

बात है कि पी. एन. जी. आर. बी. ने अडानी को उत्तर प्रदेश में खुर्जा क्षेत्र के संबंध में 04.12.2012 पर प्राधिकरण प्रदान किया। इन पृष्ठभूमि को देखते हुए

परिस्थितियों, अपने अधिकारों के संबंध में ज्ञान की कमी के बारे में इसका तर्क अक्षम्य है। अदानी ने प्रदर्शन बांड प्रस्तुत करके प्राधिकरण को स्वीकार किया और कार्रवाई की, जिसके बाद उसने पी. एन. जी. आर. बी. के साथ अपना विरोध (बहिष्कृत क्षेत्रों के संबंध में) दर्ज किया। तब भी, यह प्राधिकरण पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ा।

118. तथ्यात्मक चर्चा को ध्यान में रखते हुए, अग्रणी पृष्ठभूमि के बारे में

अदानी को प्राधिकरण का अनुदान, और उस प्राधिकरण की स्वीकृति, प्रदर्शन बांड प्रस्तुत करना, और उस पर कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़ना, यहां तक कि बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए नीलामी में भाग लेना। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इसने पी. एन. जी. आर. बी. की कार्रवाई को स्वीकार कर लिया, और अपनी बोली में असफल होने के बाद, प्राधिकरण को चुनौती देने की कोशिश की। स्पष्ट रूप से, यह आचरण अनुमोदन और खंडन करने के बराबर है। अपने वास्तविक अधिकारों के बारे में जानकारी की कमी के बारे में अडानी की दलीलों को इस अदालत की राय में स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत प्रक्रिया को जानता था और उसके अनुरूप था।

विशेष रूप से, विनियमों की आवश्यकताएँ, और विनियम 18, जब यह देश के अन्य क्षेत्रों में लागू और प्राधिकरण प्राप्त करता है।

119. सुनवाई के दौरान अडानी ने दोतरफा तथ्यात्मक तर्क दिया था। एक, वह पी. एन. जी. आर. बी. का आदेश जिसके लिए उसके आवेदन को अस्वीकार कर दिया गया है प्राधिकरण अनुचित था और यह कि उसे कारणों के बारे में केवल 2016 में पता चला, जब बोर्ड ने उच्च न्यायालय में अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। दो, कि कारण न्यायिक जांच के सामने नहीं खड़े होते हैं क्योंकि वास्तव में अडानी ने विनियमन 18 में बताए गए मानदंडों को पूरा किया क्योंकि उसने पाइपलाइनों के संबंध में 25 प्रतिशत काम पूरा कर लिया था जो उसे दिया गया था।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

120. जहाँ तक पहले विवाद की बात है, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि एक प्रशासनिक प्राधिकरण से किसी भी विवाद के लिए अपने कारणों को दर्ज करने की अपेक्षा की जाती है। निर्णय जो वह लेता है। भारत संघ में v. ई. जी. नम्बूदिरी 56, इस न्यायालय ने प्रत्येक वैधानिक दायित्व के संदर्भ में टिप्पणी की

प्रशासनिक प्राधिकारी या कार्यकारी सरकार कि

प्राधिकरण के पास "मनमाने ढंग से कार्य करने का कोई लाइसेंस नहीं था।" इस न्यायालय ने आगे कहा कि:

" एक प्रशासनिक प्राधिकरण का कोई आदेश नहीं है जो इसके बारे में सूचित करता है

निर्णय की अनुपस्थिति के आधार पर अवैध बना दिया जाता है

न्यायालय केवल कारणों के अभाव के आधार पर ऐसे आदेशों में हस्तक्षेप करने के लिए खुला नहीं है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि प्रशासनिक प्राधिकरण बिना किसी कारण के आदेश पारित करने के लिए स्वतंत्र है। सरकारी कामकाज में, किसी भी आदेश को जारी करने से पहले, मामले पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया जाता है और कारण और राय फाइल पर टिप्पणियों में निहित होती है। फाइल में निहित कारण सक्षम बनाते हैं

अपनी राय तैयार करने का अधिकार। यदि आदेश के रूप में अस्वीकार करते हुए सरकारी कर्मचारी को सूचित किया गया

प्रतिनिधित्व कारणों में निहित नहीं है, आदेश को कानून में खराब नहीं माना जा सकता है। यदि इस तरह के आदेश को न्यायालय में चुनौती दी जाती है, तो यह हमेशा सक्षम प्राधिकारी के लिए अदालत के समक्ष कारण रखने के लिए खुला नहीं होता है जिसके कारण प्रतिनिधित्व की अस्वीकृति हो सकती है। प्रशासनिक प्राधिकारी के लिए यह हमेशा खुला रहता है कि वह इससे पहले भी साक्षय प्रस्तुत कर सके। न्यायालय अपनी कार्रवाई को उचित ठहराए। "

121. वर्तमान मामले में, पी. एन. जी. आर. बी. ने एक हलफनामे के माध्यम से अपने कारणों को दर्ज किया है। यह इंगित करने के लिए कुछ भी नहीं है कि अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले, अडानी ने इसके प्राधिकरण को अस्वीकार करने के कारण मांगे थे; सभी सबूत इस तथ्य की ओर इशारा करते हैं कि इसके प्रारंभिक विरोध के बाद, यह आगे का प्रतिनिधित्व नहीं करता था और ऐसा प्रतीत होता है कि इसे दिए गए प्राधिकरण पर कार्रवाई की गई थी। इसने अधिकार के लिए अनुक्रमण को स्वीकार करने के लिए भी आगे बढ़ाया, यानी, पी. एन. जी. आर. बी. के अधिकार क्षेत्र में भाग लेकर विवादित क्षेत्र की नीलामी करने के लिए। इन परिस्थितियों में, यह खुलासा करने वाले किसी भी सबूत के अभाव में कि अडानी ने कारण मांगे थे या कोई प्रयास भी किया था

आर. टी. आई. अधिनियम के माध्यम से उन्हें सुरक्षित करने के लिए, इसकी देर से शिकायत है कि पी. एन. जी. आर. बी.

56 (1991) 3 एससीसी 38.

प्राधिकरण के लिए आवेदन को अस्वीकार करने का आदेश इस कारण से अवैध है कि यह अनुचित है, इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। पी. एन. जी. आर. बी. ने उच्च न्यायालय के समक्ष निर्णय के कारणों का खुलासा किया। इसलिए इस तर्क को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया जाता है।

पी. एन. जी. आर. बी. ने तर्क दिया है कि प्राधिकरण के लिए आवेदन में कोई नक्शा नहीं था जिसमें विवादित क्षेत्र शामिल था। यह एक तथ्यात्मक पहलू है। अडानी ने यह कहते हुए इसका विरोध किया कि अहमदाबाद क्षेत्र की सीमाएँ जो राज्य द्वारा दिए गए प्रारंभिक प्राधिकरण के अधीन थीं, जिन्हें असमर्थनीय माना गया था [संविधान पीठ के निर्णय विशेष संदर्भ (उपरोक्त) को देखते हुए], उनमें वे क्षेत्र शामिल थे। इन परिस्थितियों में, यह न्यायालय इस धारणा पर आगे नहीं बढ़ सकता है कि विवादित क्षेत्र वास्तव में अडानी के दावे में शामिल था जब उसने पी. एन. जी. आर. बी. को प्राधिकरण के लिए आवेदन किया था। अडानी ने तर्क दिया है कि यह दिया गया था उक्त सहित पूरे अहमदाबाद जिले के लिए प्राधिकरण राज्य सरकार की नीति के तहत है, जिसे सी. जी. डी. प्राधिकरण विनियमों के तहत एक शक्ति पर भरोसा करके कम नहीं किया जा सकता था। यह आगे कहा गया कि यह तथ्य कि विवादित क्षेत्रों को एक बड़े क्षेत्र के साथ 1.10.2015 पर नीलामी के लिए रखा गया था, यह दर्शाता है कि ये क्षेत्र "स्वतंत्र" आधार पर आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं थे, और इसके परिणामस्वरूप विवादित क्षेत्रों को अडानी के अधिकृत क्षेत्र से बाहर रखने का आधार था

निराधार है। अडानी ने पी. एन. जी. आर. बी. की दिनांकित 18.2.2011 की रिपोर्ट पर विवाद किया और आग्रह किया कि निरीक्षण की तारीख को, उसके पास एक परिचालन नेटवर्क था, और उसने पी. एन. जी. आर. बी. की दिनांकित 11.6.2009 की अनुमति के अनुसार तत्काल पूंजीगत कार्य करके अहमदाबाद के उक्त क्षेत्रों में अपने नेटवर्क को बढ़ाया था।

प्राधिकरण पर इस आधार पर भी महाभियोग चलाया गया कि विनियमन 18 के तहत वास्तविक भौतिक प्रगति और वित्तीय प्रतिबद्धता का मूल्यांकन करने के लिए, निर्धारित दिन के रूप में उपस्थिति पूरे अहमदाबाद जिले में देखी जानी चाहिए, न कि धारा 16 के दायरे को कम करके। यह प्रस्तुत किया गया कि पी. एन. जी. आर. बी. इस बात की सराहना करने में विफल रहा कि अहमदाबाद जिले सहित किसी भी सी. जी. डी. नेटवर्क के विकास कार्य को शुरू करते समय, विकास कार्यों की शुरुआत रैखिक तरीके से हुई, आमतौर पर जहां पहली बार शहर के गैस स्टेशन की स्थापना की गई थी।

इनलेट गैस, जो फिर पूरे क्षेत्र में फैल गई। वर्तमान में पी. एन. जी. आर. बी. मानदंडों के अनुसार, एक अधिकृत संस्था को प्रभार क्षेत्रों को विकसित करने के लिए कम से कम 8 साल का समय दिया गया था। अदानी ने प्रस्तुत किया कि परिणामस्वरूप, पी. एन. जी. आर. बी. ने गलत तरीके से अदानी गैस लिमिटेड v.

भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

अहमदाबाद जिले से अलग किए गए क्षेत्रों को अलग किया गया और विनियमन 18 के अनुसार ऐसे प्रत्येक क्षेत्र का परीक्षण किया गया, जिसकी अनुमति नहीं थी। 123. पी. एन. जी. आर. बी. ने प्रस्तुत किया कि राज्य एन. ओ. सी. ने केवल अहमदाबाद क्षेत्र की बात की है; बोर्ड को अडानी के आवेदन में (अनुदान के लिए)

प्राधिकरण), विवादित क्षेत्रों, यानी साणंद, ढोलका और बावला का कोई उल्लेख नहीं था, और एनओसी ने केवल अहमदाबाद शहर की बात की थी। यह था। आग्रह किया कि आवेदन के खंड (जे) (iii) में प्रस्तावित क्षेत्र को दर्शाने वाले मानचित्र को प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान किया गया है और जांच करने पर, पी. एन. जी. आर. बी. ने पाया कि अहमदाबाद क्षेत्र के अलावा मानचित्र में प्रकट किए गए वितरण नेटवर्क का क्षेत्र चाडखेड़ा और मोटेरा का क्षेत्र था। तदनुसार, आवेदन के खंड (जे) (iii) के संदर्भ में अडानी द्वारा प्रस्तुत डी. एफ. आर. में साणंद, बावला और ढोलका का क्षेत्र भी शामिल नहीं था। इस प्रकार, विनियमन 18 के तहत अनुदान के लिए प्रस्तुत आवेदन

प्राधिकरण ने संलग्न मानचित्र या डी. एफ. आर., साणंद, बावला और ढोलका के क्षेत्र को शामिल नहीं किया। यह भी आग्रह किया गया कि अडानी ने अपने अभ्यावेदन दिनांक 16.05.2012under में इस तथ्य को स्वीकार किया, जिसमें शीर्षक प्राधिकरण ने बुनियादी ढांचे की स्थापना का विवरण दिया था। इसमें साणंद, बावला और ढोलका का कोई उल्लेख नहीं था। यह कहा गया था कि डी. एफ. आर. एक परियोजना का संवैधानिक दस्तावेज था। और डी. एफ. आर. से इन क्षेत्रों की अनुपस्थिति, जो 09.05.2008 (आवेदन तिथि) पर प्रस्तुत की गई थी, से पता चलता है कि नियत दिन पर, अडानी ने साणंद, बावला और ढोलका में वितरण नेटवर्क बिछाने के लिए एक परियोजना की कल्पना भी नहीं की थी, और इस प्रकार इन क्षेत्रों के लिए प्राधिकरण के लिए आवेदन नहीं किया था।

तीन क्षेत्र केवल 31.03.2019 पर समाप्त हुए। 125. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में की गई चर्चा से पता चलता है कि अडानी ने निर्धारित दिन पर जो विकास किया था, उसके बारे में एक गंभीर विवाद है। राज्य प्राधिकरण द्वारा दिए गए क्षेत्रों की सीमा पर अडानी की निर्भरता, और क्या बहिष्कृत क्षेत्र इसका हिस्सा थे, ऐसा मामला नहीं है जिसे इस न्यायालय द्वारा निपटाया जा सके। पी. एन. जी. आर. बी. सी. जी. डी. विनियमों के तहत प्राधिकरण की मांग करते समय अडानी द्वारा दायर आवेदन पत्र पर निर्भर करता है, यह कहने के लिए कि [2021] 13 एस. सी. आर.

विवादित क्षेत्रों का उल्लेख नहीं किया गया था और न ही मानचित्र में दिखाया गया था। यह एक तथ्यात्मक पहलू है। इसके अलावा, की सटीक प्रकृति के बारे में

विकास, जब 2011 में निरीक्षण हुआ, तो फिर से एक विवाद है। यदि कोई इस तथ्य पर विचार करता है कि अधिनियम 2007 में लागू हुआ था, तो कई तरीके थे जिनसे अडानी को स्थापित किया जा सकता था

नियत तिथि पर इसके द्वारा विकसित किए गए सटीक क्षेत्र, जैसे कि संबंधित वर्षों के दौरान बनाए गए व्यय का लेखा-जोखा;

खरीदी गई सामग्री, उस अवधि के लिए नियोजित कर्मी और समय-समय पर हुई प्रगति। निरीक्षण रिपोर्ट और बैठक के कार्यवृत्त के साथ प्रस्तुत सामग्री पर पी. एन. जी. आर. बी. द्वारा विचार किया गया था।

जब उसने विवादित क्षेत्रों को छोड़कर प्राधिकरण प्रदान किया। इस तथ्य के अलावा कि ये विवाद रिट में निर्णय लेने के लिए उपयुक्त नहीं हैं कार्यवाही, यह न्यायालय इस तथ्य से भी अवगत है कि अडानी ने इच्छा व्यक्त की थी

इन मुद्दों को उठाने के लिए, यह एक अपील का उपाय चुन सकता था। अपील को प्राथमिकता नहीं देने और प्राधिकरण के अनुदान के दो साल बाद न्यायालय का दरवाजा खटखटाने का इसका विकल्प एक महत्वपूर्ण कारक है जो इस न्यायालय को तथ्यात्मक जांच शुरू करने से रोकने के लिए प्रेरित करता है। यहां यह ध्यान देना प्रासंगिक है कि पी. एन. जी. आर. बी. के फैसलों के खिलाफ अपील एक न्यायाधिकरण 57 के समक्ष अधिनियम की धारा 33 के तहत प्रदान की जाती है। वरीयता की अवधि

पी. एन. जी. आर. बी. (अधिनियम की धारा 33 (2)) के निर्णय की तारीख से 30 दिन बाद अपील की जाती है। पी. एन. जी. आर. बी. के आदेश के खिलाफ अपील करने के अपने विकल्प का उपयोग नहीं करने का अडानी का सचेत विकल्प, जिस हद तक उसने विवादित क्षेत्रों को बाहर रखा है, इस न्यायालय के लिए उसके द्वारा किए गए तथ्यात्मक दावों की जांच करने से बचना एक महत्वपूर्ण कारक है।

126. समापन से पहले, यह न्यायालय यह देखेगा कि हालांकि कानून की स्थिति पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ द्वारा स्पष्ट की गई थी 2001 के विशेष संदर्भ में 2004 में निर्णय देते हुए और पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के अनुसार, अपीलार्थी ने 2008 में प्राधिकरण के लिए जानबूझकर आवेदन किया, बाद में कुछ रखरखाव कार्यों को पूरा करने के लिए अस्थायी प्राधिकरण प्राप्त किया, और 2013 में प्राधिकरण से इनकार कर दिया गया, 2015 में वर्तमान मुकदमेबाजी शुरू करके, इसने प्रभावी रूप से

गुजरात गैस को प्राधिकरण दिया गया। विनियमन 18 के लिए इसकी चुनौती सट्टा मुकदमेबाजी का एक उदाहरण था जिसके कारण नेटवर्क के विकास में टालने योग्य देरी (और लागत में परिणामी वृद्धि) हुई है।

57 पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 30 के कारण विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 110 के तहत अपीलीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई।

अदानी गैस लिमिटेड वी। भारत और ओआरएस का संघ। [एस. रवींद्र भाट, जे.]

निष्कर्ष

127. संक्षेप में, उठाए गए विचार के बिंदुओं का उत्तर निम्न स्तर पर दिया जाता है:

ए। पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड के दायरे में, अडानी गैस (उपरोक्त) में निर्णय को गलत तरीके से कानून निर्धारित किया गया है, और यह है

एतद्द्वारा खारिज किया गया। बी। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि परंतुक के तहत "मानित प्राधिकरण" खंड

धारा 16 अध्याय 4 के अन्य प्रावधानों के अधीन है, जिसमें धारा 17 भी शामिल है और इसके अलावा, केवल केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकरण प्रदान की गई संस्थाएं ही उस श्रेणी में आती हैं। एक अनुक्रम के रूप में, यह माना जाता है कि जिन संस्थाओं को राज्यों से प्राधिकरण प्राप्त हुआ था,

धारा 17 (2) के संदर्भ में पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के तहत प्राधिकरण की मांग करनी थी, और इसके तहत उल्लिखित शर्तों के अनुपालन में

सी. जी. डी. विनियम।

केंद्र सरकार की 2006 की नीति के संदर्भ में सहयोगात्मक, और किसी भी संस्था को कोई लाभ प्रदान नहीं कर सकता है, जिसे अपने आवेदन के गुण-दोष के आधार पर पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के संदर्भ में विशिष्ट प्राधिकरण की मांग करनी होती है और दिया जाता है। डी। यह माना जाता है कि विनियमन 18 न तो मनमाना है और न ही अधिकार से परे है। विनियमन 18 का अंतर्निहित उद्देश्य इसके अनुरूप है -

पी. एन. जी. आर. बी. अधिनियम के समग्र उद्देश्य नियम 18 नहीं है

अधिनियम के किसी विशिष्ट प्रावधान द्वारा निषेधित। इसके अलावा, एक

क्षेत्रीय नियामक, पी. एन. जी. आर. बी. को अधिनियम के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने के लिए उचित विनियम बनाने की शक्ति सौंपी गई है, और

इस प्रकार विनियमन 18 की चुनौती सफल नहीं हो सकती है।

ई. यह भी माना जाता है कि अडानी का दावा अप्रूबेट-रिप्रोबेट के सिद्धांत द्वारा वर्जित है, क्योंकि इसने पी. एन. जी. आर. बी. (विवादित क्षेत्रों के बहिष्कार सहित) द्वारा दिए गए प्राधिकरण को स्वीकार किया, प्रदर्शन बांड प्रस्तुत किया और यहां तक कि नीलामी में भी भाग लिया।

बहिष्कृत क्षेत्र, और उसके बाद ही प्राधिकरण को चुनौती दी गई जब

उनकी बोली असफल रही।

एफ. यह माना जाता है कि विवादित क्षेत्रों का बहिष्कार समग्र तथ्यों और परिस्थितियों में उचित था।

उपरोक्त निष्कर्षों और निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुएऔर उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। इन परिस्थितियों में, अडानी ने भारत संघ को देय 10 लाख रुपये का भुगतान किया।

अपीलें